खण्ड-457, अंक-3
मंगलवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(28 फरवरी, 2006 ई0)

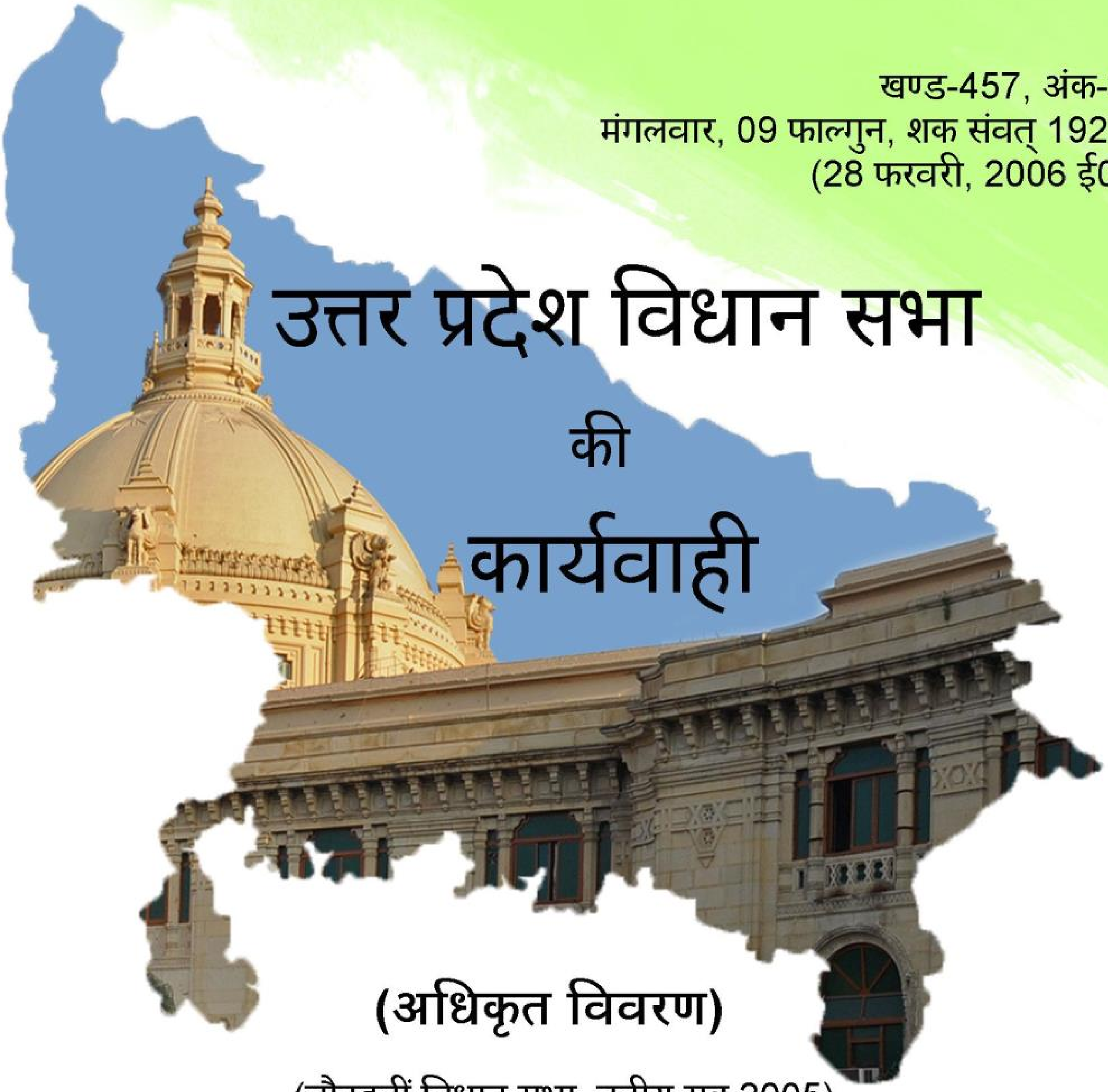

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-घ
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 214 मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के उपचुनाव में निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्रीमती अलका राय द्वारा शपथ ग्रहण ...	1
ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा से सम्बन्धित नियम- 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1-46
प्रश्नोत्तर	
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उदयभान सिंह, श्री दयाल दास भगत, श्री राम स्वरुप गुप्त, श्री सहदेव सिंह, श्री हमीबुर्रहमान आजमी, श्री सुरजू राम, श्री जगपत सिंह के निधन पर शोकोद्गार	46-48
निधन की सूचना विलम्ब से देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पूर्व सदस्यों के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान दिये जाने की मांग ...	48-50
श्री मोहम्मद इरशाद खाँ द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा की मांग ...	50-51
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	51-52
नियम- 301 के अन्तर्गत सूचनायें	53
जौनपुर के ग्राम कुण्डी कूटी एवं ग्राम जमैथा के सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास हेतु वन विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना	54
इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री पद के प्रत्याशी की हत्या के पश्चात इलाहाबाद शहर में फैली अराजकता एवं आगजनी के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना...	54
जनपद फतेहपुर के यमुना तटीय दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित अकारण निरस्त की गयी पुलिस चौकियों को पुनःस्थापित करने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना	55
मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलेट के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हरिद्वारी रोड की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	55
स्वर्गीय कान्सटेबिल मो0 यासीन की जगह मृतक आश्रित के रुप में दत्तक पुत्र श्री मुनीर को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना...	55-56
जनपद एटा में मे0 बी0एम0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लगभग दस लाख लीटर मिट्टी के तेल की कथित कालाबाजारी को रोकने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना	56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई, जनपद संत रविदास नगर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ड्यूटी लगाने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56-57
आयुर्वेद निदेशालय द्वारा जिलों में तैनात आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के बारे में शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में 33/11 के0वी0 विद्युत वितरण सब स्टेशन पर 8 एम0वी0ए0 का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के संबंध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना...	58
नगर पूर्व बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना	58
प्रदेश के बड़े शहरों में भूखण्ड निर्माण के पहले नीचे के बेसमेन्ट में कार पार्किंग की व्यवस्था कराने के संबंध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58-59
मेरठ महानगर के सुभाष बाजार में खन्दक के पुल का पुर्ननिर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना...	59
गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने की माँग के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना	59
शाहजहाँपुर के विशारत घाट पर टापू की सुरक्षा हेतु स्वीकृत साढ़े पाँच लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	60
ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे अथवा ग्राम प्रधानों को सम्मिलित करके कराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	60-61
राज्य सरकार के एक राज्य मंत्री द्वारा डेनमार्क में पैगम्बर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ का नकद इनाम दिये जाने तथा उस व्यक्ति को सोने से तौले जाने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	61-75
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	75
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	75-80
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (जारी) ...	80-89
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव (जारी)	

विषय	पृष्ठ संख्या
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बसपा के 40 विधायकों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय की महाधिवक्ता द्वारा जानकारी...	89-90
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव (स्वीकृत)	90-101
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (जारी) ...	102
मद संख्या-15 से सम्बन्धित आय-व्ययक पर साधारण चर्चा पहले कराये जाने की मांग	102
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	102-108
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	108-110
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	110-112
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	112-113
दुनिया भर में जहां कही भी मजहबों (धर्मों) की किसी भी प्रकार से हुई अवमानना की निन्दा का प्रस्ताव (स्वीकृत)	113-114
नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करके नई चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की कार्य-सूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या- 2 के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ...	114
नत्थी...	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006

उपस्थित सदस्य-327

(विधान सभा की बैठक सभा- मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4-अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5-अजय कुमार, डा0 — बागपत
6-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
7-अताउल रहमान, श्री — बरेली
8-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
9-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
10-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
11-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
13-अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
14-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
15-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
16-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू श्री, — पीलीभीत
17-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
18-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
19-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
20-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21-अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
22-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
23-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
25-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
28-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
29-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
30-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31-अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
32-अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
33-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
34-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
36-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
37-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
38-आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
39-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
40-आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
41-आर0के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
42-आर0के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
43-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
44-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
46-आशीष यादव, श्री — बदायूं
47-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद

49-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50-इन्द्रदेव, श्री, डा0 — बिजनौर
51-उज्जवल रमण सिं, श्री — इलाहाबाद
52-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
53-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
54-उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
55-ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
56-ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
57-ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
58-ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
59-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
60-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
61-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
62-कपिल देव यादव, श्री — मऊ
63-कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
64-कमाल युसूफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
65-कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
66-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
67-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
68-कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
69-काशीराम, श्री — रामपुर
70-किरन पाल, कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
71-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
72-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
73-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
74-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
75-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
76-कैलाश, श्री — गाजीपुर
77-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
78-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
79-कौशल हमीद खां, श्री — बागपत

80-कौशल किशोर, श्री — खीरी
81-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
82-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
83-गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
84-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
85-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
86-घूरा राम, श्री — बलिया
87-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
88-चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
89-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
90-चितरंजन स्वरुप, श्री — मुजफ्फरनगर
91-छेदी राम, श्री — गाजीपुर
92-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
93-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
94-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
95-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
96-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
97-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
98-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
99-जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
100-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
101-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
102-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
103-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
104-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
105-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
106-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
107-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
108-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
109-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
110-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
111-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

112-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
113-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
114-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
115-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
116-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
117-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
118-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
119-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
120-धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
121-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
122-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
123-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
124-धर्मेंद्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
125-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
126-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
127-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
128-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
129-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
130-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
131-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
132-नारद राय, श्री — बलिया
133-परमजीत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
134-परमेश्वर दयाल सिंह, श्री — सोनभद्र
135-पी0के0 राय, डा0 — कुशीनगर
136-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
137-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
138-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
139-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
140-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री — झांसी
141-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
142-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
143-प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
144-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
145-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
146-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
147-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
148-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
149-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
150-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
151-फागू, श्री — मऊ
152-बंशीधर राज, श्री — खीरी
153-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
154-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
155-बाबू लाल चौधरी, श्री — आगरा
156-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
157-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
158-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
159-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
160-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
161-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
162-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
163-ब्रह्म शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
164-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
165-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
166-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
167-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
168-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
169-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
170-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
171-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
172-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
173-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

174महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
175-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू — सीतापुर
176-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
177-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
178-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
179-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
180-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
181-मान पाल सिंह, श्री — एटा
182-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
183-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
184-मुकुल बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
185-मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
186-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
187-मुस्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
188-मूल चन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
189-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
190-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां — मुरादाबाद
191-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
192-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
193-मोहम्मद बशीर, चौधरी, — आगरा
194-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
195-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
196-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
197-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
198-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
199-याकूब, हाजी — मेरठ
200-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
201-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
202-रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
203-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
204-रणवीर राणा, श्री — मेरठ
205-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
206-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
207-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
208-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
209-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
210-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
211-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
212-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
213-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
214-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
215-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
216-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
217-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
218-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
219-राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
220-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
221-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
222-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
223-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
224-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
225-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
226-राबिया कलाम, श्रीमती — वाराणसी
227-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
228-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
229-राम किशुन, श्री — चन्दौली
230-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
231-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
232-रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
233-रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
234-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
235-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
236-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
237-रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
238-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
239-राम मगन, श्री — बाराबंकी
240-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

241-रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
242-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
243-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
244-राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
245-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
246-रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
247-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
248-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबा फूले नगर
249-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
250-लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा0 — मेरठ
251-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
252-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
253-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
254-वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
255-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
256-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
257-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
258-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
259-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
260-विजेन्द्र सिंह, श्री — हाथरस
261-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
262-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
263-विनय शाक्य, श्री — औरैया
264-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
265-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
266-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
267-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
268-विमला राकेश,श्रीमती — सहारनपुर
269-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
270-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
271-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
272-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
273-वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
274-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
275-शब्बीर, श्री — बहराइच
276-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
277-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
278-शाकिर अली, श्री — देवरिया
279-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
280-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
281-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
282-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
283-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
284-शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
285-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
286-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
287-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
288-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
289-श्याम नारायन, श्री — महराजगंज
290-श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
291-श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
292-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
293-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
294-श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
295-संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
296-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
297-संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
298-सतीश महाना, श्री — कानपुर देहात
299-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
300-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
301-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
302-सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
303-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
304-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
305-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
306-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
307-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
308-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

309-सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	319-सोमारु राम सरोज, श्री	जौनपुर
310-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	320-सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
311-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	321-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
312-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	322-हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
313-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	323-हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
314-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	324-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
315-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	325-हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
316-सुल्तान बेग, श्री	बरेली	326-हुकुम सिंह श्री	मुजफ्फरनगर
317-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	327-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
318-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा		

नोट :-

परिवार कल्याण मंत्री	(श्री अहमद हसन),
सिंचाई मंत्री	(श्री मुन्ना सिंह चौहान),
औद्योगिक विकास मंत्री	(श्री ख्वाजा हलीम),
प्रोटोकाल, नागारिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री	(श्री बनवारी सिंह यादव),
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री	(श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री	(श्री अजीत कुमार राजू)

भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-214 मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के उपचुनाव में निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्रीमती अलका राय द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती अलका राय जी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

(माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-214 मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर से उपचुनाव में निर्वाचित श्रीमती अलका राय ने विधान सभा सदस्य के रुप में शपथ ग्रहण की।

(शपथ ग्रहण में स्त्रीलिंग शब्द की जगह पुल्लिंग शब्द का उच्चारण करने की बात किसी सदस्य द्वारा कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

विधायक का पद स्त्रीलिंग पुल्लिंग से नहीं देखा जाता, विधायक विधायक है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, तो फिर शपथ के लिए जो प्रोफार्मा बना हुआ है उसमें देता हूँ/देती हूँ क्यों लिखा हुआ है?

ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत को उठाने का प्रयास सूचना

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नियम 311 में, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्लाक प्रमुख के चुनाव में कल जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ है...

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

श्री लाल जी टण्डन (नेता विरोधी दल)-

मान्यवर, इधर इतनी दुर्दशा इस सदन की हो रही है कि मंत्रि परिषद् के तमाम लोग विभिन्न अपराधों में...

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी, प्रश्न ले लें उसके बाद आप कहें।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ बहुत गम्भीर बात है। अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य ही नहीं रहेगा?

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई नोटिस है? नोटिस है, 311 में तो इसके बाद जब जीरो आवर नियम 56 का आयेगा तो मौका मिलेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने नेता प्रतिपक्ष की बात सुन ली। अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ व्यवस्था देने के पहले नियम 311 कभी-कभी इसलिए होता है...

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब, नियम 311 को पढ़ें। नियम 311 होता है कि अध्यक्ष नियमों को निलम्बित करके चाहे तो आपका विषय ले सकता है। और यदि नियम नहीं निलम्बित होते हैं तो आपका विषय नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने कोई नियम नहीं निलम्बित किया है, इसलिए आप बैठ जायं। जब जीरो आवर आयेगा तो अपनी बात कहियेगा।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 56 में व्यवस्था दी गयी है कि अध्यक्ष जी, 56 में सुन लेते हैं और सुनने के बाद अग्राह्य कर देते हैं। व्यवस्था का सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जब कह दिया गया कि जीरो आवर आयेगा तो आपको पर्याप्त समय दिया जायेगा अब प्रश्नकाल है। यह नई परम्परा पड़ गयी है। बाजपेयी जी आपका ही सवाल है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

आपको यह अधिकार है 311 में प्रक्रिया निश्चित करने का लेकिन आप प्रक्रिया नहीं निश्चित कर रहे हैं तो आप हमें सुनेंगे तो सही।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) -

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक मंत्री के द्वारा 51 करोड़ रुपये देने की बात कही गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं नेता प्रतिपक्ष से मैंने अनुरोध किया कि आप बैठ जायं और वह बैठ गये फिर आप खड़े हो गये, आप उनसे बड़े नेता हैं अपने दल के?

(व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जनपद औरय्या के विधूना क्षेत्र में...

(इसके बाद डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना और श्री जगदम्बिका पाल एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

जब जीरो आवर आयेगा, तब आप लोग अपनी नोटिस पर बोलियेगा। आप बाजपेयी जी, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठ जायें, जीरो आवर में आप कहियेगा।

श्री सतीश महाना-

[X X X X X]

श्री अध्यक्ष-

यह आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप जीरो आवर में जो कहना हो, कहियेगा। पहले प्रश्न हो जाने दें।

नोटः-[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नहरों में लगातार टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

*1 डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिये नहरों में लगातार टेल तक पानी पहुंचाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने के लिये नहरों की व्यापक स्तर पर सफाई का अभियान चलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

रबी 1413 में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों में सिल्ट सफाई की कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी।

नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य की रुप रेखा निम्नवत थी :-

1- सिल्ट की सफाई का कार्य 1 अक्टूबर, 05 से प्रारम्भ कर रोस्टर के अनुसार 2 बन्दी पखवाड़े में पूर्ण कराना था।

2- किन-किन नहरों की सफाई की जानी थी तथा उनमें सिल्ट की मात्रा कितनी थी इसका प्रारम्भिक अनुमान 15-09-05 तक तैयार करना था।

3- सिल्ट सफाई हेतु श्रम के बदले अनाज एवं विभागीय बजट में उपलब्ध धनराशि के साथ-साथ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद में उपलब्ध धनराशि का भी अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया गया।

4- नहर बंदी होते ही संबंधित अवर अभियंता के द्वारा मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति के अनुसार सिल्ट सफाई का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये गये।

5- अवर अभियंता द्वारा तैयार प्राक्कलन का स्थलीय सत्यापन सहायक अभियंता, अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित समिति के माध्यम से कराया गया।

6- त्रि-सदस्यीय समिति से प्राक्कलन सत्यापन के बाद ही कार्य आरंभ कराया गया।

7- कार्य पूर्ण होने का सत्यापन समिति से कराने के बाद ही पानी चलाने की व्यवस्था की गयी।

8- नहरों की सफाई के साथ-साथ निकाली गयी सिल्ट का समुचित निस्तारण होने के बाद ही भुगतान की व्यवस्था की गयी।

9- सिल्ट सफाई की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को मण्डलीय नोडल अधिकारी नामित किया गया।

10- जनता तथा जन प्रतिनिधियों की सहभागिता हेतु उन्हें पत्र लिखे गये तथा कार्यों की सूची उपलब्ध करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

अभियान की अवधि (1 अक्टूबर से 31दिसम्बर, 2005) में रुपया-41 करोड़ (लगभग) की लागत से 28000 किमी0 नहरों की सिल्ट सफाई कराई गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं और एक तरफ मौसम ने जो अपनी आँखें तरेरी है, उससे किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मान्यवर, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिये नहरों में लगातार टेल तक पानी पहुँचाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है तो इसके उत्तर में सरकार ने अपनी फर्जी योजना को बता दिया और जवाब दिया कि सिल्ट की सफाई का कार्य 1 अक्टूबर, 05 से प्रारम्भ कर रोस्टर के अनुसार 2 बन्दी पखवाड़े में पूर्ण कराना था और नहर बंदी होते ही संबंधित अवर अभियंता के द्वारा मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति के अनुसार सिल्ट सफाई का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये गये और अवर अभियंता द्वारा तैयार प्राक्कलन का स्थलीय सत्यापन सहायक अभियंता, अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित समिति के माध्यम से कराया गया। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया का कोई नियत समय या टाइमबाउन्ड प्रोग्राम बनाया गया था जो 1 अक्टूबर, 05 से प्रारम्भ कर रोस्टर के अनुसार 2 बन्दी पखवाड़े में पूर्ण कराना था, क्या उससे पहले पूरा कर लिया गया था, मैं यही जानना चाहता हूँ?

श्री हुकुम सिंह चौहान-

अध्यक्ष जी, वाजपेयी जी का जो प्रश्न था, सरकार चाहती तो इसका यह भी उत्तर दे सकती थी कि प्रदेश में सूखे की स्थिति नहीं है क्योंकि सर्दी के मौसम में बरसात का मौसम नहीं होता। जब कभी बरसात में पानी नहीं बरसता तो यहाँ से टीम भेजकर आकंलन कराके सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाता है। चूंकि सर्दी में बरसात का मौसम नहीं होता, इसलिये सर्दी में बरसात न होने के कारण कोई सूखे की स्थिति नहीं है। मान्यवर, जहाँ तक कार्य-योजना का प्रश्न है, पहली बार इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिल्ट सफाई को जनान्दोलन के रूप में लेने का काम किया।

(बीच में वाजपेयी जी द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

माननीय वाजपेयी जी, आप सुनें, यह आपके ही कर्मों से पानी की कमी है...

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुन लें, प्रश्न यह है कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नहरों में लगातार टेल तक पानी पहुँचाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गई है? अवर्षण के नाते सूखा हुआ या नहीं, इसके बारे में जवाब इसमें नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर में इसका जवाब भी आना चाहिए था। माननीय मंत्री जी तो कह रहे है कि सर्दी में सूखा ही नहीं होता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि यह बरसात का प्रश्न नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी ने बाजपेयी को व्याकुल भारत कहा है, तो मान्यवर, आप व्याकुल उत्तर प्रदेश है या व्याकुल भारत है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्ययोजना बनायी गयी थी लेकिन मान्यवर, पंचायत के चुनाव थे और उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भी ड्यूटी लग गई थी। मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया था और उन्होंने इसके लिए आदेश भी किया था। मान्यवर, सिल्ट सफाई का अभियान और टेल तक पानी पहुँचाना सरकार का लक्ष्य है। मान्यवर, पहली बार यह किया गया कि इसके लिए एक इस्टीमेट बना लिया गया कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और पहली बार यह लक्ष्य रखा गया था कि टेल तक पानी पहुँचाया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, यह ऐसा सवाल है, जिसमें बहस की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ-जहाँ पानी की कमी रह गई है, वहाँ-वहाँ की स्थिति माननीय सदस्य लिख करके दे देंगे, तो हम उसे दिखवा लेंगे और आज से ही खुदाई प्रारम्भ करा करके सफाई करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो भागों में मेरा भी प्रश्न है। कार्य योजना के उत्तर में केवल सिल्ट सफाई का मामला आया है। मान्यवर, कार्ययोजना यहीं तक सीमित है कि सिल्ट सफाई हो जाएगी, मान लीजिए सफाई हो गई, लेकिन मान्यवर, सारे सदन को पता है कि सफाई हो जाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। मान्यवर, जब पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा है तो आयेगा कहाँ से? मान्यवर, पूर्वी यमुना नहर और खास तौर से लोवर डिवीजन में पिछले एक वर्ष से एक बूँद भी पानी नहीं आया है। इस पर 125 रजबहे है, जिसमें टेल को तो छोड़ दीजिए हेड में भी पानी नहीं पहुँचा है, तो मान्यवर, इस योजना का क्या होगा? मान्यवर, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर पानी न तो हेड पर और न ही टेल पर आया है, वहाँ पर भी गाँव वालों को सिंचाई शुल्क की नोटिस जारी हो गई है, तो क्या मेरी व्यक्तिगत जानकारी को आधार मानकर वहाँ जाँच करायेंगे और बिना पानी पहुँचे जो नोटिस जारी की गई है, उस नोटिस को वापस करायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी घोषणा कर देता हूँ कि इसकी जाँच तत्काल जिलाधिकारी करायें और अगर पानी नहीं पहुँचा है तो सिंचाई नहीं ली जाएगी।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने से इस समस्या के निस्तारण से मदद मिल गई लेकिन मेरा जो टेक्निकल प्रश्न था, जिसमें मैंने पूछा था कि अवर्षण के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं और उसके लिए क्या कोई कार्ययोजना बनायी गई है? कृपया इसका उत्तर दिला दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, बाजपेयी जी ने पूछा, मैं बताना चाहता हूँ कि कार्य योजना बनायी गयी, जब नहरें चल रही थी तो उसी समय कार्य योजना बनायी गयी कि टेल तक पानी पहुँचाने में जितने धन की आवश्यकता की जरुरत है, इस्टीमेट बना लिया जाए और एक कार्य योजना थी कि तीन सदस्यीय...

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया कि अगर कहीं छूट गया है तो उसको दिखवा लेंगे। हुकुम सिंह जी ने प्रश्न किया कि नहर में पानी जाता नहीं, सिंचाई नहीं होती और आबपासी व महसूल लग जाता है। उसके बारे में भी कह दिया कि जिलाधिकारी से जाँच करा लेंगे और सिंचाई नहीं हुइ है तो छूट दे देंगे।

श्री मुंशी लाल गौतम-

अध्यक्ष महोदय, जनपद बुलन्दशहर की नहरों में पानी नही है, किसान परेशान हैं। बुलन्दशहर में भी पानी छुड़वा दें।

श्री राम सेवक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूँछना चाहता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र के दो रजबहों के बारे में कई बार लिखकर दिया लेकिने आज तक पानी नहीं पहुँचा, वहाँ पर कब तक पानी पहुँचेगा?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मुझसे कहा था, हमने वहाँ अधिकारियों को भेजा है और हम तीन दिन के अन्दर वहाँ पानी पहुँचा देंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-2 लिये जाने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, दूसरे प्रश्न में पूछ लीजिएगा। अब आगे बढ़ गये हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, अभी प्रश्न प्रारम्भ नहीं हुआ है, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं, अब बैठिये। आप मुझे लिखकर दे दीजिएगा, उत्तर दिलवा दूँगा।

प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु सरकार की कार्य योजना

*2 श्री जगदम्बिका पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु क्या सरकार कोई कारगर कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

वर्ष 2001 की जन गणना के आधार पर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.30 है।

जी हाँ।

प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिए सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा न्यून साक्षरता के आधार पर प्रदेश के 27 जनपदों को विशेष साक्षरता परियोजना हेतु चयनित किया जा चुका है एवं उनकी कार्य योजनायें तैयार की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2001 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता 56.30 प्रतिशत है और यह भी कहा कि शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हम तमाम विभिन्न योजनायें संचालित कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, प्रदेश में 100 प्रतिशत साक्षरता हो जाये इसके लिए एक अभियान की भी बात करते हैं, जिसके लिए विश्व बैंक की परियोजना सर्व शिक्षा अभियान चल रही है लेकिन दुर्भाग्य की बात है 56.30 प्रतिशत तक प्रदेश की निरक्षर जनता को ही साक्षर कर पाये हैं। यह दुर्भाग्य है, कलंक है और विडम्बना है। मंत्री जी ने कह दिया कि विभिन्न योजनायें चल रही है। वह कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें है जो प्रदेश में साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में कारगर हो रही है और उन योजनाओं का परिणाम क्या आया? जो 27 जिले चयनित किये गये हैं उसके लिए आप ट्रेनी सलेक्ट कर रहे हैं, ब्लाक स्तर तक के लिए, वह लिट्रेसी हाऊस तक ही ट्रेण्ड हो रहे है या जिलों में भी पहुँचेंगे?

श्री किरन पाल सिंह-

यह जो साक्षरता के आँकड़े हैं वर्ष 2001 के हैं। दो-ढाई साल की पीरियड से हमारी सरकार है। सर्व शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। ये पुराने आँकड़े हैं। जहाँ तक गति का सवाल है जो देश में साक्षरता की दर बढ़ रही है उसमें अनुपात में हम देश के औसत से अधिक हासिल कर रहे हैं। भारत में 12.64 प्रतिशत वृद्धि हुई है साक्षरता दर में और हमने 14.33 प्रतिशत हासिल की है। भारत में कुल 12.64 पुरुषों में 11.16 है हमारी 13.98 है। जो भारत की वृद्धि दर से ज्यादा है। इसी तरह से महिलाओं के संबंध जो भारत की दर 14.37 है और हमारी 17.83 है हम कहीं अधिक महिलाओं को साक्षर करने में सफल हो रहे हैं। सबको साक्षर करने का जो सवाल है सर्व शिक्षा अभियान पूरे प्रदेश में सरकार

चला रही है और लड़कियां की शिक्षा पर उसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रिकार्ड पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई है और रिकार्ड स्कूल बनाए गए हैं। अतिरिक्त कक्ष भी खोले गए हैं। इस वर्ष 6,804 विद्यालय स्थापित हो जाएंगे और हमारा प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के बारे मे पूरी तरह से सेचुरेट हो जाएगा अपने मानक के अनुसार।

जहाँ तक 15 से 35 वर्ष के लोगो को साक्षर करने कार्यक्रम है वह भारत सरकार के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से तीन चरणो सम्पूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, सतत साक्षरता कार्यक्रम में चल रहा है और सफलता पूर्वक चल रहा है। वर्ष 2007 तक 75 फीसदी साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे हासिल कर लेंगे। जो 27 जनपदों की बात है साक्षरता के संबंध में वह अति पिछडे हैं जिन जनपदो मे 20 फीसदी से कम महिला साक्षरता है वह यह जनपद है। उनमे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को साक्षर करने के लिए एन0पी0ई0जी0सी0 योजना व लडकियों की विशेष भर्ती के लिए उनको कपडा दिया जा रहा है उनके लिए साक्षरता केन्द्र बनाए जा रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर जूनियर हाई स्कूल में भाई अपनी बहन को भी स्कूल ले जाय इसके लिए वातावरण श्रृजित किया जा रहा है। इसमें मैं मानता हूँ कि जब तक सबका सहयोग नही मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। मैं पाल साहब से कहता हूँ अगर आपको कोई बच्चा स्कूल के टाइम पर सड़क पर खेलता मिले तो आप उसके माता पिता से कहिए कि वह अपने बच्चों को स्कूल क्यों नही भेज रहे हैं? आप उनको हमारे स्कूल में लाइए वहाँ पर उनको किताब मिलेगी, बस्ता दिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो बच्चा जिसकी पढ़ने की उम्र है वह पढ़ाई के वक्त गलियों में मिल जाय तो यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके माँ बाप को समझाएं मैं इस बात से सहमत हूँ कि सार्वजनिक जीवन में हम सभी की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है और हमें उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि हमारे यहाँ विकास खण्ड में 47 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ एकल अध्यापक हैं और पाँच विद्यालय ऐसे हैं जहाँ केवल बिल्डिंग बनी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो एकल अध्यापक वाले विद्यालय चल रहे हैं और जो भवन बने पड़े हैं वहाँ पर बच्चे आना चाहिए लेकिन उसके बावजूद बच्चे नहीं आते हैं। मंत्री जी ने कहा कि आप मदद करें बच्चों के दाखिले में। मैं तो मदद दे रहा हूँ।

पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ की आदरणीय मंजू तिवारी गोष्ठी चलवा रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये, भाषण क्यों कर रहे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल-

प्रदेश में दो लाख शिक्षकों की कमी है। इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि यह जो शिक्षा मित्र नियुक्त कर रहे है उनके आगे से मित्र हटाकर उनको शिक्षक का नाम देंगे? माननीय मंत्री जी दोहरी शिक्षा नीति के हमेशा खिलाफ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

आप प्रश्न पूछने नही देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, हम लोग भी सदन में रहे हैं। आपको इतना समय दिया जाता है। जो मुख्य बिन्दु है उसका उत्तर सुनिये फिर प्रश्न पूछिये।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, पाल साहब का जो सबसे आखिरी सवाल है क्योंकि इन्होंने 5-7 सवाल कर लिये हैं। मैं आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

चलिये किसी प्रश्न का तो जवाब दीजिये।

श्री किरन पाल सिंह-

पाल साहब ने जो सवाल किया है शिक्षा मित्र के नाम से मित्र हटाकर उनको शिक्षक कहा जाय तो इस संबंध में मैं पाल साहब को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक बनाने की कोई योजना नही है और यह सम्भव भी नहीं है क्योंकि शिक्षा मित्र की योग्यता इन्टरमीडिएट और सहायक शिक्षक की योग्यता कम से कम बी0ए0 होनी चाहिए। हमने उनका मानदेय बढ़ाया है, उनकी सेवा शर्तें अच्छी कर दी है और उनको अब सीधे चेक से पैसा दिया जाता है। जहाँ तक आपने शिक्षकों की कमी की बात कही है, हम अध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं। 40189 पद भरने जा रहे हैं और 2004 वाले बी0टी0सी0 की भी भर्ती करने जा रहे हैं उसके बाद 2005-2006 के बी0टी0सी0 की करेंगे। आपने एकल विद्यालय बन्द करने की बात कही। इस संबंध में हम आपसे कहना चाहेंगे कि कहीं कोई एकल विद्यालय नही है यदि आपकी जानकारी में हो तो आप लिखकर दे दीजिये। एकल का जहाँ तक प्रश्न है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी माननीय विधायक ने कहा या किसी और ने कहा तो उसमें स्थानान्तरण हुआ तो कुछ समय के लिये वह एकल मान लिया जाय लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं है। लखनऊ में भी हम शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने जा रहे है। इतना ही नहीं शहरों में किराये की बिल्डिंग में स्कूल चल रहे हैं इसलिये हमने 951 विद्यालय भवन बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। पहली बार सरकार इस तरह का काम करने जा रही है। 1407 अतिरिक्त कक्ष बनवा रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आवास विकास, डेवलेपमेंट एथारिटी या नगर निगम जिन के अधीन सरकारी भूमि है और वे कालोनी बना रहे हैं वे हमारे लिये 500 मीटर का प्लाट आरक्षित कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जो उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं उसमें और वास्तविकता में अन्तर ज्यादा है इसलिये विवश होकर मुझे सवाल करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लिखकर दे दे, हमने लिखकर दिया इससे पहले भी यह प्रश्न आया था। मैंने स्पैसिफिक कहा था कि बहुत बड़ी संख्या स्कूलों की ऐसी है, जो बन्द है और बच्चों का एडमीशन तक नहीं हुआ। मैंने माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार उनको सूची बनाकर भिजवा दी जिसके बाद भी मुझे आज तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अब कहें तो मैं आपके पास लिखकर भिजवा दूंगा। मान्यवर, मैं भी उन कार्य कर्त्ताओं में से हूँ जो वास्तव में क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि स्कूल बन्द है या खुले हैं। आज से पन्द्रह दिन

पुरानी बात मैं कह रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में मान्यवर, अभी 17 स्कूल ऐसे हैं जिनमें दो साल से बच्चों का प्रवेश नही है। ताला लगा है। हम क्या मुँह लेकर वहां जाएं? यह हमारी वेदना है आलोचना के लिए नहीं कह रहे हैं। हमने जानकारी की आज मेरे जनपद में 11 सौ रिक्तियां मास्टरों की है। जब रिक्तियां है तो क्या होगा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह उत्तर अच्छा देंगे इसमें संदेह नही है, लेकिन उत्तर के बजाए कार्यवाही हो जाए तो हम आभारी होंगे। नियुक्तियां सुनिश्चित करा लें बजाए इसके कि आप अपनी बात को पेश करने के लिए पढ़कर सुनाएं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए सवाल किया है।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय जगदम्बिका पाल, हुकुम सिंह जी ने बात रखी है हमें स्वीकार करने म एतराज नहीं होता। न कोई आपत्ति होती यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षकों की कमी है। यह भी हो सकता है कि आपके यहाँ विद्यालयों में ताले पडे हों। सरकार के प्रयास बहुत सराहनीय रहे हैं यह विश्व बैंक ने भी स्वीकार किया है। सर्व शिक्षा अभियान में दो साल में सबसे ज्यादा शिक्षा में उत्तर प्रदेश आगे है। लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार संतुष्ट नही है। शिक्षक मित्र तैयार किए गये हैं। 46 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे शिक्षकों की बहुत कमी है जहां ताले पड़े हैं वहां कार्यवाही करेंगे किस तरह से, शिक्षकों की जहां कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री से कहेंगे जहां ताले पड़े हैं वहां खोले जाएं लेकिन यह बात जरुर कहुँगा कि यह कार्य सबके सहयोग से हो सकता है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमने कोशिश की है। सबके सहयोग से निरक्षता की कमी होगी। इसको आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। हमने कोशिश की, कि हमारे गाँव में किसी गरीब, किसी जाति किसी धर्म का कोई ऐसा बच्चा न हो जो पढ़ने न जाए। तब भी एक आध रह गए होंगे। जहां तक हो सकता है सुविधाएं दे रहे हैं। आकर्षण दिया है लड़कियों को 20 हजार कन्या धन लड़कियों को मिलेगा। कक्षा 1 से सुविधा दी जाएगी। आठवीं कक्षा पर भी वजीफे की बात कही है अब कितना दिया जाए इस पर विचार करेंगे। तय करेंगे कितना दिया जाए।

आपका सहयोग रहेगा हमारी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। यह कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश को हम आगे ले जाएंगे। इसमें सबको मदद करनी पड़ेगी तभी निरक्षरता का कलंक मिटेगा। दोहरी शिक्षा नीति है इसमें कोर्ट न्यायालय लोग जा सकते हैं जो अंग्रेजी स्कूल हैं उसमें कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं यह प्रभावशाली लोगों के बच्चे जाते हैं इससे प्रदेश का नाश हो रहा है। इससे गैर बराबरी फैलेगी। असंतोष होगा अभी ऐसा नही हो रहा है लेकिन 10-20 साल के पश्चात् 15-20 फीसदी लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजी जानने वाले होंगे। लेकिन अंग्रेजी जानने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी अब यह भ्रम टूट रहा है। अभी भी अच्छी अंग्रेजी जानने वाले लोग बेरोजगार हैं। तो इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा वरना गरीब, गरीब रहेगा। पिछड़ा, पिछड़ा रहेगा। जो आगे निकलेगा वह आगे निकलता जाएगा। इसमें गम्भीरता से विचार की जरुरत है। दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने का खतरा उठाना पड़ेगा। अगर आप सबका सहयोग मिलेगा तो इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश अगुवाई करेगा।

(मेजें थपथपाई गई)

हुकुम सिंह जी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान की बात करते हैं, अगर सब साथ निकल पड़ें तो दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर सकते हैं।

(श्री जगदीश नारायण राय एवं डॉ0 नरेन्द्र कुमार गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न का उत्तर आ गया है। तीसरा प्रश्न भी शिक्षा से सम्बन्धित है, उसमें पूछ लीजिएगा।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री जगदीश नारायण राय-

अध्यक्ष जी, प्रदेश के 27 जनपदों में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है लेकिन इस अभियान को चलाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था जिले स्तर पर नहीं है। करीब 10 साल हो गए हैं, जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सोसाइटी बना दी गई है, अगर जिलाधिकारी ने इन्ट्रेस्ट नहीं लिया तो वह फ्लाप कर रही है। क्या मंत्री जी इसके लिए शिक्षा विभाग को ही नोडल विभाग के रुप में नामित करने का कष्ट करेंगे?

श्री किरन पाल सिंह-

उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है और हमारे विभाग का अधिकारी सचिव होता हैं। हमारा विभाग उसे संचालित करता है केवल अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने विशिष्ट बी0टी0सी0 के बारे में बताया। विशिष्ट बी0टी0सी0 में 46 हजार अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन लिए गये और इसमें दो सूचियाँ प्रकाशित हुई, इन दोनों को मिलाकर लगभग 32 हजार अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था, अभी भी 12-14 हजार स्थान रिक्त है, तो क्या यह सरकार जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था, इन रिक्त पदों पर उनकी भर्ती करने पर विचार करेगी?

श्री किरण पाल सिंह-

अध्यक्ष जी, 46179 पदों का विज्ञापन हुआ था, उतनी ही भर्ती पूरी हुई। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की लड़कियाँ विज्ञान वर्ग में नहीं मिली थी, वह कम पड़ गई थी, उनकी रिक्तियाँ हो गई है, यह पूरा किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित प्रभावी नीति

*3 श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाये जाने हेतु क्या सरकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कोई गुणात्मक सुधार लागू करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई रूपरेखा बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)-

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोहित की जाने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी नीति निर्धारित है।

जी हाँ।

वर्ष 2006 की परीक्षा में सभी संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों को चिन्हित कर विशेष निगरानी करने तथा आवश्यक होने पर वीडियोग्राफी कराने का भी निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसका यही निष्कर्ष है कि सरकार द्वारा प्रभावी नीति निर्धारित है। अगर राजनीति से ऊपर उठकर हम विचार करें तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि नकल माफिया बहुत बुरी तरह से प्रभावी है। लाउडस्पीकर के द्वारा नकल कराई जा रही है, ब्लैक बोर्ड द्वारा नकल कराई जाती है, उसकी फीसें ली जाती है प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के आधार पर। हमने पूछा है कि क्या सरकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कोई गुणात्मक सुधार लागू करने पर विचार करेगी? सरकार ने कहा कि प्रभावी नीति निर्धारित है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो नीति निर्धारित है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए और इस कलंक को मिटाने के लिए क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है? अगर लिया है तो उसको बताने की कृपा करें।

श्री मानपाल सिंह-

मान्यवर, इस संबंध में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी नीति निर्धारित है। इसके लिए सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नकल रोकने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं बचा है जो न उठाया गया हो। अभी तो इम्तिहान ही शुरु नहीं हुए हैं और आप कह रहे हैं कि नकल शुरु हो गयी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं पिछले साल का कह रहा हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपको पता होना चाहिए कि अनेक अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है, अनेक सेंटर जहाँ नकल होती थी उन्हें सेंटर नहीं बनाया गया है। जहाँ भी शिकायतें थीं वहाँ सेंटर नहीं बना। नकल रोकने के लिए सरकार ने सारे जिलाधिकारियों, कमिश्नरों और शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उड़न दस्ता भी रहेगा और हर तरह से नकल रोकने की कोशिश की जाएगी। माफिया कौन है आप बता दीजिएगा तो हम उन्हें नकल कराने से रोकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका गुणात्मक सुधार का मतलब क्या है, वह बता दें?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नकल नहीं होनी चाहिए लेकिन अभी पिछले वर्ष तक धड़ल्ले से नकल हुई है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर जब इस सदन के अंदर सदन नहीं चलने दिया। जिन्होंने फर्जी नाम लिखा रखा था उन सबको रोक दिया था। अगर वह रोक दिये जाते तो यह कड़ा कदम होता लेकिन इन्होंने सदन नहीं चलने दिया तो हमें उन लड़कों को इजाजत देनी पड़ी। लेकिन इसमें हमने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जब इन्होंने सदन नहीं चलने दिया तो हमें इस सदन में आना पड़ा और उन्हें इजाजत लेनी पड़ी। मेरे क्षेत्र के करीब 800 बच्चों पर रोक लगायी गयी है, उनकी अटेंडेंस नहीं पूरी है। हम कड़े कदम उठाते हैं। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में नकल होती है तो उत्तर प्रदेश के लड़के प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं जबकि बिहार के लड़के उत्तर प्रदेश के लड़कों से आगे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले उत्तर प्रदेश के बोर्ड से पढ़े हुए कितने ही लड़के आई0ए0एस0 होते थे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के लड़के पीछे रह गये हैं और जो पीछे रहते थे वह आगे जा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, निश्चित रुप से आप भी सहमत होंगे कि जब-जब बीजेपी की सरकार आयी है नकल रुकी है और जब-जब आपकी सरकार आयी नकल पूर्ण रुप से हुई है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, जानबूझकर कहे थे। यह बिल्कुल निराधार और असत्य है। लड़के-लड़कियों को जेल भेजा गया था उसके बावजूद भी नकल नहीं रुकी थी। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। इनके जमाने में बहुत नकल हुई थी। इस सरकार के आते ही नकल करने में कमी आयी है। मैं लड़के-लड़कियों को जेल कभी नहीं भेज सकता हूँ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप बैठ जाइये। मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में चल रहे कान्वेन्ट स्कूलों में समान शुल्क योजना

*1 श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे कान्वेन्ट स्कूलों में समान शुल्क योजना लागू करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

1995 से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था

*2 श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें प्रदेश में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? क्या मंत्री जी धार्मिक आधार पर दिये गये आरक्षण को समाप्त कराने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) -

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी विश्वविद्यालय में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा द्वारा उत्तर पढ़ने के पश्चात्)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक हैं।

महाविद्यालयों को खोलने के लिए शासन के निर्धारित मानक

*3 श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाविद्यालय के खोलने के लिये शासन में क्या मानक निर्धारित किये हैं? सत्र 2004-05 में कितने महाविद्यालयों को खोलने हेतु शासन द्वारा एन0ओ0सी0 जारी की गई है? छात्रवृत्ति को देखते हुए सत्र 2005-06 में क्या नये महाविद्यालय खोलने हेतु नियमों को शिथिल किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2त्र166ऋ/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-397/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 टी0सी0, दिनांक 11 फरवरी, 2005 तथा शासनादेश संख्या-585 मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं जिसमें नये महाविद्यालय की स्थापना एवं अन्य के मानक मुख्य रुप से निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं:-

(क) नगर निगम क्षेत्र-5000 वर्ग मीटर

(ख) नगरपालिका (परिषद) क्षेत्र-7000 वर्ग मीटर

(ग) अन्य क्षेत्र-20000 वर्ग मीटर।

महिला महाविद्यालय के लिए उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

विधि महाविद्यालय के लिए:-

विधि त्रिवर्षीय के लिए-1200 वर्ग मीटर

विधि पंचवर्षीय के लिए-1500 वर्ग मीटर

तथा दोनों के लिए-2000 वर्ग मीटर।

उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त कृषि संकाय/महाविद्यालय के लिए न्यूनतम 15 एकड़ पृथक भूमि अपेक्षित होगी।

(2) सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकृत हो।

(3) महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा संस्था के खाते में निर्धारित न्यूनतम नकद धनराशि जमा हो।

(4) संस्था के मानकानुसार राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो।

(5) सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर संस्तुति की गयी हो।

(6) नये स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान को बी0एड0 पाठ्यक्रम अनुमन्य नहीं है।

(7) एक सत्र में अधिकतम दो संकायों का ही संचालन अनुमन्य है।

328

जी नहीं।

उच्च शिक्षा की विशिष्टता एवं गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनप्रिय सरकार है और मैं सारे जितने उत्तर आये है, उनसे संतुष्ट हूँ।

श्री अध्यक्ष-

फिर आप बैठ जाये।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचलों के लिए जो जमीन का मानक दिया गया है उसे पन्द्रह सौ वर्ग मीटर करने की कृपा करेंगे ताकि और भी महाविद्यालय खुल सकें।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, ग्रामीण अंचलो में महाविद्यालय खोलने के लिए जो बीस हजार वर्ग मीटर जमीन का मानक तय किया गया है, महाविद्यालय की बिल्डिंग और बिल्डिंग के अतिरिक्त खेल कूद का मैदान और तमाम चीजो को लेकर यह मानक तय किया गया है। मेरे विचार से शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए यह जरुरी है। इसमें शिथिलता करना ठीक नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी जा रही है जो चिन्ता अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की थी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, कान्वेण्ट के विद्यालयों में और उसके कारण समाज में बढ़ते अन्तर की, क्या सरकार के अनुदानित महाविद्यालयों और सरकार के द्वारा अनुदानित किये जा रहे स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के माध्यम से भी क्या भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अन्तर जो बेसिक शिक्षा और कान्वेण्ट महाविद्यालयों के कारण पैदा हो रहा है, अन्तर पैदा नहीं होगा। इसको सरकार के सामने रख कर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों

को भी शिक्षा शुल्क के अन्तर्गत महाविद्यालयों के बराबर शिक्षा शुल्क रखने में क्या निर्देश देगी? दूसरी चीज क्या इसके द्वारा जो अन्तर है वह अन्तर पैदा न हो इसके लिए सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी जो सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय है, वह राज्य सरकार द्वारा अनुदानित हैं और उनकी फीस का स्ट्रक्चर सरकार तय करती है, लेकिन जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय है वह पूर्णत: निजी क्षेत्र के हैं और वहाँ पर जो कालेज का प्रबन्धन है, शिक्षकों का जो वेतन वगैरह है कालेज के छात्रों से लिये फीस के आधार पर ही उनका निर्धारण किया जाता है और इसलिए सरकार कोई अनुदान नहीं देती है, इसलिए निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों को हम अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के बराबर नही कर सकते हैं लेकिन समय-समय पर शिकायतें मिलने पर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में फीस के नाम पर छात्रों का शोषण न किया जाय, जो आवश्यकता है या जितने से कालेज का प्रबन्धन चल सकता है उससे ज्यादा फीस छात्रों से न ली जाय, इस बात का ध्यान सरकार रखती है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि महाविद्यालय चल रहे है उसके लिए चूँकि प्राईवेट क्षेत्र में चल रहे है इसलिए मैनेजमेण्ट करता है, लेकिन मान्यवर यह सरकार का दायित्व बनता है कि जो सरकारी महाविद्यालय हों या अनुदानित महाविद्यालय या निजी क्षेत्र के स्ववित्त पोषित महाविद्यालय है, में शुल्क के नाम पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है वहां पर छात्रों का शोषण होता है, छात्रों का ही शोषण नहीं होता है बल्कि जो वहां शिक्षक पढ़ाते हैं डेलीवेजेज की तरह शिक्षकों को किसी को एक हजार रुपये किसी को डेढ़ हजार रुपये दिये जाते हैं जो कि पी0एच0डी0 फर्स्ट क्लास लोग हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, भले स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम है, लेकिन प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए,

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं, वह कहें?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय चल रहे हैं, क्या सरकार वहां पर शिक्षकों को, क्या मानदेय मिले उसका मानक और छात्रों से क्या शुल्क लिया जाय, उसका मानक निर्धारित करेगी? और अगर सदन की एक समिति बना दी जाय, पांच-सात सदस्यों की जो उनका निरीक्षण कर ले जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जहां तक स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की बात है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नही कर सकती है, सुझाव दे सकती है, निर्देश दे सकती है यह तो कर सकती है लेकिन उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है, लेकिन एक प्रतिबन्ध लगा दिया है कि इतनी इमारत हो या शिक्षक पूरे हो, तभी कालेज को हम एन0ओ0सी देंगे। जहां तक यह कहना कि इनको रुपया इतना देना है तो वह तो असंवित है और इनसे असंवित शिक्षा शुल्क लिया जाता है और इससे इन्जीनियरिंग और एमबीबीएस में बहुत बडा लाभ हुआ और आज भी मैं समझता हूँ कि कम से कम बाहर के प्रदेशों में अभी भी हमारे प्रदेश का पैसा जा रहा है खासतौर

से इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में अकेले मेरठ मण्डल का इतना पैसा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बाहर, तभी मैंने असेवित विद्यालय खोलने की व्यवस्था की थी। आप तो शिक्षक है, आप सब जानते हैं, असेवित का हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि शिक्षक पूरे हो, इमारत पूरी हो, गुणवत्ता हो, इसका हम ध्यान रखेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम स्वपोषित और असेवित महाविद्यालयों के शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने के बारे में वहाँ के प्रबन्धतंत्र को मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम सुझाव दे सकते हैं, कह सकते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब आप उद्योगों में न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र को प्रभावित करने के लिए अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते है तो इसमें क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष-

अध्यापकों को इसमें छूट है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरुप जो शिक्षित अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र के शोषण से बचाने के लिए, भले ही आप सीमित भूमिका निर्वहन करें, उसे आप करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का यह प्रश्न है क्या श्रम कानून इन विद्यालयों पर लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, श्रम कानून को इसमें लागू नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, महाविद्यालयों का प्रबन्धतंत्र शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान में शोषण न करें, इसलिए चेक के माध्यम से शिक्षकों को वेतन देने का नियम बना दिया गया है। पहले यह होता था कि वे लोग कुछ पैसे दे देते थे लेकिन हस्ताक्षर पूरे पैसे पर करा लेते थे। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गयी है। मान्यवर, कालेजों को जो फीस मिलती है उसकी आधे के आधार पर शिक्षकों को वेतन का वितरण किया जाता है। इसलिए हम कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकते है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जब स्वपोषित इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में व्यवस्था हो सकती है तो इसमें क्यों नहीं हो सकती है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, निजी क्षेत्र में आज उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि सारी शिक्षा व्यवस्था सरकार नहीं चला पायेगी। सारे विश्व में यह व्यवस्था है। मान्यवर, सरकार किसी प्रस्ताव को मानकों के अनुरुप पाये जाने के उपरान्त एन0ओ0सी0 जारी करती है। लेकिन एक कठिनाई है वह यह कि आपके

द्वारा एन0ओ0सी0 जारी होने के बावजूद भी एक स्तर और है जहाँ पर साल भर तक फाइल अनुमोदन हेतु लंबित पडी रहती है। जिस कारण जो अपेक्षाएं है वह पूरी नहीं हो पाती है। गौर साहब, जब मंत्री थे तब वह इस संबंध में एक संशोधन लाये थे लेकिन वह अभी तक लंबित है। जब मान्यवर, सम्बद्ध विश्वविद्यालय सारी औपचारिकताएं पूरी कर दे और आपके अधिकारी निरीक्षण कर ले और एन0ओ0सी0 जारी करने से पहले वे सारे मानकों को देख लें और संतुष्ट हो जाए उसके बाद कोई रुकावट न हो क्या सरकार इस तरह का कोई संशोधन लाने पर विचार करेगी ताकि सरकार की सहमति मिलने के बाद उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को अनुमति मिल जाय?

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि सारे मानक पूरे होने पर भी अनुमति नही मिलती है और वह प्रस्ताव लंबित रहता है बहुत दिनों तक। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं फिर वह लंबित न रहे।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, अगर कोई महाविद्यालय सारे मानक पूरे कर लेता है और निरीक्षण मण्डल अगर संतुष्ट हो जाता है तो कालेज को एडमिशन की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन कहीं-कहीं यह हुआ है और खासकर पिछली सरकारों में हुआ है कि एन0ओ0सी0 दे दी और कालेज को परमीशन दे दी और फिर यह शिकायत मिली कि उन्होंने मानकों को पूरा नहीं किया था। कही पर बिल्डिंग पूरी नही बनी है या कालेज का नाम नहीं है। योग्य टीचर्स नहीं है या यू0जी0सी0 मानको के अनुसार नही है। ऐसे मामलों की जांच करायी गयी और जब देखा गया कि मानक पूरे नहीं हुए हैं तो वहाँ क्लास की परमीशन नहीं दी गयी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं वतर्मान सरकार की बात करता हूँ कि इसमें सारे मानको के पूरे होने के बाजवूद एन0ओ0सी0 दे दी गयी लेकिन मामला अभी तक लंबित है।

श्री अध्यक्ष-

आप एक-दो दृष्टांत दे दीजिए ताकि वह जांच करा ले।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के 18 महाविद्यालयों का प्रकरण लंबित है, सरकार के द्वारा एन0ओ0सी0 जारी करने के बावजूद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार इस पर विचार करे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, बाजपेयी जी, वह भी बतायें कि वह रुका, कहां है?

श्री अध्यक्ष-

बताइये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह आपको भी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष-

यह कुलाधिपति के यहाँ रुकता है या कुलपति के यहाँ रुकता है यह आप बताइये कि दो ही परमीशन देते हैं कुलाधिपति या कुलपति तो यह कहाँ रुका है?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कुलपति के यहां से फाइल आती है, शासन में फाइल आती है और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ से एनओसी जारी होती है उसके बाद जब सारी औपचारिकताएँ पूरी हो गयी और शासन संतुष्ट हो गया, मान्यवर, इसी सरकार की बात कह रहा हूँ इसके बावजूद भी उसकी पत्रावली रुक जाय...

श्री अध्यक्ष-

कहाँ रुक जाती है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या उस कानून में संशोधन करने पर विचार करेंगे आपको संशोधन करना चाहिए कि उसका एप्रोवल मिल जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, कोशिश करेंगे कि इस तरह का विधेयक इसी सदन में लायें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने पूछा कि यह किस स्तर पर रुका है तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह सरकार बताये कि मैं बताऊँ। शासन में भी अनुश्रवण करने की व्यवस्था है यह मामला है 1992 का जिनकी स्थाई मान्यता रही संस्तुति किया, संदर्भित कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार का संशोधन इसी सदन में लायेंगे, है क्या तो आप बैताइये?

(श्री जगदम्बिका पाल के बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

पाल जी अगर निकाला जाय तो जितने प्रश्न होते हैं, उसमें आपको अधिक समय मिलता है। आप दूसरा प्रश्न लेने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि इसी सत्र में संशोधन विधेयक लायेंगे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ तो क्या उस पर विचार करेंगे जिसको उन्होंने खुद स्वीकार किया है जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय है...

श्री अध्यक्ष-

अब वह तो जवाब आ गया आप फिर उसी को घुमाकर ला रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मुझको सुन लीजिए अगर इरिलीवेन्ट होगा तो निकाल दीजिएगा।

स्ववित्तपोषितों को कोई पैसा सरकार नहीं देती है न ग्रान्ट इन एड देती है, न भवन के लिए और न कुछ देती है। उसे कहीं सहायता मिल सकता है तो यूजीसी से मिल सकता है लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन किसी भी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को तब अनुदान देने पर विचार करती है, जब उसके पास 12 जी का प्राविजन हो और 12 जी के प्राविजन में वह कहते हैं कि अगर महाविद्यालय स्ववित्तपोषित भी है तो कम से कम चाहे एक रुपया का भी आर्थिक सहायता अनुदान राज्य के द्वारा होगा तभी वह 12 जी देने पर विचार करेंगे तो क्या उस संशोधन में स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उन महाविद्यालयों को भी कुछ चाहे भवन निर्माण के लिए या किसी बात के लिए कुछ व्यवस्था हो जाय?

श्री अध्यक्ष-

अब हो गयी बात, अब आने दीजिए जवाब। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आपका कहना यह है कि हमें अगर यूजीसी ग्रान्ट लेनी है तो एक रुपये का ही चाहे टोकेन अनुदान है चाहे सरकार भवन बनाने के लिए हो चाहे किसी के लिए तभी हमें वहाँ से मिलेगा क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, विचार कर लेंगे।

विद्यालयों से स्वकेन्द्रीय परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने पर विचार

*4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार विद्यालयों से स्वकेन्द्रीय परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न किया है कि स्वकेन्द्रीय परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने पर क्या सरकार विचार करेगी? यह हमारे सामने प्रश्न उठाने का विचार क्यों आया? मान्यवर, मेरे पास एक विद्यार्थी आया था।

श्री अध्यक्ष-

विद्यार्थी आया तो उससे सवाल से क्या मतलब है?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मतलब बता देंगे। सुन लीजिए, कार्यवाही से निकाल दीजिएगा। वह मार्कशीट लेकर आया, मार्कशीट बहुत अच्छी थी. अंक बहुत अच्छे थे। वह उसको अटेस्ट कराने के लिए आया था। मैंने उससे मार्कशीट के बारे में पूछा तो उसने कहा विधायक जी, भगवान का शुक्र है...

श्री अध्यक्ष-

आप एक छात्र की जानकारी पर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आप पूरी बात तो सुन लें। उसने कहा कि भगवान का शुक्र है कि अभी नकल कराने वाले शिक्षक मौजूद है इसलिए अच्छी मार्कशीट मिल रही है। जब यह स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त हो जायेगी, उसके बाद कौन नकल करायेगा?

श्री अध्यक्ष

आप क्या चाहते हैं?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरी चिन्ता यह है कि आज शिक्षक वर्ग के अन्दर एक धारणा बन गयी है कि स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली के कारण [illegible] की गुणवत्ता घट रही है और मार्कशीट अच्छी मिल रही है। इसलिये मेरा सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली लाने की आवश्यकता क्यों हुयी और इसको लाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता गिर रही है तो क्या इसे समाप्त किया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने का सवाल है तो इसका तो कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर शिक्षा में गिरावट आई है तो मैं बताना चाहूँगा कि जिन विश्वविद्यालयों या डिग्री कालेजों में हम लोग पढ़े हैं, वहीं हम लोगों के सेंटर थे। चाहे लामार्ट हो, चाहे सी0एम0एस0 हो, जहाँ लड़के पढ़ते है, वहाँ वही शिक्षक है और वही छात्र हैं। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि सेंटर बनाने के लिए एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, हमने उसको समाप्त कर दिया। जब हमें पता चला और हमारे वरिष्ठ साथियों ने बताया कि इसके लिये रूपया इक्ट्ठा होता है, तो मैंने उसी दिन प्रमुख सचिव, शिक्षा से बात करके उसी वक्त उसे खत्म कराया और उन लोगों को वह रूपया वापस करना पड़ा। इस चीज का खूब स्वागत भी हुआ था। जहाँ तक नकल का सवाल है, कुछ कालेज ऐसे हैं, जो नकल कराते हैं, उन पर नजर है। आप भी नजर रखें। यहाँ बहुत से लोग हैं, जो कालेज चलाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखें। कम से कम मुझे तो लगता है कि एक तिहाई से ज्यादा विधायकों के कालेज चल रहे हैं, या वह उनमें हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली बनी रहेगी लेकिन नकल रोकी जायेगी। आप भी इसको रुकवाइये।

(श्री राम प्रकाश त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, अब इस पर क्या पूछेंगे, इस पर सारी बातें हो चुकी हैं।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, बहुत कम शब्दों में कहेंगे। बच्चों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ लेकिन मान्यवर, अभी एक शासनादेश निकला था कि सुपरिटेंडेंट अधीक्षक वह बनाये जायेंगे जो वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परीक्षा में अधीक्षक [illegible]कीय कालेज के या मान्यता प्राप्त विद्यालय के ही शिक्षक बनाये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, अब हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिपाठी जी यह जानना चाहते हैं कि कोई शासनादेश जारी हुआ है कि वित्त विहीन विद्यालयों के जो प्रिंसिपल हैं वह वित्त विहीन विद्यालयों में सुपरिटेंडेंट बनाये जायेंगे, जबकि अभी तक परम्परा थी कि वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उसके सुपरिटेंडेंट नहीं होते थे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, हम इसको पता कर लेंगे, उसके बाद बता पायेंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उच्च न्यायालय का आदेश है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

मान्यवर, मेरे अनुभव से एक ऐसा कारगर तरीका है, जिससे नकल बहुत हद तक रोकी जा सकती है। नकल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कक्षा-10 से पहले ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है, जिससे कमजोर बच्चे अगली कक्षा में जाने से रोके जा सकें। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सभी के सामने है। यह वास्तविकता है कि कक्षा-9 में जो बच्चे दाखिला लेते हैं, उसमें ग्रामीण अंचल के बहुत से बच्चे ऐसे नहीं होते, जिनको कक्षा-9 में प्रवेश दिया जाए। इसलिए मान्यवर, या तो कक्षा-9 से पहले कोई प्रवेश परीक्षा ली जाए या फिर कक्षा-8 की परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तरह ली जाए, जैसा कि पहले होता था। इससे जो बच्चे आधुनिक शिक्षा में आयेंगे, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और उनके स्तर की परीक्षा पहले से हो जाएगी। इसके लिए मैं एक प्रमाण भी देता हूँ कि कक्षा-10 का परीक्षाफल हमेशा कक्षा-12 के परीक्षाफल से नीचे आता है, क्योंकि कक्षा-10 की परीक्षा वही बच्चे पास होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस प्रस्ताव पर वह विचार करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आप भी बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं और हम भी वही परीक्षा दे करके आये हैं, निःसंदेह वह व्यवस्था बहुत अच्छी थी लेकिन पता नहीं वह परिस्थिति कैसे बदल गई। अगर पहले वाली व्यवस्था चलती रहती तो शायद स्थिति इतनी गम्भीर नहीं होती। आपका सुझाव अच्छा है, हम इस पर विचार करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों को खोलने एवं चलाने की जानकारी

*5-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा केन्द्र खोले गये थे? क्या इस प्रकार के शिक्षा केन्द्रों को खोलने एवं चलाने की विधिक मान्यता प्राप्त की गयी थी? यदि नहीं, तो इस प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन चार विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा केन्द्र खोले गये थे :-

(1) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

(2) महा0 ज्यो0 फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

(3) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।

(4) चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

जी नहीं।

सम्बन्धित कुलपतियों को श्री कुलाधिपति द्वारा पदच्युत कर दिया गया है। अन्य अर्न्तग्रस्त कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि विधिक मान्यता जिनको नहीं मिली थी, ऐसे चार विश्वविद्यालय हैं 1. वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, 2. महा0 ज्यो0 फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, 3. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी और 4. चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। मान्यवर, इन चारों विश्वविद्यालयों में इन्होंने दूरस्थ शिक्षा केन्द्र खोले थे, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि चारों विश्वविद्यालयों में कितने शिक्षा केन्द्र चल रहे थे और कितने विषयों में शिक्षा केन्द्र चल रहे थे?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 677 दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे, महा0 ज्यो0 फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में 131 दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 104 दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की शिकायत नही थी परन्तु अन्य अनियमितताओं के कारण वहाँ के कुलपति पर कार्यवाही की गयी।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये दूरस्थ शिक्षा केन्द्र कितने वर्षों से और कितने विषयों में चल रहे थे? पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सबसे अधिक दूरस्थ शिक्षा केन्द्र थे और 4 से 6 विषयों में चल रहे थे। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि ये केन्द्र किस वर्ष से चल रहे थे, कम से कम एक ही विश्वविद्यालय का बता दें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में किस वर्ष से ये केन्द्र प्रारम्भ हुए थे?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, ये अनियमित और अवैध रुप से दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे, बिना परमीशन के चल रहे थे। हम विषय वार सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि हम सूचना उपलब्ध करा देंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, हम प्रश्न देते हैं 3-4 महीने बाद नम्बर आता है। आप दूसरा अनुपूरक नहीं पूछने दे रहे हैं। मान्यवर, हम पुन: जानना चाहेंगे, हमने इसलिए वर्ष पूछा था कि वर्तमान सरकार शिक्षा के बारे में बहुत चिन्तित है। एक विश्वविद्यालय के अन्दर 677 दूरस्थ शिक्षा केन्द्र बिना मान्यता के अवैध ढंग से चल रहे थे। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम श्री राज्यपाल जी को कि उन्होंने इसकी जांच करायी और जिन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के केन्द्र चल रहे थे वहाँ के कुलपतियों को बर्खास्त किया। कुलपति किसी विश्वविद्यालय का एक ऐसा सम्मानीय पद होता है कि उसमें एकेडेमिक और प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए। आज सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। विश्वविद्यालय के अन्दर कुलपति ऐसा बने जिससे विश्चवविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था नियमित चल सके, क्या इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था बनाने पर विचार करेगी? आपने उत्तर में यह कहा कि अन्य अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कार्यवाही करेंगे और यह कब तक पूरी होगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह आपको पता है कि क्या हो रहा है, जो कुलपतियों की चयन समिति है उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम कुलपतियों पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार की राय ले तो बेहतर से बेहतर वाइस चांसलर हो सके। यह कुलाधिपति पर है, हम भी निवेदन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या इस प्रकार के विधान में संशोधन करेंगे?

श्री लालजी टण्डन (नेता विरोधी दल)-

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और 3-4 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत गम्भीर है। वाइस चांसलर वहाँ पर किसी प्रकार का दंगा कराकर उन लोगों को निकालना चाहते हैं। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी नीयत उसको भरने की है जिससे कुछ धन प्राप्त हो जायेगा। मैं चाहूँगा कि उन कर्मचारियों की रक्षा हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पर नियुक्तियों में न होने पाये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपका सुझाव है तो मैं कोशिश करूँगा और आज ही वाइस चांसलर से बात करूँगा।

प्रदेश में निरन्तर घटते जल स्तर को देखते हुए पट गये तालाबों व कुओं को पुन: खुदवाने की योजना

*6-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर घटते जल स्तर को देखते हुए पट गये तालाबों व कुओं को पुन: खुदवा कर जल संचयन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

गिरते हुए भूजल स्तर की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत कई कार्य कराये जाते हैं, जिसमें तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना भी सम्मिलित है। जहाँ तक कुओं की सफाई का प्रश्न है, गिरते हुए भूजल स्तर से इसका कोई संबंध नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में

---

*नोट:- नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

राज्य सरकार द्वारा तालाबों एवं अन्य रिजार्च पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है तथा इस संबंध में निम्न निर्देश एवं व्यवस्थाऐं की गई हैं :--

(अ) (i) प्रदेश में घटते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिजार्च कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ii) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की दृष्टि से अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नए तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(v) प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिग हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की "कार्यकारी समिति" का गठन किया गया है।

(vi) वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों का समन्वय एवं अनुश्रवण करने हेतु भूगर्भ जल निदेशालय को "नोडल एजेंसी" तथा शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग" घोषित किया गया है।

(vii) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत एक्शन प्लान तैयार करने, विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने हेतु तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय "तकनीकी समन्वय समिति गठित" की गई है।

(viii) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरुकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में "भूगर्भ जल दिवस" शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ix) नवीन वर्गीकरण द्वारा भूजल उपलब्धता की दृष्टि से 20 जनपदों में सूचीबद्ध कुल 50 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों के न्यायपंचायतवार वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज संबंधी एक्शन प्लान बनाये जाने हेतु संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

(ब) शासन के उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न संबंधित विभागों यथा-लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, कृषि विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग आदि द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मार्च, 2005 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3343 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1862 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण किया जाना प्रस्तावित हे, जिसके सापेक्ष अक्टूबर, 2005 तक 634 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन आवास विकास परिषद एवं 19 विकास प्राधिकरणों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अक्टूबर 2005 तक 96 नए/विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों में ग्राउन्डवाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, आजाद नगर भिलावां आलमबाग, लखनऊ में फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्रों की पर कार्यवाही की माँग

1-डा0 विनोद तिवारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन प्राइमरी पाठशाला, आजाद नगर, भिलावां आलमबाग, लखनऊ में फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्रों के आधार पर कार्यरत रहने सम्बन्धी उक्त विद्यालय के प्रबन्धक का पत्र दिनांक 24 अक्टूबर, 2004 जो जिलाधिकारी, लखनऊ को तथा मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ का पत्र संख्या 3687 दिनांक 23-11-04 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो नहीं?

श्री किरन पाल सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) लखनऊ का पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

जॉच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक खण्ड-32 जनपद आजमगढ़ में माइनरों व नहरों में सिल्ट की सफाई व प्राप्त धन की जानकारी

2-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-32, जनपद आजमगढ़ में माइनरों व नहरों में सिल्ट की सफाई का कार्य वर्ष 2000 से 2005 के बीच कब-कब कराया गया है? क्या यह सत्य है कि मात्र कागजों पर कार्य दर्शाकर सारा धन अधिकारियों/कर्मचारियों ने हड़प लिया है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच व भौतिक सत्यापन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में अल्पिकाओं/नहरों के सिल्ट सफाई कार्य वर्ष 2000 से 2005 में प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर व दिसम्बर के मध्य कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण की माँग

3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में कुल कितने शिक्षक मानदेय पर कार्यरत है? क्या सरकार उन शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुल 114 शिक्षक मानदेय पर कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में कुल 59 शिक्षक मानदेय पर कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानदेय पर रखे गये अध्यापकों को विनियमित किये जाने की कोई नीति नही है।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की माँग

4-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण बालिकाओं को शिक्षा हेतु दूर जाना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में विद्यालय कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में बालिकाओं को शिक्षा हेतु 06 मान्यता प्राप्त बालिका विद्यालय संचालित हैं।

राजकीय बालिका विद्यालय खोलने की वर्तमान में कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वयक के चयन में अनियमितता की जाँच

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वयक के चयन में बरती गयी अनियमितता की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-3/164784 दिनांक 15-9-04 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? जांच के परिणाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जाँच में समन्वयक के चयन में अनियमितता नहीं पाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पालीटेक्निक कालेज एवं प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की माँग

6-श्री भगेलू राम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालीटेक्निक कालेज एवं प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत समूह "क" एवं "ख" वर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2005, दिनांक 12 मई, 2005 जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुसार समूह "क" व "ख" के अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 2005 में किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जारी स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2005 दिनांक 12 मई, 2005 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2005-06 जारी की गयी है।

जी नहीं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में समूह क एवं ख के अधिकारियों को स्थानान्तरण से संबंधित उक्त स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-2 व 3 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दयानन्द इण्टर कालेज महानगर, लखनऊ में मान्यता प्राप्त विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में छात्राओं के प्रवेश व दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

7-श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दयानन्द इण्टर कालेज, महानगर, लखनऊ में मान्यता प्राप्त विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में वर्ष 2004-2005 में कितनी छात्राओं को प्रवेश दिया गया था? क्या ऐसी छात्राओं को वर्ष 2005-2006 की परीक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ 562 छात्राओं को प्रवेश दिया गया था।

जी नहीं।

जिन विषयों में विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की गई उन विषयों में छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यह विद्यालय कक्षा-10 तक शासकीय सहायता प्राप्त तथा इण्टरमीडिएट की वित्तविहीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है। जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्र दिनांक 14-11-2005 द्वारा प्रधानाचार्या को चेतावनी निर्गत की गयी है तथा इस प्रकार के सभी विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्र दिनांक 20-10-2005 द्वारा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति के साथ प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ के अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान का प्रकरण

8-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ के अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने एवं अवशेष वेतन आदि का भुगतान करने विषयक प्रकरण शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? क्या यह सत्य है कि यह प्रकरण दिनांक 23-3-05 को नियम 301 के अन्तर्गत विधान सभा में मा0 विधायक छेदीराम जी द्वारा उठाया गया था, परन्तु उक्त प्रकरण का निस्तारण आज तक नही किया गया है? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कर कार्यवाही करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नही।

वेतन का कोई एरियर बकाया नहीं है। सितम्बर 2000 से पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है। केवल दिसम्बर 2000 से अगस्त 2003 के मध्य पड़ने वाली वेतन वृद्धियों की धनराशि बकाया थी शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान अपने श्रोतों से करने के लिए प्रधानाचार्य, उ0प्र0 सैनिक स्कूल को निर्देशित कर दिया गया है।

नियम 301 की सूचना का उत्तर मा0 विधायक श्री छेदी राम जी को दि0 30 मई 2005 को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

9-श्री राम करन आर्य-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

10-श्रीमती विद्या चौधरी-

[दिनांक 17-2-2006 के अता0प्र0सं0-146 द्वारा उत्तरित]

11-श्रीमती विद्या चौधरी-

[दिनांक 17-2-2006 के अता0प्र0सं0-147 द्वारा उत्तरित]

12-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[दिनांक 2-2-2006 के अता0प्र0सं0-98 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में वीर बहादुर राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन का प्रस्ताव

13-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0, एम0एस0-सी0 एवं एम0काम0 की कक्षाओं के संचालन हेतु शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक स्नातकोत्तर की कक्षाओं के संचालन का प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति तथा वर्तमान में प्रश्नगत महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु पदों के सृजन के लिये विभागीय आय-व्ययक में कोई प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद महाराजगंज के राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा मे विज्ञान वर्ग की प्रयोगशाला का निर्माण कराकर विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य

14-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा, जनपद-महराजगंज मे विज्ञान वर्ग की प्रयोगशाला न होने के कारण एवं अध्यापकों के अभाव में विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य बन्द कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त कालेज में विज्ञान वर्ग की प्रयोगशाला का निर्माण कराकर विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणाधीन है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

उक्तवत।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2005 की उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में नकल के मामले में पकड़े गये कालेजों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

15-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 की उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में नकल के कितने कालेजों में मामले पकड़े गये थे तथा कितने कालेजों में परीक्षा के दौरान भारी अनियमिततायें पायी गयी थी? उन कालेजों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2005 में कुल 2848 परीक्षा केन्द्रों पर नकल के केसेज पकड़े गये तथा प्रदेश में कुल 125 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान अनियमिततायें पायी गयी।

जिन 125 परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पायी गयी उन पर तत्समय गतिमान परीक्षा को निरस्त कर जनपद मुख्यालय स्तर पर पुर्नपरीक्षा करायी गयी और ऐसे विद्यालयों को काली सूची में डालते हुये परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है साथ ही विद्यालय के दोषी केन्द्र व्यवस्थापकों/अध्यापकों के विरुद्ध परिषद विनियमों के अध्याय-तीन (सेवा की शर्तें) के विनियम 53 तथा 54 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में मछलीगाँव-अलगटपुर बांध हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिये जाने की जानकारी

16-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मछलीगांव-अलगटपुर बांध हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है? यदि हा, तो कब? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बचतों के माध्यम से पुनर्विनियोग के द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, जिसके उपरान्त इस प्रकरण में देय भू-प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

गंगा प्रसाद छक्कू लाल हा0से0 स्कूल पकरियापुर, कन्नौज के शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन के भुगतान की जानकारी

17-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त गंगा प्रसाद छक्कू लाल हा0से0 स्कूल पकरियापुर, कन्नौज के शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

विद्यालय अनुदानित न होने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के विकास खण्ड हसेरन के ग्राम सादिकपुर में विद्यालय के निर्माण कार्य में धन के दुरुपयोग व दोषियों को दण्डित करने की माँग

18-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज के विकास खण्ड हसेरन के ग्राम सादिकपुर (सकतपुर) में विद्यालय के नवनिर्मित भवन को दि0 28-5-2005 को अत्यन्त घटिया निर्माण होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा गिरवा दिया गया था? यदि हां, तो क्या धन के दुरुपयोग के दोषियों को दण्डित कर सरकार उक्त भवन का निर्माण पुन: करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

विद्यालय भवन का निर्माण मानक के अनुरुप न कराये जाने के कारण जिलाधिकारी, कन्नौज के आदेश दि0 26-5-05 के द्वारा अनियमित भवन निर्माण ध्वस्त करा दिया गया।

विद्यालय के भवन निर्माण प्रभारी श्रीमती राम किशोरी, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सकतपुर को निलम्बित कर दिया गया है। विद्यालय के निर्माण में दुरुपयोग हुई धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं भवन निर्माण प्रभारी को नोटिस जारी की जा चुकी है। धनराशि की वसूली कर विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्य महिला डिग्री कालेज वाराणसी के सेवानिवृत्त तबला संगीतकार की पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में पत्र

19-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य महिला डिग्री कालेज, वाराणसी के सेवानिवृत्त तबला संगतकार की पेंशन का निर्धारण एवं उसका भुगतान कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 05 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (केन्द्रीय) से सम्बद्ध चार महाविद्यालय राज्य सरकार से पूर्ण रुपेण सहायता प्राप्त महाविद्यालय नही है और वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा 47.5 प्रतिशत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 47.5 प्रतिशत तथा महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा 5 प्रतिशत व्यय वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा आनुपातिक रुप से पेंशनरी व्यय भार वहन किए जाने पर पेंशन स्वीकृत की जानी है। महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र ने पेंशनरी व्यय भार वहन करने में असमर्थता व्यक्त की है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अभी तक उनके द्वारा दिये जाने वाले अंशदान के संबंध में सहमति नहीं दी है, जिसके कारण श्री

कामेश्वर नाथ मिश्र, तबला संगतकार (सेवानिवृत्त) आर्य महिला डिग्री कालेज वाराणसी के पक्ष में जारी पी0पी0ओ0 निरस्त कर दिया गया है और मामले में महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आनुपातिक अंशदान प्राप्त होने पर इनके पेंशन का निर्धारण एवं उसके भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रबन्धतंत्र से पेंशनरी अंशदान प्राप्त न होने के कारण।

जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जिलों के मध्य बहने वाली बेसो नदी की सफाई एवं गहरा करने की योजना

20-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर आजमगढ़ गाजीपुर जिलों के मध्य बहने वाली बेसो नदी के किनारे आजमगढ़ जनपद के ठेकुमा एवं मार्टीनगंज ब्लाकों के अन्तर्गत स्थित ग्राम कोहरौली तथा अन्य सैकड़ों ग्रामों की फसलें डूब जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बेसो नदी की सफाई एवं गहरा करने हेतु कोई योजना बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

21-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों के रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रधानाचार्यों के पदों के प्रति चयन की प्रक्रिया पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के कारण अवरुद्ध है। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया त्वरित गति से गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर में आमंत्रित मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10 की निविदाओं में की गई धांधली की जांच सम्बन्धी पत्र

22-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-132191/2005, दिनांक 22-09-2005, जो मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर मे आमंत्रित की गयी निविदाओं में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में है, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में सिंचाई अनुभाग-3 के पत्र संख्या-111सी0एम0/05-27-सि0-3-05टी/05, दिनांक 9-11-05 द्वारा प्रमुख अभियंता, (सिविल) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को यह निर्देश दिये गये कि वे प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायें। शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य अभियंता मध्य गंगा नहर परियोजना, अलीगढ़ द्वारा अपने पत्रांक-13437/मुअमगनप/सी-14/ जांच, दिनांक 21-11-05 द्वारा अधीक्षण अभियंता, उपरी गंगा नहर आधु0 मण्डल, बुलन्दशहर के जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में इन्दिरानगर से दाऊदपुर होकर रुस्तमपुर जाने वाली नहर के अनुसरण रख एवं रखाव व्यय धनराशि

23-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में इन्दिरा नगर से दाऊदपुर होकर रुस्तमपुर जाने वाली नहर के अनुरक्षण तथा रख रखाव हेतु कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं? गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त मद में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

श्री मुन्ना सिह चौहान-

गोरखपुर महानगर से इन्दिरानगर से दाऊदपुर होकर रुस्तमपुर जाने वाली नहर रामगढ़ ताल के पश्चिमी किनारे से निकली थी इसका निर्माण वर्ष 1954 में हुआ था। शहर के विस्तार के साथ यह पम्प नहर वर्ष 1974-75 में बंद कर दी गयी है। अतएव इसके अनुरक्षण एवं रख रखाव के लिये कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राम अजोर चौरसिया व चन्द्र भूषण शाह इण्टर कालेज आसपुर देवसरा के भवन निर्माण व पेयजल हेतु हैण्ड पम्प तथा शौचालयों की व्यवस्था की जानकारी

24-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राम अजोर चौरसिया राजकीय इण्टर कालेज, पट्टी एवं चन्द्र भूषण शाह इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा के भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण करा दिये जायेंगे? क्या उपरोक्त कन्या विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प एवं शौचालयों की व्यवस्था करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश संख्या-1496/15-10-2004-7घो0/01, दिनांक 31-3-2005 द्वारा दोनों विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है। विद्यालयों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हाई स्कूल के भवन में कक्षा कक्षों की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाता है। प्रश्नगत दोनों विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर भवन निर्मित है तथा कक्षा कक्षों की उपलब्धता के आधार पर ही इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया गया है। अत: उक्त उच्चीकृत इण्टर विद्यालयों को अलग से भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपलब्ध भवनों में पेय जल एवं शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुई में आरक्षित पदों के सापेक्ष कार्यरत अनियमित अध्यापकों के प्रकरण की जांच

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुई, पट्टी प्रतापगढ़ में आरक्षित पदों के सापेक्ष कार्यरत अनियमित अध्यापकों के प्रकरण की जांच शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा वर्ष 2004 में की गयी थी? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

1-शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

श्री माधव प्रसाद शुक्ल के विषय में दिये गये अनुमोदन को वापस लेने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जाय।

2-श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल द्वारा योजित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-05-1998 को निष्प्रभावी कराने की कार्यवाही की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

26-श्री राम नरेश यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के कतिपय गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव

27-श्री राम नरेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2003-2004, 2004-2005 में प्रश्नकर्ता द्वारा फूलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में किन-किन दस गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिए गए थे? उनमें से किन-किन गांवों में भवन निर्माण कराया जा चुका है तथा शेष भवनों का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्ष 2003-04 में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 7 ग्रामों क्रमशः खुरासो, खेमीपुर, अभयपुर, बलईपुर, खौरुद्दीनपुर, बाहुद्दीनपुर एवं भूखलीपुरा नरसिंह (संशोधित) के प्रस्ताव दिए गए थे। उक्त ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन पूर्ण हो गए हैं और विद्यालय संचालित हैं।

वर्ष 2004-05 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु ग्राम-आंधीपुर, नरपतपुर इब्राहिमपुर, मकसूदिया, हेवती, कलाफतपुर, छितौना, कल्हौरा खेमकरनपुर, सूखीपुर, कटार एवं बीवी गंज प्रस्तावित किए गए थे। उक्त प्रस्तावित ग्रामों में से जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा 3 ग्राम क्रमशः आंधीपुर, मकसूदिया एवं हेवती चयनित किए गए। उक्त तीनों ग्रामों में विद्यालय भवन पूर्ण हो गए हैं तथा विद्यालय संचालित हैं।

प्रस्तावित शेष ग्राम वर्ष 2005-06 में चयन की कार्यवाही में हैं। ग्रामों के चयन के उपरान्त भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जाने हेतु गाँवों में भवन निर्माण पूरा कराने सम्बन्धी जानकारी

28-श्री राम नरेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जाने हेतु किन-किन गांवों में भवन निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्ताव भेजे गये थे? उनमें से किन-किन गांवों में भवन निर्माण करा दिये गये तथा कितने गांवों मे शेष हैं? शेष गांवों में भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्ष 2003-04 में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में 5 ग्रामों क्रमशः खेमकरनपुर, फूलपुर, देहात, दातापुर, पीठापुर एवं वनहर मय चक गजड़ी (संशोधित) का प्रस्ताव दिया गया था। उक्त समस्त ग्रामों में विद्यालय निर्माण पूर्ण हैं तथा सभी विद्यालय संचालित हो गए हैं।

वर्ष 2004-05 में 7 ग्रामों क्रमशः मिश्रौलिया, अमगिलिया, सिकन्दर पट्टी, जाफरपुर कथकान, तिवरिया कला, गुमकोठी एवं गालिवपुर के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें से जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा 4 ग्राम चयनित किए गए थे। ग्राम मिश्रौलिया, अमगिलिया, सिकन्दर पट्टी, एवं जाफरपुर कथकान में से ग्राम अमगिलिया में निर्माण कार्य अपूर्ण है, शेष सभी ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन पूर्ण हो गए हैं।

वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित किए गए 7 ग्रामों में से शेष 3 ग्रामों क्रमशः तिवरिया कला, गुमकोठी तथा गालिवपुर वर्ष 2005-06 में चयन की कार्यवाही में हैं।

ग्रामों के चयन के उपरान्त भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज बासगांव में स्वीकृत प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

29-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में प्रधानाचार्य तथा प्रवक्ता के कुल कितने पद स्वीकृत है तथा कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

कुल 06 पद स्वीकृत हैं जिसमें 05 पद रिक्त हैं।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों व 500 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित करने का प्रस्ताव

30-श्री अनुग्रह नारायण सिह उर्फ खोखा सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? क्या यह सही है कि 500 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित करने संबंधी प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुदानित करती है। वर्तमान में प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में एकल अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी

31-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं? ऐसे एकल अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं?

श्री किरनपाल सिंह-

प्रदेश में कुल 15685 प्राथमिक विद्यार्थी में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं।

उक्त एकल प्राथमिक विद्यालयों में 24,12,415 छात्र अध्ययरत हैं।

इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में एम0बी0ए0 के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के शिक्षण शुल्क की जानकारी

32-श्री राम शंकर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में एम0बी0ए0 के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से इस वर्ष क्या फीस माफी/वापसी तथा छात्रवृत्तियों के फार्म जमा करने से मना किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त वर्ग के छात्रों से फार्म जमा कराकर उन्हें फीस कब तक वापस कर दी जायेगी तथा कब तक छात्रवृत्तियां दे दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में एम0बी0ए0 के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से प्रवेश के समय कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया गया है, अत: वापसी का प्रश्न नहीं उठता। छात्रवृत्ति हेतु इनके आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं समाज कल्याण विभाग से जैसे ही इस मद में धनराशि प्राप्त होगी, संबंधित छात्र/छात्राओं को वितरित कर दिया जायेगा।

इलाहाबाद, आई0ई0आर0टी0 संस्था में विगत 6 महीनों में की गई नियुक्तियों की जानकारी

33-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 6 महीनों के अन्दर आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद में किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गयी है? इन पदों पर अलग-अलग कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे? क्या चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद एक सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्था है, जिसमें डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विगत 06 महीनों के भीतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में किसी भी पद पर नियुक्तियां नहीं की गयी है। जबकि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के 08 पदों (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग के 03, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के 01, इन्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 02, गणित के 01 तथा मैनेजमेंट एवं प्रोफेशनल कम्यूनिकेशन के 01) तथा लैब टेक्नीशियन के 05 पदों (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग के 02, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के 02 तथा इन्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 01) पर नियुक्तियां की गयी हैं।

प्रवक्ता कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग के रिक्त पदों के लिए 44, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के 90, प्रवक्ता इन्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 46, प्रवक्ता गणित के 30 तथा प्रवक्ता मैनेजमेंट एवं प्रोफेशनल कम्यूनिकेशन के लिए 41 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार लैब टेक्निशियन में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग के रिक्त पदों के लिए 35, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के लिए 22 तथा इन्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई प्रवक्ता ग्रेड की परीक्षा व साक्षात्कार में हो रही अनियमितताओं की जांच

34-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-10-2005 जो उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गयी प्रवक्ता ग्रेड परीक्षा एवं साक्षात्कार में हो रही अनियतिताओं की जांच कराने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता है।

गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के बस क्लीनर श्री अनिल कुमार के वेतन भुगतान का प्रकरण

35-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के बस क्लीनर के पद पर कार्यरत श्री अनिल कुमार को माह सितम्बर, 2003 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी के वेतन का भुगतान करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल कुमार, बस क्लीनर माह सितम्बर, 2003 से सेवा में नहीं हैं।

लखनऊ मण्डल में माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी कक्षा की शिक्षिकाओं को पदोन्नति का लाभ

36-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं की शिक्षिकाओं को क्या इण्टरमीडिएट संशोधित अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पदों पर स्नातक वेतनक्रम में पदोन्नति दिये जाने की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो अब तक कितनी शिक्षिकाओं को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा इन शिक्षिकाओं को पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश दिनांक 25-11-2005 प्रख्यापित हो चुका है।

उक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार की जायेगी।

नियमानुसार परीक्षणोपरान्त लाभ प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर मुमताजाबाद में कार्यरत अध्यापकों व अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के नियुक्ति की जांच कराने की मांग

37-श्री राम करन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा क्षेत्र पूरा जनपद-फैजाबाद के प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर मुमताजाबाद में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं तथा इस विद्यालय में कितने अध्यापक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में मानक के विपरीत एक अतिरिक्त शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर ली गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर मुमताजाबाद विकास खण्ड पूरा जनपद-फैजाबाद में कुल 117 छात्र अध्ययनरत हैं तथा प्रधानाध्यापक सहित 2 अध्यापक एवं 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

38-डा0 अजय कुमार-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों पर सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि व पढ़ाई के स्तर सुधारने की कार्य योजना

39-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रतिवर्ष एक बच्चे पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? क्या इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

आय-व्ययक के प्राविधानानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं पर प्रतिवर्ष रु0 2992-00 प्रति छात्र व्यय होता है।

जी हां।

भारत सरकार के सहयोग से सर्वशिक्षा अभियान की योजना संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने हेतु निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1- शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों की भर्ती।

2- मानकानुसार प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा-मित्रों की स्वीकृति। प्रति विद्यालय दो शिक्षा मित्र।

3- सेवारत शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवारत प्रशिक्षण।

4- शिक्षा-मित्रों का सघन प्रशिक्षण।

5- पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण एवं नि:शुल्क वितरण।

6- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था।

7- विद्यालयों के भौतिक परिवेश में सुधार, शौचालय, पेयजल व्यवस्था।

8- बी0आर0सी0, एन0पी0आर0पी0सी0आर0सी0 की स्थापना।

9- शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करना।

10- सतत व्यापक मूल्यांकन।

11- कम्प्यूटर शिक्षा।

12- पाठ्येत्तर क्रिया कलाप, पर्यावरण शिक्षा।

13- शिक्षकों को टी0एल0एम0 ग्रान्ट।

14- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था।

15- बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान एन0पी0जी0एल0 तथा कस्तूरबा गांधी योजना।

16- बाल मजदूरों की शिक्षा।

17- प्राइमरी विद्यालय की बालिकाओं को ड्रेस की नि:शुल्क व्यवस्था।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 12 तक निर्धारित शारीरिक शिक्षा शुल्क में सरकार द्वारा परिवर्तन

40-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा कक्षा 6 से 12 तक कितना शारीरिक शिक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है? क्या निर्धारित शारीरिक शिक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

क्र0सं0	कक्षा	शुल्क प्रतिमाह
1-	6 से 8	2 रुपये
2-	9 से 10	2 रुपये
3-	11 से 12	3 रुपये

शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

41-श्री अशोक सिंह चौहान-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच

42-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लगभग 5 करोड़ तथा 2001-02 में 4.69 करोड़ एवं वर्ष 2003-04 में 4.97 करोड़ एवं वर्ष 2004-05 में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत सामग्री क्रय, प्रचार प्रसार तथा अन्य अनुमन्य कार्यों को जनपद-प्रतापगढ़ के 17 ब्लाकों में खर्च न कर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक 3.96 करोड़ का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ को सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए वर्ष 2000-01 में रु0 1.06 करोड़, वर्ष 2001-02 में रु0 0.21 करोड़, वर्ष 2003-04 में रु0 4.24 करोड़ तथा वर्ष 2004-05 में "शून्य" इस प्रकार कुल रु0 5.51 करोड़ की धनराशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। जहाँ तक निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत सामग्री क्रय, प्रचार-प्रसार तथा अन्य अनुमन्य कार्यों पर खर्च न करने का प्रश्न है इस संबंध में शिकायत सीधे भारत सरकार को प्राप्त हुई थी। जिस पर भारत सरकार द्वारा मार्च, 2005 में निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, भारत सरकार को जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच कराई जा चुकी है। जांच के फलस्वरुप मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के छात्रों हेतु शारीरिक शिक्षा की अनिवार्यता

43-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के छात्रों हेतु क्या शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में उसके मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इण्टर कालेजों में पंचम वेतन आयोग की विसंगति को दूर करने की मांग

44-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के वेतन में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार विसंगतियां हैं? यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के चयन की प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग-अलग है। राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य समूह "ख" के राजपत्रित अधिकारी हैं तथा पदोन्नति होकर निदेशक स्तर के अधिकारी बन सकते हैं जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य शासकीय अधिकारी नहीं हैं तथा प्रधानाचार्य के पद से ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अत: इनके वेतनमान की एक दूसरे से तुलना उचित नहीं है।

जनपद महराजगंज के गांवों को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत द्वारा विद्युतीकरण किये जाने के निर्णय की जानकारी

45-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री कृपया बतायेंगे कि बजट सत्र, 2005-2006 में किये गये उल्लेख के अंतर्गत जनपद महाराजगंज में कौन-कौन से गांव अतिरिक्त ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण किये जाने योग्य पाये गये हैं तथा इनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 में किन-किन गांवों को अतिरिक्त ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है? उक्त विद्युतीकरण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री बाबूलाल (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार)-

जनपद महाराजगंज में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों द्वारा कोई भी ग्राम वर्तमान में विद्युतीकरण किये जाने योग्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के वर्ष 2005 में परीक्षा केन्द्रों पर नकल कराने सम्बन्धी प्रकरण

46-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 की परीक्षायें प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुई तथा कितने केन्द्रों पर नकल के मामले पकड़े गये? प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा सुपरिन्डेन्ट तथा कक्ष निरीक्षकों को नकल कराने में संलिप्त पाया गया तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कुछ जनपदों में सामूहिक नकल की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र किया जा रहा है।

इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 ईमानदार कर्मचारियों के उत्पीड़न की सी0बी0आई0 जांच

47-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-2005 एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 6-3-2005 जो कि क्रमशः मुख्य मंत्री एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद को सम्बोधित है, जिसमें मूल पत्र गायब कर बिना मुख्य मंत्री के हस्ताक्षर के कूटरचित अभिलेख तैयार कर ईमानदार कर्मचारियों के उत्पीड़न की सी0बी0आई0 जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार जांच करायी गयी है? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रकरण में सी0बी0आई0 जाँच का औचित्य नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को विकास एवं निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि

48-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्रदेश के किन-किन अशासकीय महाविद्यालयों को विकास एवं निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है? वित्तीय वर्ष 2004-2005 में प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिये कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी? उनमें विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

असेवित क्षेत्र में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा महाविद्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की महाविद्यालयवार सूची संलग्न है। अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण तैयार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में उक्त योजनान्तर्गत रु0 220.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत हो गयी थी। अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण तैयार किया जा रहा है।

कार्य प्रगति पर है।

जनपद बलिया के ग्राम अखोप से कुण्डैल तक नहर की पटरी को पिच स्तर तक निर्मित कराने की माँग

49-श्री राम करन आर्य-

क्या सिंचाई मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत निकली नहर जो ग्राम अखोप से कुण्डैल तक जाती है, की एक पटरी पिच स्तर तक निर्मित होना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या सरकार धन उपलब्ध कराकर उक्त नहर की पटरी को पिच स्तर तक निर्मित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा में गंगा जल आपूर्ति निर्धारण किये जाने की मांग

50-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में कितनी मात्रा में गंगाजल की आपूर्ति किया जाना निर्धारित किया गया है? 1 अगस्त, 2005 से 31 अगस्त, 2005 तक प्रतिदिन कितनी मात्रा में गंगाजल की आपूर्ति की गयी? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जल आपूर्ति कम हुई? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

(देखिए नत्थी 'क' आगे 115 पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुन्ना सिह चौहान-

ऊपरी गंगा नहर पर निर्मित डासना रेग्यूलेटर से नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को 50 क्यूसेक्स जल दिया जाना निर्धारित है।

दिनांक 1-8-05 से 31-8-05 तक प्रतिदिन 30 क्यूसेक्स जल की आपूर्ति नोएडा को की गयी।

जी नहीं। चूंकि 50 क्यूसेक्स जल नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवस विकास परिषद को निर्धारित है। अत: 30 क्यूसेक्स जल अकेले नोएडा को दिया गया है जो कि उनकी मांग के अनुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों व कुओं की सफाई एवं जल संचय की व्यवस्था

51-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल में घटते जल स्तर को देखते हुए क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित तालाबों व कुओं की सफाई एवं मरम्मत कराकर जल संचय की व्यवस्था करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शाकिर अली-

गिरते हुए भूजल स्तर की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है जिसके अंतर्गत कई कार्य कराये जाते हैं, जिसमें तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना भी सम्मिलित है। जहाँ तक कुओं की सफाई का प्रश्न है, गिरते हुए भूजल स्तर से इसका कोई संबंध नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा तालाबों एवं अन्य रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है तथा इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें एवं निर्देश निर्गत किए गये हैं:-

(अ) (i) प्रदेश में घटते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल श्रोत, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं परम्परागत जल श्रोतों की पुरानी स्थिति बहाल करने हेतु समस्त जल श्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की दृष्टि से अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किए गये हैं।

(iii) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत एक्शन प्लान तैयार करने, विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने हेतु तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति गठित की गई है।

(ब) नवीन वर्गीकरण द्वारा भूजल उपलब्धता की दृष्टि से आगरा मण्डल के 05 जनपदों में सूचीबद्ध कुल 11 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों के न्याय पंचायतवार वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज सम्बन्धी एक्शन प्लान बनाये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

(स) शासन के उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आगरा मण्डल के अन्तर्गत यथा-आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, मैनपुरी जनपदों में विभिन्न सम्बन्धित विभागों यथा-लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निमार्ण कराया जा रहा है। आगरा मण्डल में कुल 922 तालाबों को मार्च, 2005 तक विकसित किया जा चुका है तथा वर्ष 2005-06 में रुपये 213.53 लाख की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 107 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष अक्टूबर, 2005 तक रु0 38.44 लाख व्यय करके 48 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग

52-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में आलू पर आधारित उद्योग पापड़, चिप्स, आलू का आटा आदि के लिये कोई उद्योग स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू लाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा प्रदेश में आलू पर आधारित प्रश्नगत उद्योग लगाए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की परियोजनाओं के निजी उद्यमियों के प्राप्त प्रस्तावें पर प्रदेश सरकार की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अनुदान स्वीकृत कर उक्त उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा अतारांकित प्रश्न संख्या-48 है।

श्री अध्यक्ष-

पहले निधन के निदेश ले लेने दीजिए। वैसे अगर कोई उत्तर में गलती हे, तो नियमावली है।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उदयभान सिंह, श्री दयाल दास भगत, श्री राम स्वरुप गुप्त, श्री सचदेव सिंह, श्री हबीबुर्रहमान आजमी, श्री सुरजू राम, श्री जगपत सिंह के निधन पर शोकोद्गार

(श्री मोहम्मद इरशाद खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, मैं निधन का निर्देश ले रहा हूँ। कृपया अपने सदस्य को समझा दीजिए वह बैठ जाएं। निधन के निर्देश पहले हो जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उदयभान सिंह का 10 दिसम्बर, 1965 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे।

श्री उदय भान सिंह का जन्म 25 नवम्बर, 1905 को हुआ था। उन्होंने काल्विन तालुल्केदार्स कालेज, लखनऊ से शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री उदय भान सिंह वर्ष 1953 के उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र डलमऊ (पूर्व) जिला रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री उदयभान सिंह ने वर्ष 1943-1949 तक डिस्ट्रिक बोर्ड रायबरेली के एजूकेशन कमेटी के चेयरमैन के पद को सुशोभित किया था। उन्होंने सामाजिक, शैक्षिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री उदयभान सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दयाल भगत दास का दिनांक 1 मई, 1966 को निधन हो गया।

श्री दयाल दास भगत वर्ष 1937, 1946 व 1952 में निर्वाचित क्षेत्र घाटमपुर-भोगनीपुर, जिला कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री भगत संविधान सभा के भी सदस्य थे।

श्री दयाल दास भगत ने वर्ष 1921 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रुप से भाग लिया था।

श्री दयाल दास भगत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम स्वरुप गुप्त का 20 अगस्त, 1968 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे।

श्री राम स्वरुप गुप्त का जन्म वर्ष 1896 में हुआ था।

श्री राम स्वरुप गुप्त वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण) जिला कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री राम स्वरुप गुप्त ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रुप से भाग लेकर वर्ष 1921, 1930, 1932 तथा 1942 में जेल यात्राएं की थी। श्री गुप्त शुरु से कांग्रेस से संबद्ध रहे। उन्होंने श्री राम स्वरुप ग्राम उद्योग इन्टर कालेज एवं महाविद्यालय खुलवाया था। वे उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के सचिव तथा कानपुर ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष एवं डिस्ट्रिक बोर्ड की शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। उन्होंने अपनी समस्त भूमि आचार्य विनोबा भावे को दान में दी थी। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री गुप्त के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सहदेव सिंह का 31 जनवरी, 1992 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे।

श्री सहदेव सिंह का जन्म 5 जुलाई, 1914 को ग्राम सोंगरा, पोस्ट सोंगरा, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 एवं शास्त्री की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री सहदेव सिंह वर्ष 1953 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र जलेसर-एटा (उत्तर), जिला एटा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री सहदेव सिंह जिला कोआपरेटिव फैडरेशन के डायरेक्टर/उपाध्यक्ष रहे थे एवं लगभग 34 वर्ष तक भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी के सचिव भी रहे ।

श्री सहदेव सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हबीबुर्रहमान आजमी का 16 मार्च, 1992 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे।

श्री हबीबुर्रहमान आजमी का जन्म 1902 में हुआ था। उन्होंने फारीख, हदीस, कुरान, फेकह एवं अदब की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री हबीबुर्रहमान आजमी वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिणी), तत्कालीन जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री हबीबुर्रहमान आजमी प्रारम्भ से ही कांगेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। वे शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने उर्दू एवं अरबी भाषाओं में कई पुस्तकों की रचना की तथा अनेक निबन्ध लिखे। वे कई मुस्लिम संस्थाओं के सदस्य थे।

श्री हबीबुर्रहमान आजमी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरजू राम का 06 जनवरी, 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे।

श्री सुरजू राम का जन्म 1910 में हुआ था। उन्होंने एस0के0पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ से शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री सुरजू राम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ (उत्तर) जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री सुरजू राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगपत सिंह का 15 जन, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष के थे।

श्री जगपत सिंह का जन्म 31 जुलाई, 1910 को हुआ था। उन्होंने डी0ए0वी0, कानपुर से शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री जगपत सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र नरैरी, जिला बांदा से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री जगपत सिंह कई शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध रहे। वे रीजनल स्पोर्ट्स कौंसिल के संचालक भी रहे थे। वे अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, जनपद बांदा के प्राचार्य के पद पर रहे थे। साहित्य के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री जगपत सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

निधन की सूचना विलम्ब से देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पूर्व सदस्यों के निधन पर उन्हे राजकीय सम्मान दिये जाने की मांग

श्री मुन्ना सिंह चौहान (सिंचाई मंत्री)-

अध्यक्ष जी, इसमें देर में सूचना देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उस पर हम देखेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में कहना है।

श्री अध्यक्ष-

सन्देश दे लेने दीजिये।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में कहना है। मान्यवर, इस तरह से देर से सूचना मिलना इस सदन के प्रति अवमानना है। इस सदन के उन माननीय सदस्यों के प्रति अवमानना है, जिनका निधन हुए लगभग 41 वर्ष हो गये और इसके लिये मानयवर, आज किसी एक की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ठीक नहीं है। व्यवस्था में दोष है। मैं इतना आग्रह करूँगा कि आपकी तरफ से कोई नीति निर्देश होना चाहिए कि जिस किसी सम्मानित भूतपूर्व सदस्य का निधन हो उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर नहीं तो अगर आप उसको बढ़ायेंगे तो 72 घंटे के अन्दर उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा आपके कार्यालय में आ जानी चाहिए। अब आज मैं यह नहीं कहता कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो क्योंकि जिनका निधन 1965 में हुआ उस समय जो जिलाधिकारी रहे होंगे वे भी आज की तारीख में नहीं होंगे। यह जरुरी है कि इससे सबक लेना चाहिए और भविष्य में हम हास्यास्पद स्थिति में न आयं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 1965, 1966, 1968 में दिवंगत हुए माननीय सदस्यों के बारे में खोज निकाला। मान्यवर, आप है, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विपक्ष के साथ मिलकर बात कर लें और एक निर्देश आपकी तरफ से हो जायं कि अगर किसी भूतपूर्व माननीय सदस्य का निधन हो जाय तो उसकी सूचना 72 घंटे के अन्दर हर हाल में देनी होगी। जो भूतपूर्व सदस्य हैं उनका अगर निधन हो जाय तो शासन की तरफ से सम्मान उनके अंतिम संस्कार में जरुर होना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्य मंत्री)-

मान्यवर, आप निर्णय लें।

श्री लाल जी टण्डन (नेता विरोधी दल)-

मान्यवर, भरे मन से हम लोग उन भूतपूर्व माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं जिनका निधन हुए 45 साल हो गये हैं। आज इतने वर्षों बाद हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो इस सदन की क्या गरिमा है? क्या महत्व है? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने क्या मजाक बना दिया है। कल हम आप कोई भी न रहे तो इस सदन से यह अपेक्षा तो रहेगी कि मरने के बाद भी हमारे साथी हमको याद करेंगे। लेकिन अगर वे साथी भी चले गये ऊपर और वो व्यवस्था वाले भी चले गये ऊपर और उसके बाद आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पता नहीं आज उनके वंश में भी कोई रह गया है कि नहीं। 40 साल में क्या परिवर्तन हुए? कितनी शर्मनाक बात है। जैसा प्रमोद जी ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह एक परम्परा भी थी और आज भी एक परम्परा होनी चाहिए। जब भी कोई वर्तमान सदस्य दिवगंत होता है तो जिलाधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उसे राजकीय सम्मान...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यहाँ पर यह नहीं। भूतपूर्व हो या वर्तमान माननीय सदस्य है उसके दिवंगत होने पर राजकीय सम्मान की बात है। यह निर्णय हो जाना चाहिए और आप लोगों को करना है। राजकीय सम्मान की बात करिये।

श्री लालजी टण्डन-

राजकीय सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए। इसके बारे में चाहते हैं कि आज आप इस पर निर्णय कर लें। मुख्य मंत्री जी मौजूद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कठोर नियम बनने चाहिए। जो सदन को सूचना देने वाले लोग हैं इसमें जो विलम्ब हुआ है वह जिम्मेदार हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की और शर्म की बात है। आपने इतने पुराने लोग निकाले, आपको धन्यवाद है। जैसा प्रमोद कुमार जी ने कहा, आज भी जो भूतपूर्व विधायक या सांसद हैं, उनकी सूचना नहीं दी जाती है। यह सही नहीं है। इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं कि 48 घंटे से ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। 48 घंटे के अन्दर डी0एम0 को सूचना देनी चाहिए। जहां तक राजकीय सम्मान की बात है, इससे हम सहमत हैं चाहे भूतपूर्व सांसद हो, चाहे भूतपूर्व विधायक हो इसमें निर्णय लें। हम पूरी तरह से सहमत हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी सहमत हैं। नेता विरोधी दल सहमत है तो अलग से बैठकर या तो निर्णय ले लें या इसी को निर्णय मान लिया जाए।

(इसी को मान लिया जाए की आवाजें)

जहां तक कार्यवाही की बात है इसकी जांच करायेंगे किन परिस्थितियों में इतने दिन पेंडिंग रहा दोषियों को दंडित किया जाएगा। 48 घंटे के अन्दर कोई डी0एम0 सूचना नहीं देता है तो उनको सदन में तलब करेंगे।

अब हम दिवंगत आत्माओ के प्रति दो मिनट का मौन रखेंगे।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

राजकीय सम्मान इसी को मान लेते हैं अलग से निर्णय लेने की जरुरत नहीं है। अब कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें लेते हैं

श्री मोहम्मद इरशाद खाँ द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा की माँग

*श्री मोहम्मद इरशाद खाँ-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है कृपया सुन लें। इस सदन में पिछले साल मैंने इसको रखा था मेरे परिवार के साथ एक घटना घटित हुई थी 20-25 लोगों ने घर में घुसकर मेरे परिवार के लोगों को मारा। डकैती और हत्या का प्रयास भी किया। माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी सदन में मौजूद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मेरे साथ यह दुर्घटना घटी थी। मैंने सुरक्षा की मांग की थी मेरे परिवार के लोग दो महीने तक मेडिकल कालेज में जिन्दगी और मौत के बीच झूलते रहे। अभी परसों 15-20 लोग, जहां मैं रहता हूँ वहां तीनों बैल्ट में आता है बाग पड़ते हैं। मैं रात डेढ़ बजे घर लौटा, तब मुझे पता लगा 15-20 लोग मेरे घर में घुस रहे थे उनको मेरे भाई ने देख लिया जिससे झगड़ा हो गया और मेरे परिवार के लोगों की जान बच गई। मुझे जो गनर दिया गया था वह एस0एस0पी0 ने वापस ले लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सदन में आऊँ मेरी हत्या न हो तो मुझे तत्काल सुरक्षा दी जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्य मंत्री)-

आज ही सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री मोहम्मद इरशाद खाँ-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2006 को हुई बैठक में दिनांक 28 फरवरी, 2006 से 17 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रुप में रखे जाने की सिफारिशें की है :-

1- शनिवार, दिनांक 04 तथा 11 मार्च, 2006 को सदन के उपवेशन हों।

2- दिनांक 2 व 7 मार्च, 2006 को सदन के उपवेशन न हों।

3- दिनांक 10 मार्च, 2006 को असरकारी दिवस के स्थान पर सरकारी कार्य लिए जायं।

4- दिनांक 28 फरवरी, 2006 से 17 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

<u>फरवरी, 2006</u>

28 फरवरी

1. निधन के निर्देश।
2. माननीय मुख्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

   "यह सदन मन्त्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।"
3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

   (क) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006- (आधा घण्टा)।

   (ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006- (आधा घण्टा)

   (ग) उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006- (आधा घण्टा)।
4. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्च, 2006

01 बुधवार	।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
02 गुरुवार	।	बैठक नहीं होगी।
03 शुक्रवार	।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
04 शनिवार	।	
05 रविवार	।	बैठक नहीं होगी।
06 सोमवार	।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
07 मंगलवार	।	बैठक नहीं होगी।
08 बुधवार	।	
09 गुरुवार	।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार
10 शुक्रवार	।	एवं मतदान
11 शनिवार	।	
12 रविवार	।	बैठक नहीं होगी।
13 सोमवार	।	
14 मंगलवार	।	(होली का अवकाश)
15 बुधवार	।	
16 गुरुवार	।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
17 शुक्रवार	।	1- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान 2- 3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो0 मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 15 सूचनाएँ प्राप्त हुई। प्राप्त सभी सूचनाएँ स्वीकार की गई।

पहली सूचना, श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के ग्राम कुण्डी कूटी एवं ग्राम जमैथा के सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास हेतु वन विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री पद के प्रत्याशी की हत्या के पश्चात् इलाहाबाद शहर में फैली अराजकता एवं आगजनी के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान की- जनपद फतेहपुर के यमुना तटीय दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित अकारण निरस्त की गई पुलिस चौकियों को पुन:स्थापित करने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना, श्री रिजवान अहमद खाँ की-मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलैट के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हरिद्वारी रोड की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

पाँचवी सूचना, श्री चौधरी महेन्द्र सिंह की है-नहीं है।

छठवीं सूचना, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की- स्वर्गीय कान्स्टेबिल मो0 यासीन की जगह मृतक आश्रित के रूप में दत्तक पुत्र श्री मुनीर को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना, श्री शिशुपाल सिंह यादव की- जनपद एटा में मे0 बी0एम0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लगभग दस लाख लीटर मिट्टी के तेल की कथित कालाबाजारी को रोकने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना, श्री रंगनाथ मिश्र की- दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई, जनपद संत रविदासनगर में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नजर अंदाज करते हुए ड्यूटी लगाने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना, श्री महेश त्रिवेदी की- आयुर्वेद निदेशालय द्वारा जिलों में तैनात आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के बारे में शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना, श्री मदन चौहान की- गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में 33/11 विद्युत वितरण सब स्टेशन पर नया 8 एम0बी0ए0 का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना, श्री रामकरन आर्य की नगर पूर्व बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना, श्री मुंशीलाल गौतम की प्रदेश के बड़े शहरों में भूखण्ड निर्माण के पहले नीचे के बेसमेंट में कार पार्किंग व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर के सुभाष बाजार में खन्दक के पुल का पुन:निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना, श्री सुरेश कुमर खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर के बिसरात घाट पर टापू की सुरक्षा हेतु स्वीकृत साढ़े पांच लाख रूपया की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है।

(स्वीकृत सूचनाएँ पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

जौनपुर के ग्राम कुण्डी कूटी एवं ग्राम जमैथा के सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास हेतु वन विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[जनपद जौनपुर में कई पर्यटन स्थल हैं। उसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र तहसील केराकत का ग्राम कुण्डी कूटी एतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। ग्राम जमैथा तहसील सदन जौनपुर में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम एवं परशुराम जी जन्म स्थली गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके सौन्दर्यीकरण हेतु राज्य सेक्टर से वन विभाग को धन उपलब्ध हो जाय तो इन स्थलों का विकास सम्भव हो सकेगा।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोनों योजनाओं पर धन उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूँ।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामन्त्री पद के प्रत्याशी की हत्या के पश्चात् इलाहाबाद शहर में फैली अराजकता एवं आगजनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर-

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में पोस्टर फाड़ने के विवाद में महामंत्री पद के प्रत्याशी कमलेश यादव की 24-11-2005 को रात्रि में 9.30 बजे के लगभग गोली मारकर हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद उग्र छात्रों ने आई0जी0जोन, डी0आई0जी0रेंज, डी0एम0, एस0एस0पी0 को दौडा लिया।

25-11-2005 को इलाहाबाद शहर में अनेक स्थानों पर तोड़फोड़, आगजनी, चक्का जाम आदि की घटनायें हुई तथा शहर में पूरी तरह अशांति एवं अराजकता का वातावरण फैल गया। पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह घटनाओं का मूकदर्शक बना रहा। हिंसा के तांडव में कोतवाल की जीप फुंकी, कई पुलिस कर्मियों की मोटर साइकिलों में आग लगी, रोडवेज बस अड्डे में तीन ए0सी0 बसों में आग लगी, छात्रसंघ भवन में आग लगी, पेट्रोल पंपों व ट्रकों में तोड़फोड़, पुलिस चौकी में आग लगी, एफ0सी0आई0 गोदाम में आग लगी, रोडवेज की बस फुंकी, दारागंज रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, प्रयाग स्टेशन पर गाड़ी पर पथराव हुआ।

उसी दिन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज सिंह व वहीं के अन्य घरों में आग लगायी गयी। पुलिस एवं प्रशासन के लोग उपस्थित थे, परन्तु किसी ने भी आग लगाने से नहीं रोका। इस स्थान पर 12 लोगों के घर व गाड़ियों में आग लगायी गयी, जिसमें 13 लाख रु0 का नुकसान हुआ। शहर में अराजकता का नंगा नाच होता रहा, परन्तु पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, जोकि गंभीर चिंताजनक है। शासन का ध्यान उपरोक्त घटनाओं की ओर आकृष्ट करते हुए नुकसान हुए घरों, वाहनों की क्षतिपूर्ति करने हेतु आग्रह करता हूँ।

उपरोक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अत: नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।]

---

[1]नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर के यमुना तटीय दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में अकारण निरस्त की गयी पुलिस चौकियों को पुन:स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कृष्णा पासवान-

[जनपद फतेहपुर का यमुना तटीय क्षेत्र अत्यन्त बीहड़ एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 5 वर्ष पूर्व थाना खखरेरू अन्तर्गत परवेजपुर तथा दरियापुर एवं किशनपुर थाना अन्तर्गत नरौली चौकी स्थापित की गयी थी। उक्त चौकियों को अकारण निरस्त कर दिया गया है जिससे इन क्षेत्रों में पुन: जंगलराज कायम हो गया है। वहाँ पर सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर उक्त चौकियों को पुन: बहाल कर स्थापित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुन: पुलिस चौकियां स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलेट के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हरिद्वारी रोड की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान अहमद खाँ-

[जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड-छजलेट के अन्तर्गत हरिद्वारी रोड भगवानपुर[1] सराय खजूरे से होते हुए कई ग्रामों को जोड़ती है। बीबीपुर, छजिपुरा, सीकरी, चौहरा, भसैली जमालपुर, रूस्तमपुर, शेरपुर, टाण्डा, गांवडी, मिल्क मौढ़ी हजरतपुर कांड आदि अनेक ग्राम है। लगभग 50 ग्रामों से होकर गुजरती है। उक्त सड़क की लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है। जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जिससे आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। क्षेत्रीय व्यापारियों एवं राहगिरों में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। उक्त सड़क की मरम्मत के नाम पर विभाग द्वारा गढ्डे को पाटकर पैसा बरबाद किया जा रहा है। सड़क फिर गढ्ढे में तब्दील हो जाती है।

अत: इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने तथा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

स्वर्गीय कान्स्टेबिल मो0 यासीन की जगह मृतक आश्रित के रूप में दत्तक पुत्र श्री मुनीर को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[श्रीमती विल्खीस खातून पत्नी स्व0 कास्टेबल, 266 बी0सी0पी0 मौ0 यासीन जो मोहल्ला चादगुज्जर थाना मंडावर, जनपद विजनौर की रहने वाली है, और इस समय अपने दत्तक पुत्र मुनीर अहमद आजादनगर, आलमबाग, बड़ी मस्जिद के पीछे, थाना कृष्णा नगर, जनपद लखनऊ के आश्रित हो कर रह रही है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती विल्खीस के पति स्व0 मौ0 यासीन का0 266 सी0पी0 की मृत्यु दिनांक 22-3-81 को जनपद सहारनपुर में ड्यूटी के दौरान हो गई थी। श्रीमती विल्खीस खातून व पति स्वर्गीय मौ0 यासीन ने 1973 में मुनीर अहमद को जब यह पैदा हुआ गोद लिया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[1]नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती विल्खीस ने अभी तक किसी को मृतक आश्रित के रूप मे नौकरी के लिये आवेदन नहीं दिये है। केवल दत्तक पुत्र मुनीर को जो बालिग हुआ है को ही नौकरी देने हेतु निवेदन किया जा रहा है। नियम अनुसार उत्तर प्रदेश मुख्यालय इलाहाबाद संख्या-पांच-740/98 दिनांक 21-11-98 दत्तक पुत्र मुनीर का दिनांक 19-3-2004 को शारीरिक मुआयना, नापतोल व मेडिकल दिनांक 24-3-2004 को एस0पी0 सहारनपुर के आदेश सं0 127 दिनांक 18-3-2004 द्वारा कराया जा चुका है तब से अब तक लगातार स्मरण पत्र शासन के भेजने के बावजूद अभी तक नियुक्ति का प्रकरण एस0पी0 सहारनपुर व पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में लम्बित है।

मृतक आश्रित नियमावली 1974 के अर्न्तगत सेवायोजित समस्त प्रावधानों का अनुपालन विभाग द्वारा करा लिया गया है। लेकिन इस के बावजूद मामला अज्ञात कारणों से लम्बित किया जा रहा है, और समय भी अधिक होता जा रहा है। श्रीमती विल्खीस खातून एक गरीब विधवा बेसहारा औरत है।

अत: हम अविलम्बित प्रकरण को तत्काल निस्तरित कराने का कष्ट करें।]

जनपद एटा में मे0 बी0एम0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लगभग दस लाख लीटर मिट्टी के तेल की कथित कालाबाजारी को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

[आपको अवगत कराना है कि जनपद एटा में मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत मिट्टी तेल का थोक विक्रेता मे0बी0एम0 ट्रेडिंग कम्पनी एटा जिस तहसील एटा का मिट्टी तेल का कोटा लगभग 10 लाख लीटर तेल का है जनता द्वारा आम शिकायत है कि राशन डीलरों द्वारा सार्वजतिक वितरण प्रणाली का मिट्टी तेल जनता को नहीं मिलता है राशन डीलरो का कहना है कि, थोक विक्रेता द्वारा हमको तेल का उठान तीन माह में केवल एक बार करता है वह भी पूरा नहीं होता है इस तरह 12 माह में केवल 4 माह ही तेल का वितरण होता है शेष 8 माह का तेल काले बाजारी के माध्यम से मार्केट में बेच दिया जाता है जिसमें आम जनता में काफी आक्रोश है, कई बार जनपद के अधिकारियों को लिखने के बाद भी काले बाजारी द्वारा तेल लगातार बेचा रहा है जो वस्तु गरीब जनता के लिए है, उसको तेल माफियाओं द्वारा हजम किया जा रहा है जिससे आये दिन जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है अत: जनहित में इस पर कार्यवाही कराना अतिआवश्यक है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर जनहित को देखते हुए मे0 बी0एम0 ट्रेडिंग कम्पनी एटा की काले बाजारी को रोकने की मांग करता हूँ।]

दी काशी सहकारी चीनी मिल औराई, जनपद संत रविदास नगर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ड्यूटी लगाने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अनर्गत सूचना

श्री रंगनाथ मिश्रा-

[मैं आपका ध्यान दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई जनपद संत रविदास नगर भदोही में वरिष्ठता एवं पात्रता को नजरंदाज का अनियमित ढंग से डियूटी लगाये जाने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष व जन आंदोलन की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री शिवधारी पाण्डेय उक्त चीनी मिल में सुरक्षा चौकीदार के पद पर वर्ष 1980 में स्थायी किये गये थे। बाद में वर्ष 1985 में अनियमित ढंग से इन्हीं सीजनल बना दिया गया। श्री पाण्डेय वर्ष 1985 से 1995 तक वर्ष भर कार्य लिया जाता रहा। 1995 के बाद इन्हें हटाकर प्राईवेट सिक्योरिटी में रख दिया गया और अब

[नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उससे भी हटा दिया गया है। प्राइवेट सिक्योरिटी को हटाकर होमगार्डों से डियूटी ली जा रही है। स्थायी कर्मियों डियूटी नहीं ली जा रही है।

इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना है कि इनसे कनिष्ठ श्री चन्द्रभान आदि को नियमित ढंग से डियूटी पर रखा गया है। श्री पाण्डेय की जमीन भी चीनी मिल में ले ली गयी थी। उस समय चीनी मिल में भूमि देने वालों को लगातार सेवा में रखने का भी मिल प्रबंध तंत्र द्वारा आश्वासन दिया गया था, उसका भी चीनी मिल के प्रबंध तंत्र द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। श्री पाण्डेय को डियूटी से न पृथक करने व निरंतर वेतन भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिये गये। उसका भी चीनी मिल द्वारा पालन नही किया जा रहा है। यही स्थिति अन्य कर्मियों के बारे में भी है। चीनी मिल के प्रबंध तंत्र के इस प्रकार के व्यवहार से चीनी मिल कर्मियों में गंभीर असंतोष व्याप्त होने के कारण जनआंदोलन की स्थिति व्याप्त है।

उक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री पाण्डेय एवं अन्य कर्मियों के साथ न्यायोचित कार्यवाही किये जाने की मॉग करते हुए न्याय हित एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किये जाने की मांग करता हूँ।]

आयुर्वेद निदेशालय द्वारा जिलों में तैनात आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के बारे में शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेश त्रिवेदी -

[मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ कि शासन द्वारा प्रदेश में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के बारे में स्थानान्तरण नीति जारी की गयी है, जिसके अनुसार कोई भी चिकित्साधिकारी कुल मिलाकर 10 वर्ष तक एक ही जिले में कार्यरत रह सकेगा। जिन चिकित्साधिकारियों की कील मिलाकर 10 वर्ष से अधिक की सेवावधि एक ही जिले में हो गयी है, उन्हें अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित किया जायेगा। इस नीति के प्रभावी रहने के बावजूद कई जिलों में अनियमित एवं पक्षपात पूर्ण ढंग से 10 वर्ष की सेवावधि से ज्यादा तैनात रहने के बावजूद कतिपय चिकित्साधिकारी जमें हुए है और अन्य चिकित्साधिकारियों के साथ भेदभाव कर स्थानान्तरण कर दिया गया है। शासन के इस प्रकार के मनचाहे पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से अन्य चिकित्साधिकारियों में आक्रोश की स्थिति व्याप्त है। इसी संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बलिया जनपद के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर बलिया में तैनात चिकित्सक डा0 शिवानन्द तिवारी कुल मिलाकर 18 वर्षों से तैनात है। उन्हें स्थानान्तरण नीति के अनुसार बलिया से स्थानान्तरित नहीं किया गया जबकि अन्य चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। विभाग के इस अनियमित पक्षपात पूर्ण कार्यवाही से आक्रोश की स्थिति व्याप्त है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित नीति का पालन करते हुए श्री शिवानन्द तिवारी को एक ही जिले में तैनात रखने के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में 33/11 के0वी0 विद्युत वितरण सब स्टेशन पर 8 एम0बी0ए0 का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र गढ़ मुक्तेश्वर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रुप से नही हो पा रही है। अधिक लोड होने से विद्युत आपूर्ति लगातार नहीं है। बल्कि ट्रिपीग अधिक मात्रा में है तथा धीमी है। गढ़ गंगा व पर्यटन स्थल है श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना रहता है। निश्चित रुप से विद्युत आवश्यक है।

अत: गढ़ मुक्तेश्वर कस्बे में 33/11 के0वी0 विद्युत वितरण स्टेशन पर एक नया 8 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

प्रश्न अविलम्बनीय व जनहित में महत्वपूर्ण है।]

नगर पूर्व बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य-

[मेरे विधान सभा नगर पूर्व बस्ती में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर है इस प्रा0 स्वा0 केन्द्र घाघरा एवं कुआनो नदी के मध्य अति महत्वपूर्ण स्वा0 केन्द्र है करीब 2 लाख की आबादी के बीच का यह अस्पताल है यहां पर एक महिला डाक्टर, एक हड्डी डाक्टर 2 सर्जन एवं 2 फिजिशियन डाक्टर की आवश्यकता है मगर एक फिजिशियन डाक्टर है ऐसी हालत में क्षेत्र की जनता को बड़ी परेशानी होती है गर्भवती औरते/महिलायें मर जाती है और गरीब लोग जिला अस्पताल में नहीं पहुँच पाते हैं। जिससे मौतों के शिकार होते हैं यहां पर डाक्टरों की नियुक्ति होना अति आवश्यक है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व है विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के बड़े शहरों में भूखण्ड निर्माण के पहले नीचे के बेसमेन्ट में कार पार्किंग की व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशीलाल गौतम-

[आज पूरे उ0प्र0 में विकास प्राधिकरणों के माध्यम से भवनों के निर्माण कार्य हो रहे हैं जिसमें सार्वजनिक उपयोग हेतु जैसे स्कूल, पार्क, धार्मिक स्थान आदि के लिये जगह छोड़ी जाती है लेकिन कार पार्किंग के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता है। छोटे छोटे मकानों वाले व्यक्ति अपने मकानों के पास कार खड़ी कर लेते हैं जिससे रास्तों में अतिक्रमण रहता है और किसी भी तकनीकी विभाग द्वारा उनकी खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती जिससे आये दिन घटना में घटित होती रहती है। झगड़े विवाद बढ़ते हैं इसलिये विकास प्राधिकरण खुर्जा जिला बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर आदि अनेक जनपदों में देखनें को मिला है कि तकनीकी विभाग की लापरवाही के कारण या अन्य विच्चमता के कारण ठेकेदारों को भवन निर्माण से पहले यह आदेशित किया जाय कि नीचे के बेसमेंट में कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: बड़े शहरों व नहरों में भूखण्ड निर्माण से पहले नीचे के बेसमेंट में कार पार्किंग की व्यवस्था कराने की मांग करता हूँ।]

मेरठ महानगर के सुभाष बाजार में खन्दक के पुल का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर में सुभाष बाजार में खंदक का पुल अपनी आयु सीमा को समाप्त कर 50 बसंत और व्यतीत कर चुका है। लगभग 20 वर्ष से उसमें दीवाल लगा रखी गयी है। कम से कम 50 हजार लोग दिन भर में उसके ऊपर सड़क से व नीचे गुजरते हैं किसी समय भी यदि पुल अचानक टूट गया तो अचानक बहुत अधिक जन-धन की हानि होगी। शासन की त्वरित आर्थिक विकास योजना में इसके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव मेरे द्वारा लगभग 30 लाख रुपये के आगणन के साथ शासन को भेजा गया है।

जनहित में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक एवं तात्कालिकता भी है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने की माँग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नवाब सिंह नागर-

[जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक के न बनने से कई-कई कि0मी0 की वाहनों की लाइन लग जाती है जिसमें आने-जाने वालों को कई-कई घंटे लग जाते हैं जब कि यह फाटक ग्रेटर नोएडा, को जी0टी0 रोड से जोड़ता है साथ ही फाटक के साथ रेलवे कन्टेनर बन चुका है इसके कारण भी वाहनों की आवागमन और बढ़ गया है, इसके बारे में पूर्व में भी कई बार इसके बनवाने की मॉग की गयी है, इस संबंध में रेलवे ओवरब्रिज के लिए जमीन भी ली जा चुकी है किन्तु रेलवे विभाग और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बीच अनेक बैठकों के बावजूद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है जिसके कारण तमाम जनता में भारी रोष व असन्तोष व्याप्त है।

अत: इस अति लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरु कराने की माँग करता हूँ।]

शाहजहाँपुर के विसरात घाट पर टापू की सुरक्षा हेतु स्वीकृत साढ़े पाँच लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर के विसरात घाट पर टापू की सुरक्षा हतु बाढ़ नियं9ण (सिंचाई विभाग) उ0प्र0 से इस वर्ष 12.74 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था इसमें से 7 लाख 20 हजार रुपया मिल चुका है जो खर्च की सम्भवत: हो चुका है शेष धन लगभग साढ़े पाँच लाख रुपया ना मिला तो जो भी धन अब तक अवमुक्त हुआ है वह भी बर्बाद हो जायेगा। जनहित में टापू की सुरक्षा हेतु साढ़े पाँच लाख रुपया दिया जाना अति आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर में आपके माध्यम से टापू की सुरक्षा हेतु शेष साढ़े पाँच लाख रुपया दिये जाने की माँग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28-02-2006 को नियम 300 के अंतर्गत कुल सूचनाएँ प्राप्त हुई। कोई भी सूचना सुनी नहीं जाएगी। पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय की प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अवकाश नकदीकरण की बंद की गयी सुविधा को पुन: आरम्भ किए जाने के संबंध में है। इसको मैं अग्राह्य करता हूँ। इससे विधान सभा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे अथवा ग्राम प्रधानों को सम्मिलित करके कराये जाने के संबंध में है। इसका कोई मतलब नहीं है।

ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे अथवा ग्राम प्रधानों को सम्मलित करके कराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगर आप सुन लेंगे और मैं आपको साबित कर सकूंगा तो आप उस पर निर्णय दे दीजिएगा। वह हमें मान्य होगा।

श्री अध्यक्ष-

इस पर काफी बहस हो चुकी है। कोई कानूनी बात हो तो कहिए।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह सदन प्रदेश की समस्याओं और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए बना है। मान्यवर, इस सदन में ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और उसे आपने गम्भीरता से लिया था और सरकार ने केवल यह कहकर कि इसमें कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, इसलिए इसे अग्राह्य कर दिया था। तो मेरा कहना है कि जो चिंता इस सदन ने तब व्यक्त की थी। ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में इधर जो कुछ औरैया, तिलोई ओर पूरे प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे सदन की उस चिंता की पुष्टि हो गयी है। सरकार उस समय उदाहरण मांग रही थी।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे क्यों नहीं कहते कि ब्लाक प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रस्ताव पार्लियामेन्ट में भेजा जाये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस सदन का औचित्य तब रहता है, जब सरकार इस पर विचार करे और ब्लाक प्रमुखी के चुनाव भी सीधे जनता से कराने का विचार करे। मैं इस पर आपके विचार चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर गड़बड़ियाँ हैं, उनका कहना है कि इसे सीधे जनता से कराना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री)-

मान्यवर, यह केंद्र का विषय है इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर माननीय बाजपेयी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। दोनों को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

राज्य सरकार के एक राज्य मंत्री द्वारा डेनमार्क में पैगम्बर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ का नकद इनाम दिये जाने तथा उस व्यक्ति को सोने से तौले जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने नियम-300 के अंतर्गत सूचना दी थी। संविधान की व्यवस्था मैं पढ़ देता हूँ। मान्यवर, संविधान के आर्टिकल-164 में उपधारा-2 मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होगा। और दूसरी बात मान्यवर, संविधान की तीसरी अनुसूची में भाग-5 में जो शपथ लेते हैं विधान सभा के माननीय सदस्य के रुप में और एक मंत्रि मण्डल के सदस्य के रुप में उसको मैं पढ़ देता हूँ।

किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारुप-मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। यह मैंने तीसरी अनुसूची को कोट किया है और आर्टिकल 164 को कोट किया है। अब मैं अपनी सूचना पर आता हूँ। मान्यवर, 17 फरवरी को एक सार्वजनिक स्थल पर एक जलसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा यह घोषणा की जाती है- डेनमार्क में जो पैगम्बर मोहम्मद साहेब के कार्टून बनाने वाले का जो सर कलम....

(हाजी याकूब द्वारा खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। पहले बात तो पूरी हो जाने दें। माननीय सदस्य आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। तो मैं यह कह रहा था कि पैगम्बर मोहम्मद साहेब के कार्टून को बनाने वाले का जो सर कलम करके या कत्ल करके...

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में भी आपकी सूचना है आपको उसमें नहीं बोलने दिया जायेगा। मैं तो यह कह रहा था कि 311 में आया है लिया जायेगा, टण्डन जी ने कहा कि वही बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि जो उनका सर कलम करके या कत्ल करके लायेगा उसे इक्यावन करोड़ रुपया और सोने से तोला जायेगा। एक तरफ सरकार लगातार संविधान की दुहाई देती है वहीं दसूरी तरफ माननीय मंत्री जी, जो इस समय सदन में मौजूद भी है, उनके द्वारा इस प्रकार का फतवा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जारी किया जाता है। जो लोकतंत्र में संविधान की शपथ लेने के बाद इस बयान और फतवे का क्या औचित्य है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र का मामला है इसमें किसी को भी बोलने दिया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जब नियम 56 में चर्चा होगी तब आपको मौका दिया जायेगा। आप भी वहीं बातें कहेंगे जो खन्ना जी ने कही थी। इससे क्या फर्क पड़ जायेगा? सत्य प्रकाश जी आप बैठ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री)-

मान्यवर, इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बयान मंत्री जी ने इनके क्षेत्र में दिया है इसलिए इनको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ रह रहे हैं। यह संवैधानिक मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री)-

मान्यवर, इसमें चर्चा नहीं हो रही है। एक प्रश्न आया है उसका उत्तर दे रहा हूँ। मान्यवर, हमारी सारी व्यवस्था राज्यों की हो या राष्ट्रीय व्यवस्था हो सारी व्यवस्था संविधान या विधान से जुड़ी है। इसके अलावा कोई बात कही जाती है जो संविधान या विधान की परिधि में नहीं आती है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। मिसाल के तौर पर यह ले लें अक्सर यह सुनने में आता है कि फलां गांव में समस्या खड़ी हो गयी और प्रधान ने कोई फैसला ले लिया तो वह गांव का प्रधान अदालत नहीं है, लिहाजा उसका फैसला न तो लागू होता है और न ही माना जाता है। मान्यवर, कुछ बातें कानून से जुड़ी होती है वह जजबात से जुड़ी नहीं हो सकती है और कुछ चीजें जजबात से जुड़ी होती है वह कानून से नहीं हो सकती। कानून अकल से काम करेगा और जजबात में आप दिल से काम करेंगे। दोनों में अंतर है

एक चीज मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, यह शब्द फतवा, फतवा के सिलसिले में यह बड़ी गलतफहमी है और हमारे खासतौर से मीडया का कुछ ऐसा है वह किसी भी ऐसे शख्स को जिनकी शक्ल किसी आदम आदमी से मुख्तलिफ हो और वह लगता भी हो कुछ लोग चेहरा मलिन हो, दाढ़ी भी हो, लिबास भी हो और यह लगता हो कि यह मुस्लिम है, मुस्लिम ही है, उनके सामने सवाल रख देते हैं और वह अगर कोई सवाल रख देते हैं तो उसका नाम फतवा रख दिया जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है और वह शाहजहांना मस्जिद कहलाती है और है भी। एक फरमान के तहत आज भी उसके इमाम नियुक्त किये जाते हैं, यह अलग बात है कि वहां का

इमाम तन्खहियादार है। तनख्वाह मिलती है उसे। तनख्वाह बहुत कम है, ढ़ाई सौ रुपये मात्र तनख्वाह है वहां के इमाम की। बढ़नी चाहिए, हमने कई बार दिल्ली वक्फ बोर्ड से इसकी गुजारिश भी की है। जब किसी की तनख्वाह कम होती है तो जाहिर है कि इधर-उधर की बातें करता है और फिर वह पद बदनाम होता है। मुझे बड़ी हमदर्दी है और तनख्वाह बहुत कम है उनकी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मंत्री जी की भी कम है उनकी भी बढ़नी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जिस जमाने में हमारे उधर सामने के पक्ष के लोग इस पक्ष में बैठा करते थे और अयोध्या का मामला बहुत शबाब पर था, रामलला हम आयेंगे और मंदिर वहीं बनायेंगे और आपने किया भी, अपनी सत्ता में रहते हुए, उस वक्त जामा मस्जिद के इमाम का फतवा करके पूरे मुल्क में जिसे हम अंग्रेजी में एक शब्द है पैनी क्रियेट कर दिया गया और यह हुआ कि अब यह क्योंकि फतवा कुरान की रू से फतवा लाजिमी है और कौन दे सकता है इस बहस में जाये बगैर उस वक्त के इमाम ने जो अपना एक पोलिटिकल स्टैण्ट था जो अपना सियासी स्टैण्ट था जब वह रखा तो उसे फतवा कह दिया गया। मान्यवर, इस्लाम में फतवा सिर्फ काजी दे सकते हैं और काजी के अलावा कोई इमाम नहीं दे सकते हैं कोई मौलवी साहब नहीं दे सकते हैं, मदरसे के कोई उस्ताद नहीं दे सकते हैं, कोई बहुत अच्छी शक्ल वाला नहीं दे सकता है, मैं किसी वजह से यह नहीं कह रहा हूँ मैं अपने सामने के पक्ष के भाईयों को अगर हमारे यहां भी यह समझदारी नहीं है तो यह बताना चाहता हूँ जानकारी के बतौर कि फतवा हर साहब नहीं दे सकते हैं, फतवा वही दे सकते हैं जो काजी हों, उसकी अलग डिग्री होती है, उसकी अलग मान्यता होती है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है वह 22 साल का नौजवान हो सकता है, वह 25 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है, लिहाजा यह जो प्रश्न रखा गया है, मान्यवर यह फतवा नहीं है, हिन्दुस्तान का या जिन साहब के बारे में यह बात कही गयी है वह काजी नहीं है और जब तक वह काजी नहीं है वह फतवा नहीं है और मान्यवर यह बात बिल्कुल खाली जजबात से जुड़ी है, जाहिर है मजहबी जजबात, आपके सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, हाईकोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजुलेशन था और आपकी सरकार थी उसके बावजूद आपने मस्जिद को गिरा दिया था तो यह मान्यवर बहुत सी चीजें ऐसी होती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सिंह साहब आपने इतना कहा तो वह सुने, अब उनको भी सुनिये, आपने संविधान के तमाम अनुच्छेदों का जिक्र किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात तो कुछ ऐसी हो गयी है कि यह किसी एक धर्म से जुड़ी नहीं रह गयी है। मान्यवर, अखबारों में मैंने भी पढ़ा, टेलीविजन में देखा तो मान्यवर किसी एक पक्ष को न सुना, न एक पक्ष को देखा, एक और धर्म के साहब ने भी 51 करोड़ का एलान किया वह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को

बताते हैं, एक साहब ने अपनी पार्टी के हिसाब से 11 लाख रुपये का ऐलान किया, वह अपने आप को कांग्रेस का बताते हैं।

श्री लालजी टण्डन (नेता विरोधी दल)-

कोई संदर्भ नहीं है, उनका।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं यह समझता हूँ क्योंकि यह खाली जजबात का मामला है और इससे विधान और संविधान का कोई लेना देना नहीं है, चुनांचो जजबात को जजबात की हद तक ही रखा जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल एक स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें स्पष्टीकरण नहीं चलेगा, अब मेरा निर्णय सुने। माननीय हुकुम सिंह जी अब आप इसमें उपेक्षित नहीं रहे, जब आपने नियम-300 में इसे रख दिया और उसका उत्तर आ गया तो अब निर्णय सुन लें।

(व्यवधान)

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है आप खुद विद्वान हैं। आप खुद ही नियम तोड़ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक स्पष्टीकरण पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मंत्री द्वारा यह बयान दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो आपने इसे यहाँ उठाया है कि मंत्री ने कहा है । अब मेरा निर्णय सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह पूरा सरकार का निर्णय है, जो माननीय मंत्री जी ने वहाँ कहा या केवल एक मंत्री का कथन है, यह स्पष्ट हो जाए।

कुवँर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मंत्री सुपारी दे रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हाजी याकूब (अल्पसंख्यक एवं हज मंत्री)-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने एक तो गलत बयानी की है हाउस में कि एक मंत्री की हैसियत से जबकि जिस मंच पर यह ऐलान हुआ है मेरठ की आवाम की तरफ से, उस पर सभी राजनीतिक दल के लोग थे।

श्री अध्यक्ष-

आपने नहीं कहा है, आप बैठिये।

हाजी याकूब-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री की सीट पर जो बैठे थे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उसको देने के बाद भी बाबरी मस्जिद की घटना घटी।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठे। आपने कहा कि आपने नहीं किया है। सब लोग मिल कर किये हैं। आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

कुछ लिखा नहीं जायेगा। किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा।

आप बैठें। मंत्री जी का कहना है कि मैंने नहीं कहा। एक सामूहिक प्रयास था यह।

(घोर व्यवधान के मध्य विरोधी दल के खड़े होने पर)

अच्छा, कुछ लिखा नहीं जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, उन्हें अपनी बात कह लेने दें।

*श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह फतवा नहीं था। हम भी कहते हैं कि वह फतवा नहीं था। फतवा नहीं था तो वह क्या था? वह वही था जो एक अपराधी किसी की हत्या कराने के लिए सुपारी देता है और वह घोषणा करता है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जांए, आलमबदी जी, आप बैठ जांए।

श्री लाल जी टण्डन-

फतवा देने के अधिकार के बारे में जैसा कहा कि वह अधिकार काजी साहबान को है या मुफ्ती साहबान को है। वह फतवा नहीं था। हर कोई आदमी फतवा नहीं दे सकता है, मुसलमान है तो फतवा दे दें? दूसरा अगर कोई कुछ कहता है तो वह फतवा नहीं कहा जा सकता है। तो वह फतवा नहीं था ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमारा मानना है कि वह एक आपराधिक कृत्य था जहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कराने के लिए इतना बड़ा प्रलोभन दिया गया।

(हाजी याकूब के खड़े होने व कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया टण्डन जी को सुन लें। फिर आप अपना जवाब दे दीजिएगा।

हाजी याकूब-

भारतीय जनता पार्टी की क्या रिश्तेदारी है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई बहस का विषय नहीं है। मैं अपना निर्णय दे दूँगा।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, लेकिन यह एक गंभीर विषय है एक मंत्री शपथ भंग करे।

श्री अध्यक्ष-

वही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री लाल जी टण्डन-

संविधान के अनुसार इस तरह से अगर उसने शपथ भंग की है तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, मंत्री परिषद् से। अगर वह केवल हाजी की हैसियत से वह कहीं पर कुछ भी बकें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सदन के मंत्री होने के बाद और मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है और इन्होंने कहा भी है कि मैंने मुख्य मंत्री से बात कर ली है, इस बारे में। अगर मुख्य मंत्री से बात करके यह कहा गया तो यह और भी बहुत गंभीर है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी आप सोचते हैं कि ऐसी बातें मुख्य मंत्री जी से कर ली जायेंगी?

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी अपराधियों से घिर गये हैं। मुख्य मंत्री को बचाइये इन लोगों से।

(हाजी याकूब के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप बैठ जांय। आप क्यों बार-बार उठते हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

अगर सदन के अन्दर जो यह धृष्टता कर रहा है कि हाँ मैंने कहा है,

श्री अध्यक्ष-

यह कहाँ कहा है?

श्री लाल जी टण्डन-

अभी कहा है इन्होंने, इस सदन के अन्दर कह रहा है और इस सदन में मंत्री की हैसियत से बैठेगा। उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं देख लेता हूँ, आप बैठें।

(श्री आलमबदी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

आप बैठ जांय। आप कान में लगा लीजिए तो आप सुनियेगा नहीं तो आप सुनेंगे नहीं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सदन के बाहर किसके द्वारा क्या कहा वह विषय अलग हो सकता था लेकिन उन माननीय सदस्य ने जो राज्य मंत्रि परिषद के सदस्य भी है उन्होंने सदन में कहा जब आपने पीठ से कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ऐसा कहा है। यह सदन की कार्यवाही का अंग है जो सदन में कहा है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, मैं आपसे यह मांग करता हूँ। सदन प्रत्यक्ष साक्षी है, उन्होंने स्वीकार किया है इस सदन की कार्यवाही का भाग है। अब मैं आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूँ कि

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर संविधान की धज्जियां उड़ गयी है। यहाँ पर इस्लामी कानून चलेगा या भारत के संविधान का कानून चलेगा, यह तय होना है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जांय। अब फिर आप खड़े हो गये हैं, क्या आप कहना चाहते हैं?

हाजी याकूब-

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि जो वहाँ पर जलसा था वह राजनीतिक दल का जलसा नहीं था। वहाँ एक हाजी याकूब उस प्रोग्राम में था। और वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था वह मेरठ की आवाम की तरफ से हो रहा था। वह प्रोग्राम कोई राजनीतिक नहीं था। हाजी याकूब वहाँ मंत्री की हैसियत से नहीं थे हाजी याकूब वहाँ एक इमाम वाले की हैसियत से थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की हत्या करते हैं, राम के नाम पर वोट तो मांगते हैं लेकिन देवी देवताओं का सम्मान करना नहीं जानते। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने अपने स्थान पर चलिये। मैंने आपकी बात सुनी सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो रखा, उसको भी सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, मंत्री जी को सुना और तमाम माननीय सदस्यों को सुना। सबकी कार्यवाही भी आई। आज खुद मैं इसको संविधान और यह सब देखकर उसमें क्या हो सकता है, इसकी रुलिंग रिजर्व करता हूँ, कल इस पर रुलिंग दे दूँगा।

अब आप लोग अपने स्थान पर चलिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जहाँ तक इनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, मैं इसको देखूँगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। शपथ का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, मैं यह सब देखकर ही निर्णय दूँगा, अब उसी परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्यवाही होगी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से ही अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

मैं आप लोगों की बातों को गंभीरता से ले रहा हूँ, अब आप लोग अपने स्थान पर चलिये। नेता विरोधी दल कुछ बोलना चाहते हैं, आपके नेता हैं।

(इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, चूँकि आपने जजमेंट रिजर्व कर लिया है और जब आप इस पर अपना जजमेंट देगें, तब हमें जो कहना होगा, वह कहेंगे। लेकिन जो नियम-311 का हमने दिया था, उसको आप सुन लें। जो विधूना में हो रहा है, जो लोग वहाँ होकर आये हैं, उसके ऊपर आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो 311 में सूचना दी थी, उस पर तो काफी डिस्कशन हो गया। आपका कहना राम प्रकाश त्रिपाठी के बारे में है। माननीय टण्डन जी, वह तो काफी सुना गया है।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

अभी जब वहाँ पहुँचेंगे, तो आप कहियेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हमारा भी नियम-56 में था। उसको इसमें जोड़ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

बार-बार जो चर्चा हो गयी, क्या उस पर बार-बार चर्चा होगी? आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह तो नियम-300 में इन्होंने दिया था।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया तो मैंने कहा कि ठीक है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इनका कहना हमारे दल पर लागू होता नहीं है। मान्यवर, हमारे दल ने अलग से सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

एक बार किसी भी विषय पर सुनने के बाद दूसरे नियमों में उसी विषय को उठाने की परम्परा कहाँ है?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप उसी सूचना में मुझे भी सम्बद्ध कर लें और जब भी चर्चा करायें तो मुझे भी सुन लें। माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा, वह स्वयं स्पष्ट है लेकिन इसको लेकर जो साम्प्रादायिक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर मैं काँग्रेस की तरफ से पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, किसी भी मजहब के मानने वाले लोगों के लिये...

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, इस पर जजमेंट रिजर्व हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है, आप अलग से कुछ कहिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अलग से ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिस पर किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिये कि वह साम्प्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न करे। काँग्रेस का मानना है कि यदि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के आराध्य पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी निकले तो निश्चित रूप से उस धर्म के मानने वालों का गुस्सा स्वाभाविक ही है। जिस तरह से मुहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया, उसकी जितनी भी निन्दा की जाये, कम है।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर कार्टून पर आ गये। आप घुमा फिराकर अपनी बात कह ही लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, 51 करोड़ का मामला और कहाँ है।

(संसदीय कार्यमंत्री मंत्री मोहम्मद आजम खाँ के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप जरा बैठ जायें, संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह बड़ी दु:खद बात होगी कि अगर कोई राजनीतिक दल इसको सियासी मुद्दा बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करे। मजहबी दिलीआजारी कितना बड़ा गुनाह है, मजहब से मुराद इस्लाम ही नहीं है, मजहब से मुराद हिन्दू धर्म भी है, सिक्ख धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, मजहबी दिलीआजारी कितना बड़ा गुनाह है। इसलिये कोई राजनीतिक दल उसको खासतौर से तार-तार करके फायदा उठाये, यह ठीक नहीं है। सिर्फ यही नहीं हुआ मुहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया, पूरी दुनिया में मजहबों की तौहीन हो रही है। कृष्ण जी की तस्वीर जिस तरह से हाथ पोछने वाले पर छापी गयी, जिस तरह से दुर्गा जी की तस्वीर के हाथों में शराब की बोतलें दी गई, खुद हिन्दुस्तान ने भारत माता की तस्वीर के साथ जो कुछ हुआ, वह दु:खद है। मजहबी दिलीआजारी किसी एक धर्म की बात नहीं है, यह जज्बात से जुड़ा मामला है। जाहिर है कि अगर किसी हिदू का दिल रोता है और वह इस पर कोई बात आपे से बाहर आकर कह देता है तो मान्यवर, यह जज्बात की बात है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम पर इतना बड़ा हमला होने के बाद जज्बात में आकर कोई बात कह देता है, तो यह जज्बात की बात है। मान्यवर, कौन दुनिया का ऐसा शख्स है जो हजरत मुहम्मद साहब के कार्टून की मजम्मत नहीं करेगा और किसने नही की। भारतीय जनता पार्टी ने भी की, पूरी दुनिया में इसकी निन्दा हुई, पूरी दुनिया में इसकी भर्त्सना हुई। मान्यवर, हम तो यहाँ तक कहने के लिये तैयार हैं कि चाहे वह कृष्ण जी हों, दुर्गा माँ हों या भारत माँ हों, यदि किसी का भी कार्टून बनता है, अगर किसी की भी तस्वीर छपती है या किसी के नाम की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तौहीन की जाती है तो दुनिया को तय करना चाहिये, एक इण्टरनेशनल कानून बनना चाहिये, दुनिया के किसी देश में एक ऐसा मुल्क होना चाहिये जहाँ ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त और दुनिया की सबसे बड़ी सजा देनी चाहिये। यह महज एक धर्म की बात नहीं है। क्या हमें यह अच्छा लगेगा, मान्यवर, आज आपके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। मान्यवर, इसमें आखिरी बड़ी सजा मिलनी चाहिये मजहबी दिलाजारी करने वालों को। यह फैसला पूरी दुनिया को लेना होगा। इसलिये मैंने शुरू में कहा था कि यह किसी राजनीतिक दल के वाह-वाही का मामला नहीं है कि हमारा नाम नहीं आया तो लाईये अपना भी योगदान जोड़ लें। कौन नहीं कार्टून के खिलाफ है? यह अगर आप आज कह रहे हैं तो बहुत देर से कह रहे हैं, यह हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि महजबी दिलीजारी नहीं होनी चाहिये।

(श्री लालजी टण्डन खड़े हुये इसी मध्य नेता सदन भी अपने आसन पर खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी, मा0 नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं। आप कृपया आप बैठ जाईये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय नेता विरोधी दल, बाजपेयी जी और हुकुम सिंह जी से भी निवेदन करेंगे कि यह ऐसा मुद्दा बन गया था जो हिन्दुस्तान क्या सारी दुनिया की मानवता ने उसकी निन्दा की। हम सभी लोग मिलकर

निन्दा करते। आप केवल इस्लाम नहीं चलेगा, इस्तीफा दीजिये, यह राजनीतिक सवाल क्यों उठा रहे हैं? राम, कृष्ण व हिन्दुओं का अपमान हुआ, मुसलमानों का भी हुआ तो हमें एकजुट हो करके, हिन्दुओं ने बकायदा हजरत मुहम्मद साहब के बारे में जो कार्टून छापा गया उसकी निन्दा की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निन्दा की है। आप पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं व सवाल उठा रहे हैं। हम सभी मिलकर, एक सवाल यह हो सकता था कि सदन निन्दा करे। यह तो हो सकता था, लेकिन पार्टी वाइज क्यों इस पर बँट रहे हो? किसका अपमान नहीं हुआ है? सदन निन्दा का प्रस्ताव करे तो यह एक अच्छी बात थी, अच्छी शुरुआत थी, पता नहीं क्यों आ गये वेल में और क्यों वेल में भेजे गये? कहाँ हम अपने स्तर को , विधान सभा के स्तर को ऊँचा करना चाहते हैं, कहाँ ले जा रहे है? हम सब मिलकर निन्दा करते तो सारा विश्व तारीफ करता। सभी धर्मों की जो अवमानना हुई है, उसकी निन्दा करते।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, साम्प्रदायिकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। इस मुद्दे पर साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। अगर हिन्दू देवी-देवताओं के साथ हुआ है तो उनकी भी निन्दा होनी चाहिये, अगर मुसलमान मजहब के लोगों के साथ हुआ है तो उनकी भी निन्दा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, यही बात तो मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें अगर आज सदन निन्दा प्रस्ताव पारित नहीं करता है तो यह आग और फैलेगी इसलिये निन्दा प्रस्ताव आना चाहिये और सबको इससे बाँधना चाहिये, ताकि लोग बाहर कुछ और अन्दर कुछ न बोल बोलें। इसी सदन में निन्दा प्रस्ताव आये और सबकी बात साफ होनी चाहिये। चाहे किसी हिन्दू मजहब के साथ हुआ है या मुसलमान लोगों के मजहब के साथ हुआ है, निन्दा प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

यही बात तो मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, आप बैठ जाइये। इस प्रस्ताव के आने का एक नियम है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अध्यक्ष जी, यही कहा है संसदीय कार्यमंत्री ने इस सदन में कि मजहबी दिलाजारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होनी चाहिये। इस्लाम के बारे में अकेले नहीं, कोई भी मजहब हो, आज मुहम्मद साहब का मामला है, आपके साथ भी कल यही होगा, इसी षडयंत्र में आप भी शामिल हुये, आपके साथ भी षडयंत्र हुआ। यह अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र है हमारे हिन्दुस्तानी समाज को बाँटने की, भारत जो दुनिया का ताकत बन रहा है उसे तार-तार करने की, हिन्दू-मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने की। इसलिये मजहबी दिलाजारी, धार्मिक दिलाजारी किसी भी मजहब के बिना होती है तो उसकी निन्दा होनी चाहिये। यही संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, यही नेता सदन ने कहा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, केन्द्र में, भारत की संसद में निंदा का प्रस्ताव आ चुका है।

श्री अध्यक्ष-

निंदा प्रस्ताव का एक नियम है, उन्हीं नियमों में लाइये, प्रस्ताव पेश कराईये। नियम-103 में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों प्रस्ताव रखते हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जांय आपके दल से प्रमोद तिवारी जी ने सारी बात कह दी है। नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, आप नोटिस को पढ़ लें उसमें मैंने कहीं इस्लाम के बारे में नहीं लिखा है। उसमें उस कार्टून के बारे में कोई जिक्र नहीं है। श्री सुरेश कुमार खन्ना ने नियमावली और संविधान की बात उठायी। एक मंत्री को...

श्री अध्यक्ष-

उस पर आपने ही कह दिया कि जब पीठ से इस पर कोई रूलिंग आयेगी उसके बाद आप अपनी बात रखेंगे।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

उसने कहाँ सुपारी दी है? किसको सुपारी दी है? किसको मारने का कांट्रेक्ट दिया?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी बैठ जायं।

श्री हुकुम सिंह-

सुपारी दी गई कि जो जाकर उसका कत्ल करेगा, उसको 51 करोड़ रूपया दिया जायेगा। यह खुली सुपारी है। इससे ज्यादा सुपारी क्या होगी?

श्री अध्यक्ष-

इस मामले में निर्णय हो चुका है कि इस पर संविधान की धाराओं और नियमावली को देखेंगे उसके बाद निर्णय दिया जायेगा। नेता विरोधी दल ने भी कहा कि हम उसके बाद ही इस पर बोलेंगे। जो निंदा प्रस्ताव लाने की बात है उस पर जब नेता सदन और नेता विरोधी दल सहमत होंगे तभी निंदा प्रस्ताव आ सकता है और उस वक्त चर्चा हो सकती है। निंदा प्रस्ताव नियमावली के नियम 103 के तहत आयेगा और 103, 110 के अन्तर्गत यहाँ से पारित किया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, जो निंदा का प्रस्ताव होगा उसकी भाषा आप देख लें। यह सदन निंदा करता है कि धार्मिक भावनाओं...

श्री हुकुम सिंह-

प्रस्ताव का एक प्रोसीजर है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं केवल भाषा आपको सुना रहा हूँ। आप भाषा देख लीजिये। यह सदन निंदा करता है और गहरी चिंता करते हुये कि धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाने वाली किसी भी साजिश की यह सदन निंदा करता है, चाहे कोई धर्म हो।

श्री लाल जी टण्डन-

यह प्रस्ताव उसी समय आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

इसी लिये नेता सदन ने कहा कि भाषा देख लें।

श्री लाल जी टण्डन-

जब प्रस्ताव यहाँ पेश हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपसे आग्रह किया कि आपकी हमारी बात हो जायेगी। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो संशोधन हो जायेगा। प्रस्ताव कर रहे हैं और पूरा सदन इससे सहमत है कि निंदा प्रस्ताव हो।

श्री लाल जी टण्डन-

मैं तो यह प्रस्ताव नहीं मानता। जब आपने यह व्यवस्था दे दी उस पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया और उसके बाद यह तय हुआ कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बात कर लेंगे, दोनों के हस्ताक्षर उस पर होंगे तब सदन में प्रस्ताव रखा जायेगा। तो मान्यवर, यह प्रस्ताव आपके दफ्तर में बैठकर तैयार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

यह आपके सामने बैठकर आग्रह कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियमावली देखिये। नियम-110 देखिये।

श्री हुकुम सिंह-

जब तक दोनों के हस्ताक्षर न हो जायं तब तक वह सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अगर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आपस में सहमत हो गये हों तो प्रस्ताव कभी भी रखा जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नई-नई परम्परा मत डालिये। पहले भी प्रस्ताव इस सदन में आये हैं। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों के हस्ताक्षर होने के बाद आपके सामने आता है और उसके बाद ही प्रस्ताव प्रस्तुत होता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी आप माननीय नेता सदन ने जो कहा उससे सहमत हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं कभी नेता सदन को टोकता नहीं हूँ। लेकिन कहीं नियमों को इतना न लांघा जाय कि वे पूरे सदन को ही कूद जायं। सदन की कुछ मर्यादायें हैं, नियम हैं उनका अनुपालन होना चाहिये। आपकी रूलिंग से और माननीय नेता सदन की भावना से कोई अन्तर नहीं है लेकिन जब यह तय हुआ है तो वह प्रस्ताव किसी नियम के अन्दर आयेगा दोनों के उस पर हस्ताक्षर होंगे उस पर बातचीत होगी तब ही प्रस्ताव लाया जाना चाहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

कह तो दिया है। यह कह दिया कि हम पढ़ दे रहे हैं। भाषा में हम आपका सहयोग चाहेंगे। कहीं कुछ संशोधन होगा तो देख लेंगे और उसको कार्यवाही में ले लिया जायेगा।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्र आग्रह कर रहा था। बहुत देर से नियमों को पढ़ रहा था। नियम 103 के संदर्भ में नियम 110 के अन्तर्गत शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहीं होता यह नियम महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गौर से देखें तो सदन के जो लोग अमन पसन्द हैं, जो नही चाहते फिरकापरस्ती.

(कई सदस्यो के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपके निर्णय के बाद बोल रहे हैं। आपने स्वयं [illegible] दिया कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर के बाद प्रस्ताव आयेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप बात तो सुनते नहीं हैं। मुझे बोलने तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपको पर्याप्त अवसर मिलता है। आप सुना तो करें। सुनते नहीं हैं आप जितना बोलते हैं उसका दसवांश हम बोलते हैं।

(कई सदस्यो के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx]

(व्यवधान)

---

* वक्ता भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :- [xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप इनको किस नियम के तहत बुलवा रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

ये बोफोर्स के दलाल हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप शान्त रहें। आप अभी आये हैं। पूरी बात नहीं जानते हैं। आप बैठिये राम इकबाल जी। आप सब बैठें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय टण्डन जी, आप सबने कहा किसी के धर्म के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी या प्रतिकूल अपमानजनक बात होती है तो इसकी निंदा होनी चाहिये। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करें। ताकि एक अलग संदेश समाज में, देश और विदेश में जायेगा। इसमें टण्डन जी ने कहा, टण्डन जी से मुख्यमंत्री जी ने कहा बाद में बात कर लेंगे। एक भाषा रख दी, एक प्रस्ताव रख दिया। मुख्यमंत्री जी की सहमति भी हो गई तो अब क्या दिक्कत है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

यह दंगा कराने वाले लोग हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है नेता विरोधी दल का, न काँग्रेस दल, न किसी अन्य दल का, यह भारत की 100 करोड़ जनता का प्रस्ताव है उनकी भावनाओं को आघात न पहुँचे। उनकी प्यार मोहम्बत बनी रहे उनके रिश्तों को कोई खराब करना चाहे तो खराब न हो इसलिए सबने यह फैसला लिया यह राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर स्वीकार करने योग्य था।

श्री इकबाल सिंह-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् मैं चाहता हूँ आप अपनी व्यवस्था दे दें। प्रमोद जी बोल रहे हैं लेकिन खाद्यान घोटालों ....यह बोफोर्स में रहे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप तो अभी आए हैं आप क्या कह रहे हैं। आप बैठें।

हाजी याकूब-

11-12-92 में एक प्रस्ताव किया। कोई देश किसी धर्म पर नही चलेगा। यह 92 में आदेश हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। अभी प्रस्ताव लिखा जा रहा है। तब तक आगे बढ़ते है।

श्री लालजी टण्डन-

मैं विधूना के बारे में कहना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष-

अभी न कहिए।

श्री लालजी टण्डन-

विधूना के बारे में सुन लें। वहां बर्बरता हो रही है। दरवाजे तोड़कर लोगों को घसीटा जा रहा है। दो हजार से ज्यादा बार फायरिंग हुई है। कुछ सदस्य वहां होकर आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सदन में विषय आएगा तो कह दीजिएगा। आप और नेता सदन मौजूद हैं। सदन मर्यादा से रहे। मर्यादा से चले। जो आया है उस पर सुनना है। मुख्यमंत्री जी रहेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

सुन लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सुनाइए।

श्री अध्यक्ष-

विषय आने दीजिए। अब मद संख्या-3 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 02 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 फरवरी, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5, 6 और 7 में कुछ नही है। अब हम मद संख्या-8 ले रहे हैं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

इसमें पहली सूचना राम प्रकाश त्रिपाठी जी की कन्नौज के विषय में है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं पहले बोल लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपका नाम है क्या? पहले तो विषय रखने दीजिए, राम प्रकाश जी को, उनकी सूचना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, कन्नौज संसदीय क्षेत्र में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, मैं उनका वर्णन तो बाद में करूँगा लेकिन इस समय भी विधुना में जो पुलिस का नंगा ताण्डव हो रहा है, माननीय टण्डन जी और केशरी नाथ त्रिपाठी जी आज वहाँ जायेंगे, वहाँ का जो नगर अध्यक्ष अमित मिश्रा है, सूचना दे रहा था, वहाँ लोगों को घरों से खींच-खींच कर पीटा जा रहा है। वहाँ के एक क्षेत्राधिकारी को हटा दिया गया था चाहे भाजपा ने इसके लिए कुछ किया होगा। राम अभिलाष सिंह जो उसका नाम हमें बताया गया है, वह शायद फिर वहाँ पहुँच गया है। वहाँ ताण्डव हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी, इस तरह का जो ताण्डव वहाँ हो रहा है, उसे बन्द कराये। लगभग 500 फायरिंग मरदा में हुई है. 117 मतदाता है लेकिन 131 निकल रहे हैं और उसके बाद भी परिणाम घोषित कर दिया गया। सौरिख में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निकल रहा था तो उसमें स्याही डाल दी गई, तो मान्यवर, यह सब औरैया के विधूना क्षेत्र में हो रहा है। जो कार्य समिति के सदस्य सतीश पाल हैं, उसका भाई और लगभग अन्य 70 लोगों को जिसमें गर्भवती महिलाएँ और बच्चे भी हैं, को गिरफ्तार करके औरैया कोतवाली में बन्द करके पिटाई की जा रही है। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष ने महाना जी को आदेशित किया था और वह आज ही वहाँ से होकर आए है इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप उनकी बात भी सुन लें और नेता सदन से मैं अनुरोध करूँगा कि विधुना का ताण्डव तुरन्त बन्द हो, कोई प्रदर्शन आदि तो वह कर नहीं रहे हैं। यह भी हो सकता है कि उन्हें इटावा जेल में भेज दिया जाए। घर में घुस-घुसकर जो हो रहा है, उसे बन्द कराया जाए। हमारे सदस्य महाना जी घटना स्थल पर गए थे, वह सारी जानकारी सदन को देंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने कहा है, वही महाना जी भी कहेंगे। माननीय नेता विरोधी दल, सदस्य महाना जी का नोटिस में नाम नही है। श्री सतीश महाना जी आपका नोटिस में नाम नही है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लाक प्रमुखी के जो चुनाव हुए हैं। इसमें आप फैसला ले लें।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर फैसला आयोग करता है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन तो लें। नेता सदन बोलने के लिए खड़े है महाना जी, आप बैठ जाइए।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने जो सवाल उठाया है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा और इतनी गम्भीर घटना है। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने शायद खुलकर पूरी बात नही कही है। मान्यवर, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर माया नाम का एक होटल है और उस होटल में 4 दिन से 250-300 की संख्या में राजस्थान, कानपुर, इटावा, और औरैया और भी जनपदों के लोग हथियारों के साथ इकट्ठा हुए और जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तो उन्होंने फायरिंग कर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए, उनके पास न कोई हथियार था और न उन्होंने किसी तरह का हमला किया। पुलिस ने फायरिंग का मुकाबला किया और फिर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। 71 मतदाता थे,

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसमें से 64 समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि थे। इन सबको पकड़ लिया गया। उसमें से कुछ भागकर निकल आयें। उन्हें वोट नही डालने दिया। उन्होंने 7 को छोड़ा तो इन सातों ने समाजवादी पार्टी को वोट डाला। अखिलेश ताज महोत्सव में भाग लेने के लिए आगरा जा रहे थे, फिर वह वहाँ से लौटकर बिधूना आ गये। माया होटल में लोग इकट्ठा हो रहे थे।

पुलिस ने सोचा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे है, पहले यह हो जायें, होटल बाद में देखा जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। पुलिस ने होटल घेरे रखा। होटल मालिक इन लोगों को लगातार खबर दे रहा था कि होटल को पुलिस ने घेर रखा है। होटल को घेरने पर फायरिंग शुरू हो गयी। कानपुर के आई0जी0 पहुंचे और डी0आई0जी0 मौके पर पहुंचे। वहां पर फायरिंग हुयी, उसमें एक की मौत हो गयी और अभी पता चला है कि दो की मौत हो गयी। पुलिस के लोग भी घायल हो गये। पुलिस ने फायरिंग सीधी की है। कही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया होगा। श्री राम प्रकाश जी, आप एक को भी बता दें। मान्यवर, वहां पर 80 लोग पकड़ में आ गये। राजस्थान के, कानपुर के है। उसमें एक-दो इटावा और अन्य जनपदों के हैं। 16 रायफलें, माऊजर और भी कई तरह के हथियार पकड़े गये। यह जानकारी पुलिस कर रही है कि कौन-कौन और थे। हो सकता है कि कुछ और जानकारी मिले। अगर कोई निर्दोष है तो उसकी जॉच करा लेंगे और उसे फंसाया नही जायेगा। मान्यवर, क्या यह सदन सही कार्य करेगा? चार दिन से लगातार राजस्थान, कानपुर के लोग वहां पर होटल में है। हो सकता है कि इटावा, मैनपुरी, मध्य प्रदेश के लोग भी हों। आखिर इतने लोग इकट्ठे चार दिन से होटल में क्यों थे? यह किसने किया, यह जग जाहिर हो चुका है। जो असली अपराधी थे, जो अपराध करने में संलग्न थे, माफिया भी हो सकते हैं, उनको उस होटल मालिक ने पहले से हटा दिया गया। यह पुलिस की सूचना है। ये पुलिस के अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं। जिसपर यह सदन पूरी तरह से विश्वास कर सकता है। मान्यवर, उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया। डिप्टी एस0 पी0 को अगर हटाया नहीं गया होता तो यह गम्भीर घटना न घटी होती। जानकारी में यह आया है कि यह ऐसे अधिकारी हैं जो कि अपराधियों को अपराधी समझते थे। यह जानते थे कि होटल में तैयारी हो रही है और उसका वह निदान निकालेंगे। लेकिन उसी वक्त उनकी ड्यूटी आफ करा दी चुनाव आयोग ने।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। कोई दुबे है, उसने आर्डर कर दिया। मान्यवर, ट्रांसफर नहीं किया गया। यह एक षडयंत्र रचा गया था, किस तरह से इंस्पेक्टर और डिप्टी एस0 पी0 को हटाया जाय। वहाँ पर सिर्फ एक एस0 आई0 रह गया। वह मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बावजूद भी अगर कोई निर्दोष है और किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उसे हम फंसने नहीं देंगे। लेकिन चुनाव में इस तरह के इकट्ठे होंगे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ इकट्ठा किये जायेंगे? मान्यवर, बिधूना के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी क्या है, किस तरह से अत्याचार किया गया, पकड़ा गया, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, रुपये पैसे का लालच दिया गया कि वोट नहीं डालो। जब नहीं हुआ तो हथियारों के बल पर वोट डलवाया गया। तो यह एक गम्भीर घटना है। जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी और अगर निर्दोष हैं तो कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, जो गिरफ्तार हुये श्री सतीश पाल जी वह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।

श्री सतीश महाना-

हमें तो बोलने दीजिये। घटना के बारे में तो बताने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो निर्दोष हैं हम दिखवा लेंगे। आप लिखकर दे दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप हमारा निवेदन तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि लिखकर दे दें तो आप लिखकर दे दें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दे दें। जिन अधिकारियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करते हुये कहा है उन्हीं अधिकारियों की बात शपथपूर्वक लेकर कहूँ जो उन्होंने मुझे बताया है, आप वैरीफाई करा लें। अगर उन्होंने बात कही है तो उसी के अनुरूप कार्यवाही करें। मान्यवर, कल ही रात में मैं गया था। कल सबेरे 10 बजे जिस समय चुनाव प्रारम्भ हुआ, उस समय सात बी0डी0सी0 सदस्य वहाँ पर वोट डालने गये मान्यवर, वहाँ पर वोट डालने को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़ा होने के बाद वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने दो बी0डी0सी0 मेम्बर्स को जबरदस्ती अपने पाले में कर लिया और उनका अपहरण करने का प्रयास किया मान्यवर जिस समय उनका प्रयास किया गया तो दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां चली, ऐसा आपके एक अधिकारी ने कहा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, इस बात पर हमें विरोध है, यह आक्षेप है। यह बात बिलकुल सत्य से परे है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप कुछ न कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात कह दी। आप मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे दीजिये, उन्होंने कहा है कि हम निर्दोष को बचायेंगे, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? अब आप बैठे महाना जी।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

गलत तथ्यों को पेश करेंगे, नेता सदन का कहना है और सारी बात रख दी और यह भी कह दिया कि अगर कोई निर्दोष है तो उनके बारे में विचार करेंगे और उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे और अगर कार्यवाही हो भी गई हो तो उसको रोकेंगें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इनके एक अधिकारी ने ही यह कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? आप सुनी-सुनाई बात कह रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मैंने तो वही कहा जो वहाँ के एक अधिकारी ने बताया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने इसे सुना, अब इस प्रश्न को समाप्त किया जाता है, यह अग्राह्य है।

(व्यवधान)

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात सुन लीजिये, एक बहुत जरूरी बात है। कुछ गुण्डों ने आपके ब्लाक में घुस कर गुण्डई की, आपके वोटरों को पकड़कर ले गये, और फर्जी वोट डलवायें।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नहीं थे तो क्या करें, यह मेरे पड़ोसी हैं वहाँ की घटना बता रहे हैं, मैं था नहीं वहाँ पर।

*कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, शुक्रवार 14 अक्टूबर को देवबन्द में उग्र उपद्रवी लोगों द्वारा सरकारी भवन के सी0ओ0 और डाक्टर पूर्ति कार्यालय को तोड़ा गया, सरकारी कागजों और सम्पत्तियों को नष्ट किया गया, सरकारी पुलिस वाहन जो बाहर खड़ी थी उसे भी तोड़ा गया, मान्यवर, पास में जो निजी वाहन थे उन्हें भी तोड़ा गया और पास में जो दुकानें थीं उनमें भी तोड़-फोड़ की गयी। मान्यवर, सारे देवबन्द के लोग और वहाँ के दुकानदार भयभीत हैं और यह जो सूचना दी है तीन दिन पूर्व की थी, इसके पोस्टर लगाये गये थे, एलआईयू की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार के एक भारी जुलूस के रूप में इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जुलूस में किसी भी प्रकार की, किसी भी सिपाही की या प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गयी है, इतनी तोड़-फोड़ के बाद एस0डी0एम0 परिसर की दीवार तोड़ दी गयी है, इसके बावजूद मान्यवर, आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद हैं उनके द्वारा यह प्रशासन को चेतावनी दी गयी है कि अगर इस घटना में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी तो उसके लिये डी0एम0 और एस0पी0 को वह देख लेंगे। मान्यवर, उन्होंने यह सभाओं और प्रेस से कहा कि अगर कोई भी कार्यवाही हुई तो वह डी0एम0, एस0पी0 को जिले में रहने नहीं देंगे। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। और इस केस को रफा-दफा करके फाइनल रिपोर्ट लगायी जा रही है। लोग भयभीत हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कुंवर भारतेन्दु को सुना मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अगली सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की जो जनपद बुलन्दशहर के थाना खुर्जा देहात में 8 वर्षीय पुत्र राजवीर की अंधविश्वास के कारण देवी देवताओं को खुश करने के लिये की गई हत्या एवं उसके खून को पीने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। "अगली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जो जनपद वाराणसी में बेतहाशा हो रही हत्याओं के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।" जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई हैं और अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम हैं-1- श्री जगदम्बिका पाल, श्री

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रमोद कुमार, 2- डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, 3- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, 4- श्री सुरेश कुमार खन्ना, 5- श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

- मान्यवर, मेरठ में पत्रकारों के फोन टेप हो रहे हैं। कल सूचना दे दें तो आप स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हाँ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी थी।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आज इन सूचनाओं को डिप्टी स्पीकर साहब, ने सुबह देखा था और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।

(श्री रंगनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

मिश्रा जी आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने इसे नियम-56 में दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आप कल फिर दे दीजियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नियम-311 में अपनी एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

अब यह जो आपकी सूचना थी, यह जो नियम-56 से संबंधित या नियम-300 से संबंधित थी, नियम-300 में चर्चा हो चुकी है। नियम-56 में सारी बातें जो कहनी थी वह नेता प्रतिपक्ष ने कह दी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नियम-311 में मैंने दी है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जरूरी नही है कि उस पर सुना जाए।

माननीय प्रमोद कुमार जी ने उस पर बात कह दी है। अब अलग से उस पर कुछ बोलने की जरूरत नही बची है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, बस्ती में यह एक गंभीर घटना हुई है। गोली चली है। आपने कहा था कि नियम-56 में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आज तो अस्वीकृत है, आप कल दे दीजिएगा। अगर यह एक निश्चित घटना है तो आप कल दे दीजिएगा। आप नियम-56 में भी देंगे और नियम-311 में भी देंगे। आपकी दो नोटिस आ गयी। कल आप पाल साहब दे दीजिएगा, सुन लिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पाल साहब कल अपनी सूचना दे देंगे आप ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कल ले लेंगे।

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

"यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है"

श्री रंगनाथ मिश्रा-

मान्यवर अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री रंगनाथ मिश्र अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

40 सदस्य अयोग्य हो गये हैं आज उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है इसलिए अब सरकार अल्पमत में है।

(भाजपा के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको इस पर कुछ कहना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है इसके विपक्ष में कुछ बोलना है तो बोलिये। अगर प्रस्ताव के विरोध में कुछ बोलना है तो बोलिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है सपा सरकार बनने के पूर्व की स्थिति बहाल हो गयी है। 40 सदस्यों के बारे में, तो सरकार अल्पमत में आ गयी है तो इस अल्पमत में आई सरकार को 40 सदस्य उसके साथ नही बैठ सकते। इनको विश्वासमत प्रस्तुत करने का हक नही है। 40 सदस्य जब तक इस सदन में बैठेंगे वह इधर आकर बैठेंगे तक तक उनको विश्वास मत प्रस्तुत करने का अधिकार नही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा उसको मैंने देखा नही है एक प्रस्ताव सदन में है उस पर विचार हो जाय।

श्री सतीश महाना-

वह माननीय 40 सदस्य जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है जब तक वह सदन में बैठे रहेंगे तब तक इस विश्वासमत का मतलब नही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि यह सदन मंत्रि परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। इस पर आपको कुछ बोलना है तो बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, वह डिसक्वालीफाई नहीं हुए है।

श्री अध्यक्ष-

वह एजेण्डा में भी है और कार्यमंत्रणा में भी है कि वह मंत्रिपरिषद पर विश्वास का प्रस्ताव रखेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मै महाना जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ, बाजपेयी जी से आग्रह करना चाहता हूँ वह जिम्मेदार वरिष्ठ सदस्य है सदन में जब आप कोई बात कहते है तो हम उसका संज्ञान लेते हैं आपकी बात का वजन रहता है, उसका हम संज्ञान लेते हैं आपकी बात का भरोसा करना चाहते हैं। अब आप ऐसी बात कहे जो बिल्कुल बेबुनियाद हो, सच्चाई से परे हो, कोई भी एक माननीय सदस्य इस सदन से डिस्क्वालीफाई नही किये गये हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

डिस्क्वालीफाई नही, यह कहा गया है कि सपा सरकार बनने के पहले की स्थिति बहाल इन सदस्यों के बारे में यानि वह बसपा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य नही हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन में कौन सा सदस्य किधर मत करेगा इसकी बाध्यता तो है नही, उसके लिये अलग से नियम बने है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

यह असंवैधानिक काम हो रहा है और आप उसे संरक्षण दे रहे है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा बाजपेयी जी से, हमारा इनका मामला ऐसा है कि वह चाहे जिस दल में रहे लेकिन सरकार का समर्थन जरूर करें। यह अधिकार किसी भी सदस्य का है कि वह किसी भी दल में रहकर सरकार का समर्थन कर सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम इस पर बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलना चाहते है तो बोलिये। लीजिये एडवोकेट जनरल आ गये है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

यह विषय कार्य-मंत्रणा में आया था और यह उसमें शरीक हुये थे, उसमें तो यह यूनेनिमस तय हुआ है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम प्रस्ताव पर बोलना चाहते है।

जो यहाँ विश्वास प्रस्ताव रखा गया है, उसमें हम केवल यह बोलना चाहते है कि आखिर कुछ कारण तो हों कि यह सदन सरकार में विश्वास व्यक्त करें। आपने कुछ कारण तो बतायें नही इस प्रस्ताव के पक्ष में। इसलिये हमारा मत इसके पक्ष में नही होना चाहिये क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में जो हत्याओं का सिलसिला रहा, अपराधों का सिलसिला रहा और आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, इसलिये हमको इस प्रस्ताव के पक्ष में मत नही करना चाहिये। दूसरा कारण यह है कि जिस तरह अभी जिला पंचायत के चुनाव हुये और उसमें धन बल का प्रयोग हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि इसके लिये हमारे सदस्यगण अपना प्रस्ताव भी ला रहे हैं। कि इस तरह की व्यवस्था को बदलना चाहिये। हम यहाँ बड़ी वेदना के साथ प्रस्ताव लाये। जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का मखौल बना और इसमें खूब धन बल का प्रयोग हुआ और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। अब ब्लाक के चुनाव की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि फायरिंग चल रही है, गोली चल रही है किस प्रकार सदस्यों को बंधक बनाकर रखा जा रहा है। यह ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में चाहे ब्लाक के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाय, तो हम उसके पक्ष में मतदान नही करेंगे। सरकार का दायित्व होता है कि वह प्रदेश की जनता को विकास दे। दो साल के कार्यकाल में एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर समस्त प्रदेश विकास से वंचित रहा। मुझे बतायें...

(सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर -घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं बिल्कुल विचलित नही हूँ। आप लोग शोर मचाये क्योंकि आपके पास शोर मचाने के सिवाय कुछ नही है। मैं अपने आकड़े रखूँगा और तर्क रखूँगा। मैं यह भी अपील करूँगा कि ईश्वर आपकी सद्बुद्धि दे और जल्दी ही यह सरकार खत्म हो, फिर चाहे राष्ट्रपति शासन हो ताकि इस प्रदेश की बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था पुन: पटरी पर आये। मान्यवर, मैं अभी एक घंटा बोलूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इतना बड़ा प्रस्ताव आया, आप सदन में विश्वासमत प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, इससे निकृष्ट इससे निकम्मी सरकार तो प्रदेश के इतिहास में आई ही नही, आखिर हम कैसे इस सरकार के पक्ष में वोट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। अब आप अपनी बात खत्म करें, तीन घंटा आप नही बोलेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, विश्वास मत में सबको बोलने का अधिकार है, इसलिए आप कृपया बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हम कहते है बोले, लेकिन उसका एक समय है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस सरकार के पक्ष में हम इसलिए मत नही देना चाहते हैं क्योंकि जिस सरकार के मंत्री आपस में बयानबाजी करते रहे हों, सड़क पर बयानबाजी करते रहे हो, सरकार के खिलाफ धरना देते रहे हो, मान्यवर, उस सरकार के पक्ष में हम कैसे वोट दे सकते है? मान्यवर, यह सरकार है या भानुमती पिटारा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह क्या मतलब है, यह बत्ती किसलिए है? जलाने के लिए है?

श्री अध्यक्ष-

इसलिए नही है, ऐसा तो नही है कि यह सदन आपके डायरेक्शन पर चलेगा, क्या दूसरा कोई सदस्य नही बोलेगा, यही बोलते रहेंगे, क्या यह सदन आपके डायरेक्शन पर चलेगा, नही यह आपके इशारे पर नही चलेगा, यह कौन सा तरीका है?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, विश्वासमत पर चर्चा हो रही है, कैसे न बोले।

श्री अध्यक्ष-

हम बोलने से कहाँ मना कर रहे है लेकिन समय-सीमा में रहकर बोले।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

तब फिर आप यह लालबत्ती क्यों जला रहे है?

श्री अध्यक्ष-

देखिये, नेता सदन को और नेता प्रतिपक्ष को असीमित समय में बोलने का अधिकार है और अन्य माननीय सदस्यों को सीमित समय में अपनी बात रख लेनी चाहिए। चलिए बोलिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सदन केवल नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की ही सम्पत्ति नही है, यह सदन सामान्य सदस्यों की भी सम्पत्ति हैं। यह सदन केवल अन्ताक्षरी के लिए नही है। आज नेता सदन यहाँ पर बैठे हुए है, हम उनका सम्मान करते है लेकिन जब नेता सदन के खिलाफ याचिका दायर हो और उसमें यह आरोप हो कि नेता सदन के पास इतनी सम्पत्ति कहाँ से आयी? तो यह बड़े दु:ख का विषय है, क्षोभ का विषय है। सारे विश्व में क्या संदेश जा रहा है?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बधाई देता हूँ संसदीय कार्यमंत्री जी को कि कम से कम उन्होंने कुछ साहस दिखाया है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमारे संसदीय कार्यमंत्री के विरूद्ध एक चैनल आठ दिन तक कुछ कहानी दर्शाते रहें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। अब आपका भाषण हो गया, क्या इधर से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आप बैठा दीजिए, हम देखेंगे कैसे आप बैठा देंगे। अभी आपने विश्वासमत का समय नही तय किया है, पहले आप उस पर समय तय कीजिए कि मतदान कब होगा, आज होगा या कल होगा, पहले कुछ समय तय कीजिए, उसके बाद रोकिये।

श्री अध्यक्ष-

किसी को बोलने के लिए असीमित समय नही होता है। कोई असीमित चर्चा नही होती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

फिर आप हमें निकलवा दीजिए, ऐसे सदन नही चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें या जाएं, वह आपका अधिकार है, हम किसी को नही निकालते। हुकुम सिंह जी बैठे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ऐसे सदन नही चलेगा, आप बोलने नही देंगे। आप कोई समय तय करें कि दो घण्टे, तीन घण्टे की चर्चा होगी। अभी आपने विश्वासमत पर समय तय नही किया है कि चर्चा कितने समय तक होगी, मतदान कब होगा?

(सत्तापक्ष की तरफ से बैठिये-बैठिये की आवाज आने पर)

आप मुझे निकाल दीजिए। मेरा सुझाव है कि फिलहाल यहाँ सदन मत चलाईये, वीडियो कान्फेंसिंग से सदन चला लीजिए, जब हम लोगों को बोलने ही नहीं देंगे [xxx]

(श्री हुकुम सिंह व डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी अपने आसन पर खड़े रहे।)

नोट:- [xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह धमकी की भाषा ठीक नही है, पीठ की ओर आक्षेप करना ठीक नही है। अगर किसी को अपनी व्यथा इन संसदीय परम्पराओं में रखनी है।

श्री हुकुम सिंह-

इनको बोलने का अधिकार है लेकिन मुझको नही।

श्री अम्बिका चौधरी-

धमकी की कोई भाषा नही होनी चाहिए, यह खेद प्रकट करें, लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी पीठ से क्षमा याचना करें, आप सदन को दबाव में लेने की कोशिश न कीजिए। मान्यवर, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, बाजपेयी जी आप क्षमा मांगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी स्थिति में आप इनको इतना अवसर दे रहे हैं और यह धमकी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, स्वयं से लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी खेद प्रकट करे, अपने आचरण के लिए अन्यथा हम इनके लिए निन्दा का प्रस्ताव लायेंगे। यह पीठ को धमकी नही दे सकते। हम संसदीय परम्पराओं में विश्वास करने वाले लोग हैं लेकिन इनको ऐसा आचरण करने की इजाजत नही दी जा सकती कि यह पीठ को धमकी दें। यह शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप लोग भाषण नही करना चाहते है तो हम प्रश्न रख देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म करें जिससे दूसरे माननीय सदस्य भी बोल सके।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अनुरोध यह है कि चूँकि अभी-अभी माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश हुआ है जिसमें मा0 विधान सभा अध्यक्ष द्वारा 40 विधायकों के संबंध में पूर्व में दिये गये सभी निर्णय स्थगित कर दिये गये है और वर्तमान में जो हालत है, उसमें 40 सदस्य जो ब0स0पा0 को छोड़कर समाजवादी पार्टी में गये थे अब वर्तमान में ब0स0पा0 के सदस्य हो गये है। इसलिए मैं नेता विधान मण्डल दल ब0स0पा0 की हैसियत से व्हिप जारी करता हूँ कि ये सभी 40 सदस्य सरकार के विरोध में अपना मत देंगे।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अध्यक्ष जी मैं हुकुम सिंह जी से थोड़ा सा समय चाहूँगा और बाजपेयी से भी समय चाहूँगा। जो आदी थे इस बात के कि सदन को गुमराह करें, समाज को गुमराह करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को गलत तरीके से पेश करें वह अपनी बात कहकर चले गये। मुझे खेद इस बात का है कि हुकम सिंह जैसे संजीदा और वरिष्ठ सदस्य से बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने आकर कान में कहा कि

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुजन समाज पार्टी के नेता कुछ बोलना चाहते हैं आपके काम की बात है आप बैठ जाइये और हुकुम सिंह जी बैठ गये।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी ने कहा तभी मैं बैठा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

हाँ आप मेरे कहने से बैठे थे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ हम उधर देख रहे जो इधर देख रहे। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ से हुकुम सिंह जी ने बात शुरू की थी वह तो नियमों के दायरे में थी। विश्वासमत प्राप्त करने के संबंध में थी लेकिन उसी बीच बाजपेयी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसकी वह अपने आप निंदा करें या न करें लेकिन उनको थोड़ा अहसास होना चाहिये। एक हद होती है सदन में गुस्से के शब्दों और उसके इजहार करने की। वह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन कभी-कभी उनका अपना हाल ऐसा हो जाता है जैसे उन पर ऐसे तरस आने लगता है जैसे कभी उस पीठ पर आया करता था। आप अपने आप को उस स्थिति में क्यों ला रहे हैं आप बहुत भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर अध्यक्ष पीठ पर इस तरह से गुस्से का इजहार करेंगे, रौब डालेंगे, ताकत से अपनी बात मनवा लेंगे यह कोई सभ्य समाज के सभ्य सदस्य का तरीका नहीं है। इसके लिये खेद व्यक्त करना चाहिये। श्री हुकुम सिंह जी ने एक लियाकत के साथ अपनी बात शुरू की थी लेकिन जो दिल में होता है वह बाहर आ ही जाता है।

इंसान उसे रोक नहीं पाता है। विश्वासमत प्राप्त किया जाय या न किया जाय इस पर बोलते हुए हुकुम सिंह जी ने नेता सदन की तारीफ में नेता सदन के बारे में जो शब्द यहां पर कहे कि अखबार ऐसा कहता है, मीडिया ऐसा कहता है मीडिया क्या कहता है इसके बारे में यहाँ पर बहस हो चुकी है। किस-किस का जमीर तार-तार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं आपने नेता सदन की जायदाद के बारे में जिक्र किया इससे आपने नेता सदन की तारीफ नहीं की बल्कि आपके मन में उनके प्रति जो कड़ुवाहट का भाव था, एक निंदा का भाव था इस सदन के मुखिया के प्रति जो इस तरह का भाव था उसे आपने इजहार किया है। यह कोई अच्छी परिपाटी नहीं होगी कि हम सदन में उन बातों को रिकार्ड कर दें जो बातें बाहर रिकार्ड नहीं की जा सकती हैं। इसलिये मैं चाहूँगा कि जो बहस का मुद्दा नहीं था, विषय नहीं था और वह कार्यवाही में आ गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

*श्री हुकुम सिंह-

मेरे मन में सम्मान के भाव में कमी नहीं आयी है लेकिन मैं बहुत भावुक आदमी हूँ जिसके प्रति सम्मान है। उसके प्रति अगर बाहर कोई गलत संदेश जाता है तो उसको सदन में रखना आवश्यक हो जाता है। लेकिन आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कोई याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई नोटिस जारी कर रहा है और वह सारे विश्व में प्रकाशित हो रहा है। सरकार के पक्ष में मत इसलिये नहीं देना चाहता कि जहाँ आधे दर्जन मंत्रियों के खिलाफ मुकदमें दायर हों जिन्होंने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं की ताड़ना की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कि इन्होंने निर्वाचन आयोग की सारी शर्तों का उल्लंघन किया। इस तरह से उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज होने के बाद भी आज वे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रि-परिषद् के सदस्य हों तो इस मंत्रि परिषद् के पक्ष में हम मतदान कैसे कर दें? आप यह भी सोचें। मैं उस विषय को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। जहाँ ऐसे गैर जिम्मेदार बयान देकर सारे सदन की मर्यादा को नष्ट किया जाता है चाहे वह मंत्री हो, राज्यमंत्री हो या विधायक हो ऐसा कहे कि जो ऐसा कर दे कि उसको इतना पैसा देंगे। इससे मंत्रि परिषद् की गरिमा नष्ट होती है। विश्व में यह नही कहा गया कि इंडियन नेशनल, उत्तर प्रदेश कह देते तो ठीक था।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये नेताओं को 10 मिनट और सदस्यों के लिये 5 मिनट का समय है।

श्री हुकुम सिंह-

विकास की बात मैंने कही मैं दोबारा फिर कहूँगा लेकिन इस प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से एक संदेश जा रहा है और उसके सामने आपका कोई तर्क टिक नही सकता। सरकार द्वारा किस तरीके से चन्द उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिये उत्तर प्रदेश की गन्ना नीति को अपनाया गया। जिस सरकार ने केवल तीन घरानों को यहाँ का मुखिया बनाने के लिये सारी चीनी नीति सौंप दी। हम कैसे उस सरकार के पक्ष में मत दे दें।

(सत्ता पक्ष से आवाज आयी- कौन कह रहा है कि दें)

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हुआ। आप बहुत देर से बोल रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जितनी देर मैं बोला हूँ उससे ज्यादा कोई और बोला है मेरे समय में। मैं थोड़ा समय उनके में से चाहता हूँ। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आज कोई क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो। किसी क्षेत्र में तो सरकार अपनी उपलब्धि बता दे कि हमने दो वर्ष में यह अचीव किया है। आपने आश्वासन दिया था बिजली का। आज क्या हालत है बिजली की। मान्यवर, सरकार ने 650 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ खरीदा है और जो आज 12, 13, 14 रूपये के भाव बिक रहा है। आँखें बन्द हो रही हैं क्या इनकी। आज गरीब आदमी दाल खरीदने के लिये जाता है तो उसको 50-55 रूपये किलो दाल मिल रही है। सरकार की जितनी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वो सब माफियाओं के अण्डर में हैं और उनके माध्यम से इनकी जेबें भर रही है। यहाँ का चावल, गेहूँ, दाल बंगलादेश में जा रहा है और यहाँ के गरीब लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। सरकार ने सारी मान्यताओं को तिलांजलि दे दी है। इस सरकार ने पुरानी सरकार की नीतियों को चौपट कर दिया है। इस सरकार को कोई हक नहीं है कि वह विश्वास मत प्राप्त करे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी सदन के सदस्य के ऊपर ऊंगुली उठायी जाती है चाहे वह मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सदस्य हो, गरिमा सबकी गिरती है। केवल अपने तक केन्द्रित होकर इसका निर्णय न लें। बाकी मंत्रियों की हालत यह है, सदस्यों की हालत यह है। सत्तापक्ष के सदस्यों ने जिस तरह से दंगा भड़काने का काम किया है। रायफल लेकर खुले आम गोली चलाते हैं, जनप्रतिनिधियों की हत्यायें होती है। यह सरकार विश्वासमत प्राप्त करने वाली है। अपनी अन्तरआत्मा में देखें। अगर आप प्रदेश की जनता के सामने कुछ करना चाहते हैं तो सरकार के खिलाफ मत देकर उसको उखाड़ दें

(व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में, मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ा दु:ख है जिनसे समर्थन नहीं मांगा वह बिना बात परेशान हैं।

(व्यवधान)

हमें आपका समर्थन नहीं चाहिये। (मा0 सदस्य एक साथ बोल रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी बैठें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जिनसे समर्थन नहीं मांगा..

श्री सतीश महाना-

फिर वही बोल रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं खुलकर कह रहा हूँ भाजपा से समर्थन नहीं मांगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, महाधिवक्ता सदन में बैठे हैं राजनीतिक दलों ने अभी सुना है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता गलत बयानी करके गये हैं। हाई कोर्ट से ऐसे निर्देश आदेश हुये हैं कि 40 विधायक दूसरे दल में चले गये हैं। महाधिवक्ता यहाँ बैठे हैं वह इसके बारे में बता दें फिर आगे की कार्यवाही चला लें।

श्री अध्यक्ष-

फैसले से सदन को अवगत करा दें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बसपा के 40 विधायकों के संबंध में दिये गये निर्णय की महाधिवक्ता द्वारा जानकारी

*महाधिवक्ता (श्री वीरेन्द्र भाटिया)-

मैं वस्तु स्थिति बताऊँगा और मुझे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, सदस्यगण, आज माननीय उच्च न्यायालय में तीन सदस्यीय पीठ ने बसपा विधायकों के बारे में अपना निर्णय सुनाया, जो निर्णय हुआ उसके मुख्य बिन्दु आपको सुनाना चाहता हूँ। पहला तो एक माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उस याचिका को पूर्णतया निरस्त कर दिया और यह कहा कि पोषणीय नहीं है।

(मेजें थपथपाई गई)

दूसरा जो निर्णय था जिसमें तीनों जज एक थे। किसी भी विधायक को उन्होंने अयोग्य घोषित नहीं किया।

(मेजें थपथपाई गई)

जहाँ मुख्य न्यायाधीश ने पूर्णतया: याचिका निरस्त की और उन्होंने कहा इसमें पूर्णतया: मान्यता प्राप्त करनी है। वही दूसरे जज ने, एक जज ने अपने कारण देते हुये कहा, उस समय जो स्पीकर थे उनके

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निर्णय में कुछ खामियां हैं। चार तारीख को इसमें दिया गया, 6 तारीख को दिया गया। उसको उन्होंने जल्दी से निर्णीत कर दिया। इसलिये इस पर पुनर्विचार किया जायेगा और उस आदेश को खंडित करते हुये फिर से स्पीकर के पास वापस कर दिया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

उन्होंने यह कहा कि यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। कौन डिस्क्वालिफाईड है कौन डिस्क्वालिफाईड नहीं है। स्पलिट है, या नहीं है। 40 विधायक किस स्वेच्छा से गये। यह सब तथ्य कुछ आब्जरवेशन के साथ आपके सुपुर्द किया है। तीसरे न्यायाधीश ने कहा है कि नैसर्गिक सिद्धान्तों, न्याय के सिद्धान्तों का पालन नहीं हुआ इसलिये उनके अपने आधार थे। इसलिये यह स्पीकर सारे तथ्यों पर पुनर्विचार करके अपना निर्णय देंगे, फिर से सारे प्रार्थना पत्रों पर।

(मेजें थपथपाई गईं)

सारी कार्यवाही आपके उसमें डाल दी गई है। एक प्रश्न उठाया था। एक याचिका कर्ता की ओर से कहा गया आज विषम परिस्थिति हो सकती है और इसका न्यायालय में स्पष्टीकरण देते हुये कहा सदन में 40 विधायकों की स्थिति क्या होगी। स्पिलिट बुक है, क्या करेंगे, किस स्थान पर बैठेंगे। यह भी प्रश्न उठाया गया कि साहब कल को यह न कहें कि यह लोग बसपा में चले गये। उन्होंने कहा कि यह निर्णय करने का अधिकार कि उनकी सीट कहाँ होनी चाहिये, जब वह स्पिलिट कर गये तो यह सब अधिकार क्षेत्र स्पीकर का है। उन्होंने कहा कि जब मैंने कोई निर्णय पारित ही नहीं किया और न मैंने उनको सदन में आने से रोका, न जाने से रोका है, जब तक वह डिक्वालीफाई नहीं होते, तब तक वह सदन के सदस्य हैं और सदन की सारी कार्यवाही सम्पादित होती है, स्पीकर जी द्वारा, वह जैसा निर्णय चाहेंगे, करेंगे। इसलिये सब कुछ आप पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है कि 40 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। यह जजमेंट है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं एक जानकारी चाहता हूँ, एक स्पष्टीकरण महाधिवक्ता जी दे दें। जो मिजारिटी जजमेंट है, बहुमत का जजमेंट है, उसका आपरेटिव आदेश क्या है?

श्री महाधिवक्ता-

रिकन्सीडर इट, ओनली दैट।

मंत्रि परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

आज जो भी सदस्य या दल सरकार का विरोध कर रहा है, वह सरकार का विरोध नहीं कर रहा है, वह शायद जनता का विरोध कर रहा है। उन्हें अपनी धरती का पता नहीं है। यह तो शौभाग्य है कि जो राष्ट्रीय दल है, आज दिख नहीं रहे हैं और आज उन्हें एक ही पीड़ा है कि ढाई साल में इस सरकार ने जितनी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, शायद प्रदेश में ऐसी उल्लेखनीय सफलता किसी सरकार ने नहीं पाई। हम इस षड्यंत्र के शिकार निरन्तर बनते रहे और यह बात सत्य भी है कि कुछ लोग दिल्ली में बैठकर इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज हमारी सरकार ने अच्छे कार्य नहीं किये होते तो प्लानिंग कमीशन ने 19 हजार करोड़ रूपया प्रदेश के लिये स्वीकार नहीं किया होता। जब प्लानिंग कमीशन ने हमारे एचीवमेंट को देखकर इतना बड़ा प्लान स्वीकार किया तो दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं ने प्लानिंग कमीशन को टोका कि उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्लान क्यों स्वीकार

किया? मैं कह देना चाहता हूँ कि बिना उत्तर प्रदेश के देश की कोई सरकार नहीं बन सकती है। मैं चेतावनी देता हूँ, सदन के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रमोद जी चले गये, मैं चाहता हूँ कि प्रमोद जी भी इसमें भाग लेते। मैं चाहता हूँ कि टण्डन जी भी इस बात पर बोलते कि उत्तर प्रदेश की जो योजनायें केन्द्र ने रोक रखी हैं, जो अस्वीकार हो रही हैं, उन पर कोई विचार क्यों नहीं किया गया। हुकुम सिंह जी ने तमाम आरोप लगाये लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। मैं बहुत सी चीजों को कहना भी नहीं चाहता हूँ। अनपरा "सी" क्यों रोका गया, क्योंकि मैंने गोपनीयता की शपथ ली है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी यदि कह दूँगा तो अर्थ का अनर्थ हो जायेगा। अगर अपने दामन में झांक लिया होता तो दूसरों पर आरोप नहीं लगाते। अदालत के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की भी क्या छवि बनायी गई, आखिर क्या हम लोग अदालतों के मातहत हो जायेंगे, प्रजातंत्र अदालतों के हाथ में चला जायेगा और जो हमारा अधिकार है वह चला जायेगा? मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार होना चाहिये और मैं हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के स्पीकर की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक स्टैण्ड तो लिया और हम लोगों को भी इस पर चर्चा करनी चाहिये। सदन में सब लोगों के विचार तो आ जायें। अगर कल न्यायालय हम लोगों के खिलाफ वारंट निकाल देता है तो कहा जाता है कि हमें इस्तीफा देना चाहिये। आखिर हम अधिकारों को कहाँ पर ले जा रहे हैं हम व्यवस्था को कहाँ पर ले जा रहे हैं। इन सब पर विचार करके सत्यता पर आना चाहिये जिस पर सबकी राय एक हो। यह सही है कि हम बहुमत में हैं और यह अभी सिद्ध हो जायेगा। लोग समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वह तो कम से कम खुलकर विरोध करें और सदन को बतायें कि उनके तर्क क्या हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता असलियत को समझती है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी जो मुहम्मदाबाद का चुनाव हुआ है उसमें भाजपा, बसपा की बदौलत जीती है। टण्डन जी राखी बंधवा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो करते हैं वह खुलकर करते हैं।

हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी साफ कहते हैं कि वह जो कहेंगे करेंगे। हमने जो घोषणायें की थीं, एक-एक घोषणा को पूरा किया है। हमने कन्या विद्या धन योजना चलायी, हम चार हजार करोड़ रूपये सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी का कहना है कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की जनता के लिये अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। आज उत्तर प्रदेश अगर पिछड़ा है तो इसके लिये समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है इसके लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है पहले की सरकारें। मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध करने से पहले कम से कम जनता की स्थिति समझ लेना, विरोध करने से पहले कम से कम जमीन की वास्तविकता को समझ लेना उसके बाद विरोध करना। अगला वर्ष चुनाव का वर्ष है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या सोचकर उन्होंने इस सदन का विश्वास व्यक्त करने के लिये निवेदन किया है। क्या यह सोचकर उन्होंने विश्वास का मत प्रस्तुत किया है कि जब वह तीन वर्ष पहले सत्तारूढ़ हुए तो उन्होंने जिस विकास परिषद् का गठन किया था उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है, क्या उससे इस प्रदेश का विकास हो गया है या यह सोचकर यह विश्वास का मत प्रस्तुत किया है कि आज उत्तर प्रदेश अंधकारमय

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हो गया है। मान्यवर, आज प्रदेश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ 12 घंटे से अधिक बिजली आ रही हो। विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। क्या इसीलिये सरकार ने विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जो विकास चल रहा था उन्हें भी रोक दिया गया है और चारों तरफ लूट-खसोट, अपहरण हो रहा है। आज अपहरण एक उद्योग बन गया है। सरकार के अधिकारी उसमें दलाली कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है और मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि यदि कोई अपहरण होता है तो कोई भी अपहृत व्यक्ति बिना पुलिस की दलाली के नहीं छूटा है। अगर वह पुलिस की दलाली की शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इस सरकार का समर्थन किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिये। इस पार्टी में भी काफी लोग इस बात को मानते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहीं तो समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य उन माननीय सांसद जी के पक्ष में खड़े दिखायी दिये हैं। इसलिये इस सरकार का समर्थन किया जाये क्या? इसलिये समर्थन किया जाय कि वह चार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, जब उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था तो इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। उन्होंने पहले ही बजट में कहा था कि गरीबों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अगले बजट में आ गया कि केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो क्या केन्द्र सरकार से अनुमति लेंगे इसलिये इसका समर्थन किया जाय? क्या इसलिये समर्थन किया जाय कि आने के बाद इन्होंने अस्पतालों की फीस एक रूपया कर दी थी और आज मरीजों को दवा नहीं मिल रही है, वहाँ पर कोई डाक्टर नहीं है, कोई पुरसाहाल नहीं है तो इसलिये समर्थन किया जाय? मान्यवर, क्या इसलिये समर्थन किया जाय कि आज चारों तरफ नारकीय स्थिति हो गयी है। मुख्य मंत्री जी ने यहाँ पर विश्वास मत व्यक्त किया है।

आज कांग्रेस और सपा एक दूसरे को बाहर गाली देते हैं लेकिन सदन के अन्दर जब विश्वास मत या बहुमत की बात आती है तो विश्वास मत के पक्ष में वोट करते हैं और सदन के बाहर एक दूसरे को गाली देते हैं। आज यह सरकार के पक्ष में सरकार के समर्थन में बाहर चले गये हैं। अगर विरोध कर रहे होते तो यह सदन में बैठे होते। यह एक दूसरे के समर्थन में हैं। यह कांग्रेस सरकार के समर्थन में हैं, यह इनके पाप के हिस्सेदार हैं। यह चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। केन्द्र में यह कर रहे हैं और प्रदेश में वो कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो पाप हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है उसके लिये यह दोनों जिम्मेदार हैं। इसलिये जल्दी से जल्दी यह चलें जायें हम यह चाहते हैं। हम इस प्रस्ताव के विरोध में मत व्यक्त करते हैं।

*सिंचाई मंत्री (मुन्ना सिंह चौहान)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विश्वास मत हासिल करने के लिये यह प्रस्ताव रखा है इसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूँ। मैं इसलिये इसके पक्ष में कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है जिसने यह ऐतिहासिक काम किया है कि जाति या धर्म के ऊपर उठकर काम हुआ है। वरना इन्होंने इस प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था, ऐसा धार्मिक उन्माद जातियता फैला दी थी। ऐसे ऐतिहासिक फैसले इस सरकार ने किये हैं, इसकी प्रशंसा आपको करनी चाहिये। मान्यवर, एक सरकार थी, एक मुख्य मंत्री थे। गन्ने के सवाल पर जब हमारे नेता विधान मण्डल कौकब साहब और हम गये तो यह कहा गया कि इसके लिये गन्ना का मंत्री दूसरी पार्टी का है उससे मिलो। इससे मिले उससे मिले। उन्होंने कहा कि बकाया मैं दिलाऊँगी नहीं तो पंखे से लटक फांसी लगा लूँगी। एक बार तो यह कहा गया कि हमारा वोटर गन्ना नहीं बोता है। माननीय हुकुम सिंह जी आपको प्रशंसा करनी चाहिये कि साढ़े आठ सौ करोड़ इस प्रदेश का भुगतान निजी मिल मालिकों की, पूंजीपतियों की जेब में आ गया था, यह उत्तर प्रदेश

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के इतिहास में लिखा जायेगा, माननीय अजीत सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को आदेश दिलाया, गन्ने का मूल्य तय करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिलाया, तो साढ़े आठ सौ करोड़ इस प्रदेश को मिला। जो निजी मिल मालिकों की जेबों में आ गया था उससे खींच करके इस प्रदेश के गन्ना किसानों को दिलाने का काम किया गया इसलिये भी मंत्री परिषद् में आपको विश्वास न होना चाहिये। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री बैठे हैं। प्राइमरी शिक्षा ऐसी है जहाँ समाज में ऊँच नीच की भावना पैदा होती है। इस सरकार ने जाति या धर्म के नाम से नहीं बल्कि गरीबी को आधार मानते हुये यह कहा कि अगर व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का है, गरीब है तो उसको सरकार मदद करेगी, उसे छात्रवृत्ति देगी, ड्रेस देगी। तो यह काम हमारी सरकार ने किया है किसी और सरकार ने यह काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों के जमाने से एक अधिकार था, माननीय हुकुम सिंह बहुत बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा, यह नहर प्रणाली जब विकसित हुई थी, अंग्रेजों के जमाने का कानून था शामिल बरहा कानून, किसान को कण्टक की तरह कांटे की तरह चुभता था अगर सिंचाई विभाग की गूल से बरहा से किसान अपने निजी ट्यूबवेल का पानी ले जाता था तो उस पर आपासी लगा दी जाती थी, सिंचाई शुल्क लगा देता था, इस सरकार ने शामिल बरहा कानून समाप्त कर दिया है अब सिंचाई विभाग के गूल में बरहा में किसान अपने निजी ट्यूबवेल का पानी ले जायेगा तो कोई सिंचाई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और मान्यवर जो सबसे ऐतिहासिक काम हुआ, माननीय हुकुम सिंह कह रहे थे, पानी नहीं आया और सींच दर्ज कर दी गयी, इस सरकार ने फरवरी में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सींच नहीं तो सिंचाई शुल्क नहीं, यह काम इस सरकार ने किया है, इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिये, लेकिन आदत है कि पानी आया है और उसके बाद भी [xxx] बोलेंगे कि पानी नहीं पहुँचा है।

श्री अध्यक्ष-

[xxx] शब्द असंसदीय है, इसे निकाल दिया जायेगा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, [xxx] शब्द की जगह असत्य शब्द का प्रयोग कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, असत्य शब्द कहिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, असत्य भाषा बोल करके पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है क्योंकि हमारे माननीय सदस्य बैठे है इनको काम में विश्वास नही है, अगर यह घोषणापत्र लेकर जायेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने तो शून्य आयेंगे इसलिए समय-समय पर यह धार्मिक भावना को भड़काते है। धार्मिक भावना को भड़का करके यह वोट मांगते है, कभी राम को बूथ पर ले जा करके कभी पोलिंग मशीन पर बैठा देंगे और इनको कोई काम है नही तो राम के नाम पर वोट मांगेगे। इसी तरह कानून-व्यवस्था की बात करते है, मान्यवर इस सदन को प्रशंसा करनी चाहिए और पूरे सदन ने प्रशंसा भी किया, अयोध्या की घटना, बहुत आतंकवादी हमले हुये है पूरे देश में, लेकिन अयोध्या की घटना में जितनी जल्दी आतंकवादी मारे गये और उसका खुलासा हुआ, इसकी जितनी भी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए वह कम है इसलिए ये मंत्रिपरिषद के जो विश्वास मत के लिए आज प्रस्ताव रखा गया है आप को खुलेमन से बहस करनी चाहिए। एक बात आयी लड़के नकल करते है, इसलिए रिजल्ट अच्छा आ गया, यह नौजवानों

नोटः- [xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और छात्रों के साथ जो धोखा है अगर उन्होंने पास किया, अच्छी परीक्षा में अंक पाये तो उसका कारण माननीय सदस्य कभी नही सोचे, उनको 20 किमी0 दूर भेज देते थे परीक्षा देने के लिए, 15-20 दिन एक महीना पहले अभिभावक उनका ठिकाना ढूँढ़ते थे कि कहां टिकाऊ, परेशान होते थे और वह बासी खाना खाते थे, इसलिए इस सरकार ने कहा जहाँ पढ़ो वही परीक्षा दो, ताजा दूध पीकर के जाओ, ताजा खाना खा करके जाओ, उनकी बुद्धि का विकास हुआ, इसलिए इनकी परीक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन यह असत्य बोलने वाले लोग है, इनको अच्छा काम नही दिखाई पड़ेगा, यह उसमें नुक्ता-चीनी निकालेंगे, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं अपने सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूँ माननीय बाजपेयी जी बैठे है, माननीय बाजपेयी जी यह छात्राओं को भी हथकड़ियां लगा कर जेल भेज देते थे, उनकी जितनी निन्दा की जाय कम है और हमारे देश की संस्कृति है यह बात करते है धर्म की यह धर्म का ठेका लेकर के आये है, यह बतायेंगे कि कौन हिन्दू है कौन मुसलमान है, हर बात हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, अगर हिन्दू संस्कृति को जानते है, हिन्दू सभ्यता को जानते है तो हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, पहले निमंत्रण पत्र आता है शादी का तो श्रीमती लिखा जाता है तब श्रीमान् लिखा जाता है।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने लड़कियों को हथकड़ियां लगाने की बात कही है तो उस समय यह स्वयं हमारे साथ सरकार में बैठे थे, तब उन्हें आपत्ति नही हुयी और इन्हें आज इल्म हुआ और जहां तक महिलाओं की पूजा करने की बात है तो यह तो प्रति दिन चरण बन्दना करते ही है और खड़ाऊ के स्थान पर कुछ और रख कर विभाग को चला रहे है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, चूँकि इसमें बहुत से लोग ऐसे है जो अविवाहित है इसलिए दूसरे लोगों से गठजोड़ करते है, शादी-ब्याह किसी तरह काम चल जाये, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने नारी पूजा किया, गरीब आदमी की पूरा किया, टेल तक पानी पहुँचाया, लेकिन चूँकि इनको यह सारी चीजें अच्छी नही लग रही है, प्रदेश की जनता जानती है कि इनका सूपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों से अच्छे काम की बड़ाई करो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है खुलेमन से उस पर समर्थन करके मतदान करिये तभी प्रदेश की जनता आप को माफ करेगी अन्यथा माफ करने वाली नही है।

*श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, सामान्यत: सदन में बहुत कम बोलने का मेरा स्वभाव है। लेकिन मेरी मान्यता है कि सदन में जो कुछ बोला जाता है, सत्य बोला जाता है। और साथ ही साथ यह मान्यता भी दृढ़ है कि जब कोई मंत्री बोलता है तो वह सत्य का साथ बिल्कुल नही छोड़ता है। मान्यवर, मुझे बहुत विवश होकर कहना पड़ रहा है कि मेरे पूर्व वक्ता मंत्री जी ने कुछ तथ्य यहाँ पर रखे जो सत्य नही है।

मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि तत्कालीन गन्ना मंत्री ने यह कहा कि अगर बकाया नही दिलाया तो आत्महत्या कर लूँगी। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस विषय पर उनसे मेरी तो पहले कोई भेट-वार्ता नही हुई, बात नही हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेम-शेम की आवाजें।)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, कई बार आपसे भेट हुई है।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, उसके बाद जहाँ तक बकाये का प्रश्न है, सरकार में कोई मंत्री हो, किसी के आत्महत्या करने के बारे में कोई ऐसी स्थिति आयी हो, यह मेरे संज्ञान में नही है। न यह कोई विषय था और न चिंतन था। हाँ, किसान का हित जरूर चिंतन में था। मान्यवर, विषम परिस्थिति में, जब खुले बाजार में कन्ट्रोल के भाव से कम रेट पर चीनी बिक रही थी, उसका मूल्य इतना कम था, तब यह मन में था कि किसान का हित बना रहे। और अगर तुरन्त भुगतान विपरीत परिस्थिति में न हो पाये, तो बकाये के रूप में उसका धन संरक्षित रहे इसलिए उस समय इतिहास में पहली बार इतिहास में अब तक वह इतिहास दुबारा दोहराया नही गया है, केन्द्र में एस0एल0पी0 के बारे में दो-दो बार जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के सहयोग से मूल्य निर्धारण करने का काम किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट।)

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, यह बिल्कुल गलत है। अजीत सिंह जी वहाँ पर थे उन्होंने उसे कराया था।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, राज्य सरकार को मूल्य निर्धारण का अधिकार नही था। यह विवाद अदालत में था। ऐसे वातावरण में कि राज्य सरकार का अपर हैण्ड रहे, कही से कोई कमी न रहने पाये, इसलिए विशेष रूचि लेकर, दिल्ली में डेरा डाल कर पैरवी की थी कि मूल्य निर्धारण में उनकी भागीदारी, उनकी से (बात) रहेगी।

आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि बाजार का मूल्य, चीनी के मूल्य की स्थिति और गन्ने मूल्य की स्थिति के बारे में आप चुप लगाकर बैठे हुए है। किसानों की अनदेखी कर रहे है। यह बात चिंतन की है। आज न किसान का हित सामने है। आज किसान को मूल्य के रूप में, चीनी के मूल्य के मुकाबले, वह मूल्य नही मिल रहा है, जो मिलना चाहिए। मान्यवर, उस समय मुझसे जिसने भी प्रश्न किया पूरब से लेकर पश्चिम तक, मैने पूँजीपतियों से भी बात की कि चीनी का मूल्य घटा है और गन्ने का मूल्य नही घट सकता इसलिए कि किसान ने किस मजबूरी से गन्ने को बनाया है। इसलिए लाख विषम परिस्थिति के बाद भी सरकार ने मूल्य को 95 और 100 रूपये से नीचे नही आने दिया था, गन्ना मूल्य के लिए हम लोग लगे रहे ताकि कम से कम किसान का बकाया तो हो जाए नही तो फिर किसान का बकाया ही नही होता।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह इनीशियेटिव न होता तो किसान का यह बल्क बकाया ही न बन पाया होता आप देते कहाँ से किसान के हित का संरक्षण निश्चित रूप से हुआ है और प्राण प्रण से वह संरक्षण देने का कार्य हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित में पूँजीपतियों को मिल जीर्णोद्धार के लिए या पुन: लगाने के लिए किसी भी रूप में न तो शासन को नुकसान होने दिया न कर्मचारियों का नुकसान होने दिया आज जो शर्तों में शिथिलता हुई है वह हमने नही की थी। आप बैठे हो, शर्तों में जो शिथिलता हुई है उसको आने वाले कल में कर्मचारी महसूस करेगा और इस प्रदेश का किसान महसूस करेगा क्योंकि संरक्षित क्षेत्र गन्ने का नही विकसित हुआ है केवल मिले लग रही है और मिले लगाने के नाम पर सुविधाओं का दुरूपयोग हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

देखिये 3.00 बज गया चूँकि आज आम बजट पर चर्चा भी होगी इसे जल्दी समाप्त करना है।

*श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मायवर, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जो सरकार बनी थी किन परिस्थितियों में सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के टूटने के बाद उत्तर प्रदेश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सरकार चुनी गयी उस सरकार के मुखिया ने आज विश्वास का मत रखा है, हम उसके पक्ष में है। मान्यवर, गन्ने की बात चली मैं कहना चाहता हूँकि जाके पांव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। मान्यवर, पूर्व गन्ना मंत्री का बयान आ रहा था, कितने बीघे गन्ने की खेती करते है आप मान्यवर, बड़ी स्पष्ट और कड़वी बात है बसपा भाजपा की सरकार में 2 वर्ष गन्ने का दाम नही बढ़ा। यही नही देश की आजादी के बाद पहली बार प्राइवेट मिल मालिक ने गन्ने का मूल्य घटा दिया। बात कोर्ट कचेहरी में चलती रही। हम भी माननीय मंत्री जी गन्ने के किसान है। आप से भी मिलते थे, पूर्व मंत्री जी से, उस समय यह चलता था मुख्यमंत्री जी हमारी सुनती नही। भाई मुन्ना सिंह चौहान ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा। माननीय अध्यक्ष जी मैने भी उस समय सुना था। मैं भी गन्ने का किसान हूँ 12-14 एकड़ गन्ना बोता हूँ। 2 वर्ष गन्ने का पैसा नही मिला, गन्ने का दाम घटा दिया गया और बात आज चल रही है गन्ना किसानों के हित की, बात आज चल रही है छात्रो के हित की बच्चों की फीस किसने माफ की इस सरकार ने, बीमार के पर्चे के दाम किसने घटाये इस सरकार ने, सरकारी अस्पताल में बेड किसने फ्री किया इस सरकार ने, किसानों को अपने पार्ट आफ चेक बैनामे के लिए कितनी मुसीबते झेलनी पड़ती थी कितने जुर्माना होते थे यह निर्णय किसने लिया हमारी बहनों को बेटियों को कन्या विद्या धन किसने लागू किया इस सरकार ने, गरीब किसानों को भूमि सेना के माध्यम से पट्टे मिल जाय उनको विकसित करने का संसाधन मिल जाये किसने किया? हमारे बहुत से लोग इस हाउस के बाहर बैठे हुए है। कुछ मित्र हमारे है जो सरकार के विरोध की बात कर रहे है। माननीय अध्यक्ष जी, नीतिगत बात हो तो विरोध करना चाहिए इसमें कोई बुराई नही है लेकिन विगत ढाई वर्षो में सरकार ने पूरे प्रदेश में हर वर्ग, हर क्षेत्र के हर मत, हर मजहब के हर जाति हर बिरादरी के क्षेत्र को विकसित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर कुछ दल और कुछ लोग नही चाहते कि प्रदेश में स्थिर सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे और वह उल्टा सीधा बाते कर रहे है उनको ईश्वर सदबुद्धि दे और जनता का जनादेश अभी जो जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लाक के चुनाव में आया है उससे सीख ले और दूसरों को क्या कहे अपने दल के लोगों को आज माननीय राम कुमार वर्मा जी छोड़ गये उससे पहले भाई रवीन्द्र शुक्ला जी छोड़ गये उसके पहले भाई रंगनाथ मिश्र जी छोड़ गये और बहुत लोगों को निकाल दिया गया। निकाल दिया गया तो कोई दिक्कत नही जनता ने आपको इस सूबे से और इस पूरे देश से बाहर निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सरकार के पक्ष में हम लोग समर्थन करते है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह "सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित होने के उपरान्त)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, गिनती करा दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य, प्रस्ताव के पक्ष में हो, कृपया हाथ उठायें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन के सदस्य नही है, उन्हें बाहर करा दें।

श्री अध्यक्ष-

जो इस सदन के सदस्य नही है, वह बैठे रहेंगे, बाहर करने का कोई औचित्य नही है। जो विधान परिषद् के सदस्य है, वह कृपया हाथ नही उठायेंगे।

मत विभाजन के लिये 5 मिनट तक घण्टी बजायी जाये।

(तत्पश्चात, घण्टी बजायी गयी।)

सभी दरवाजे मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक बन्द रखें जायं। बन्द कर दिये जाएं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मत विभाजन लाबी डिवीजन द्वारा करा लें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, जिस तरह से यह प्रस्ताव आया है और जिस तरह से यह व्यवस्था की जा रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं, इसलिये हम मतदान में भाग नहीं लेंगे।

(तत्पश्चात नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री बलराम यादव (पंचायती राज मंत्री)-

मान्यवर, इनके अधिकांश सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये यह लोग बर्हिगमन कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने मत विभाजन की बात स्वीकार करके दरवाजे बन्द करवा दिये। अब यह लोग जो भी करना चाहें यह इनके विवेक पर है लेकिन मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मत विभाजन लाबी डिवीजन द्वारा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, लाबी डिवीजन की प्रक्रिया यह है कि जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होंगे, वह "हाँ" लाबी में जायेंगे और वहाँ रखे हुये रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेंगे। और जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में होंगे वह "नहीं" लाबी में जायेंगे और वहां पर रखे हुए रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेंगे। आप लोग पाँच मिनट रुक करके जाएं ताकि लाबी में व्यवस्था हो जाए।

(लाबी में हस्ताक्षर की व्यवस्था पूरी होने के बाद)

अब आप लोग जाएं और जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों, "हाँ" लाबी में जा करके रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करें और जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हों, "नहीं" लॉबी में जा करके रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करें।

(लॉबी डिवीजन से मतदान आरम्भ हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

अगर हस्ताक्षर हो गये हैं तो देख लिया जाये। अगर कोई माननीय सदस्य हस्ताक्षर करने से रह गये हैं तो प्रस्ताव के पक्ष में "हाँ" लाबी में जा करके हस्ताक्षर कर दें। जो विपक्ष में हों वे "नहीं" लाबी में जाकर हस्ताक्षर कर दें। जो माननीय सदस्य मंत्रि-परिषद के सदस्य हैं और वह विधान परिषद् के सदस्य हैं तो वह किसी लाबी में हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्य जेल में, उनको वोट का अधिकार नहीं मिल पाया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सवेरे ही न्याय सचिव को कहला दिया था कि उन्हें यहाँ पर आना चाहिये, अब वह पता नहीं किन परिस्थितियों में नहीं आ पाये। न्याय सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, उनको मत का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ पर नहीं हैं तो हस्ताक्षर कैसे होगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

नियमों में कोई व्यवस्था हो तो देख लें।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब लाबी डिवीजन मांगी तो जो माननीय सदस्य हस्ताक्षर करेंगे उन्हीं की गिनती होगी। यह सही है कि संसदीय कार्य मंत्री जी और न्याय सचिव को प्रयास करना चाहिये कि वह आ सकें।

अभी भी अगर कोई माननीय सदस्य हस्ताक्षर करने से वंचित रह गये हैं तो प्रस्ताव के पक्ष में "हाँ" लाबी में और प्रस्ताव के विपक्ष में "नहीं" लाबी में जाकर हस्ताक्षर कर दें।

(लाबी डिवीजन से मतदान हुआ)

दिनांक 28 फरवरी, 2006 को मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान

विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में-207

1- श्री अखिलेश कुमार सिंह
2- डा0 अजय कुमार
3- श्री अजीम भाई
4- श्री अताउल रहमान
5- श्री अनवर महमूद
6- श्री अनार सिंह दिवाकर
7- श्री अनिल कुमार पाण्डेय्
8- श्री अनिल कुमार वर्मा (सीतापुर)
9- श्री अनिल कुमार वर्मा (हरदोई)
10- श्री अनिल कुमार सिंह यादव
11- श्री अनिल सिंह
12- श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह
13- श्री अनूप कुमार पाण्डेय्
14- श्री अन्सार अहमद

15- श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां
16- श्री अम्बिका चौधरी
17- श्रीमती अम्बेश कुमारी
18- श्री अरविन्द गिरि
19- श्री अरविन्द कुमार सिंह
20- श्रीमती अरुण उर्फ गोप कुमारी
21- श्री अरुणवीर सिंह
22- श्रीमती अरुणा तोमर
23- श्री अलगू प्रसाद चौहान
24- श्री अवधेश प्रसाद
25- डा0 अशोक बाजपेयी
26- श्री आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह)
27- श्री आर0 के0 चौधरी
28- श्री आलम बदी
29- श्री आलोक कुमार शाक्य
30- श्रीमती आशा किशोर
31- श्री आशीष यादव
32- श्री इकबाल महमूद
33- श्री उज्ज्वल रमण सिंह
34- श्री उदय राज यादव
35- श्रीमती उमा किरन
36- ओइमवेश स्वामी
37- श्री ओमकार सिंह यादव
38- श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)
39- श्री ओम प्रकाश (सीतापुर)
40- श्री कमलेश कुमार
41- श्री कमाल यूसुफ मलिक
42- श्री कल्याण सिंह दोहरे
43- श्री काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब
44- श्री काशी राम
45- श्री किरण पाल कश्यप
46- श्री किरनपाल सिंह
47- श्री कैलाश
48- श्री कैलाश चौरसिया
49- श्री कोविद कुमार
50- श्री कौकब हमीद खाँ
51- श्री कौशल किशोर (खीरी)
52- श्री गंगा प्रसाद पुष्कर
53- श्रीमती गीता सिंह
54- श्री चन्द्र भद्र सिंह
55- श्री चितरंजन स्वरूप
56- श्री छेदी राम
57- श्री छोटेलाल यादव
58- श्री जंग बहादुर
59- श्री जगदीश सिंह राणा
60- श्री जगदीश सोनकर
61- श्री जगराम सिंह
62- श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी
63- श्री जय प्रकाश यादव
64- श्री जियाउद्दीन रिजवी
65- श्री तेजपाल सिंह
66- श्री दया शंकर वर्मा
67- श्री दिनेश सिंह
68- श्री दिलीप कुमार वर्मा
69- श्री दीनानाथ कुशवाहा
70- श्री दीनानाथ भास्कर
71- श्री दुर्गा प्रसाद यादव
72- श्री देवेन्द्र नागपाल
73- श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
74- श्री धनंजय सिंह
75- श्री धर्मपाल सिंह (गाजियाबाद)
76- श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
77- श्री नत्थू सिंह
78- श्रीमती नन्दिता शुक्ला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

79- श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
80- श्री नरेन्द्र सिंह यादव
81- श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल
82- श्री नारद राय
83- श्री परमजीत
84- श्री परमेश्वर दयाल
85- डा0 पी0 के0 राय
86- श्री पीतम राम
87- श्री पूर्णमासी देहाती
88- श्री प्रताप चौधरी
89- श्री प्रभु नारायण
90- श्री प्रेम पाल सिंह यादव
91- श्री प्रेम सिंह
92- श्रीमती फसीहा बशीर चौधरी
93- श्री बंशीधर राज
94- श्री बलराम यादव
95- श्री बाबू लाल
96- श्री बाबू लाल चौधरी
97- श्री बीजू पटनायक
98- श्रीमती बीना भारद्वाज
99- कुँवर बृजेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट
100- श्री बैजनाथ पासवान
101- श्री बैजनाथ दुबे
102- श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी
103- श्री भगवत शरन गंगवार
104- श्री मतेश चन्द्र सोनकर
105- श्री मदन गोपाल वर्मा
106- श्री मदन चौहान
107- श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
108- श्री मशहूद खॉ
109- श्री महमूद अली
110- श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ [illegible] बाबू
111- श्री महेन्द्र सिंह राजपूत
112- श्री महेश नारायण सिंह
113- श्री मानपाल सिंह
114- श्री मिथिलेश कुमार
115- श्री मुलायम सिंह यादव
116- श्री मुश्ताक सोलंकी, हाजी
117- श्री मूलचन्द्र, चौहान, ठाकुर
118- श्री मोहन देव शंखवार
119- श्री मोहम्मद आज खॉ
120- श्री मोहम्मद वशीर चौधरी
121- श्री मोहम्मद रिजवान
122- श्री मो0 शफीर
123- श्री यशपाल चौधरी
124- डा0 यशवन्त सिंह
125- हाजी याकूब
126- श्री योगेन्द्र कुमार
127- श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया
128- श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया
129- श्री रणवीर राणा
130- श्री रतन लाल अहिरवार
131- श्री राकेश कुमार वर्मा
132- श्री राकेश पाण्डेय
133- श्री राकेश सचान
134- श्री राज किशोर सिंह
135- श्री राजनाथ यादव
136- श्री राजपाल त्यागी
137- श्री राजपाल सिंह बालियान
138- श्री राजा राम
139- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
140- श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
141- श्री राजेन्द्र सिंह राणा
142- श्री राधेश्याम जायसवाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

143- श्री राधेश्याम सिंह
144- श्रीमती राबिया कलाम
145- श्री राम करन आर्य
146- श्री राम किशून
147- श्री राम कृष्ण
148- श्री राम गोविन्द चौधरी
149- श्री रामचन्द्र यादव
150- श्री रामजी शुक्ल
151- श्री राम नाथ
152- श्री रामपाल यादव
153- श्री राम बिशुन आजाद
154- श्री राम मगन
155- श्री राम लाल अकेला
156- श्री रामवीर सिंह
157- श्री राम स्वरूप सिंह (कानपुर देहात)
158- श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)
159- श्री रामेश्वर सिंह यादव
160- श्री रियाज अहमद
161- श्री लाल बहादुर यादव
162- डा0 वकार अहमद शाह
163- श्री वसीम अहमद
164- श्रीमती विजमा यादव
165- श्री विजय कुमार मिश्रा
166- श्री विजय बहादुर पाल
167- श्री विजय सिंह
168- श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह
169- श्री विनोद कुमार यादव कक्का
170- श्री विनोद कुमार सिंह
171- श्री विमल कृष्ण अग्रवाल
172- श्रीमती विमला राकेश
173- श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
174- श्री विश्राम सिंह यादव
175- श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार
176- श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)
177- श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी
178- श्री शब्बीर अहमद
179- श्री शरदवीर सिंह
180- श्री शहजिल इस्लाम
181- श्री शाकिर अली
182- शारदा नन्द अंचल
183- श्री शाहिद मंजूर
184- श्री शिव कुमार बेरिया
185- श्री शिवपाल सिंह यादव
186- डा0 शिव प्रताप यादव
187- श्री शिशुपाल सिंह यादव
188- श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"
189- श्री श्याम प्रकाश
190- श्री श्याम नारायण
191- श्री श्यामलाल रावत
192- श्रीमती श्रद्धा यादव
193- श्री संजय गर्ग
194- कु0 सन्ध्या कठेरिया
195- श्री सिद्ध गोपाल साहू
196- डा0 सियाराम सागर
197- श्री सीताराम निषाद
198- श्रीमती सुख देवी वर्मा
199- श्री सुन्दर लाल
200- श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी
201- श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह
202- श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल
203- श्री सुल्तान बेग
204- श्री सूरज सिंह शाक्य
205- श्री हरिओम यादव
206- श्री हरिशंकर तिवारी
207- श्री होशियार सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विश्वास प्रस्ताव के विरोध में शून्य

श्री अध्यक्ष-

"यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।" इस प्रस्ताव के पक्ष में 207 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये है। इस प्रस्ताव के विरोध में किसी की माननीय सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसलिये प्रस्ताव पारित हुआ।

अब दरवाजा खुलवा दें।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमागत)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक आया है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 के उद्देश्य और कारण को मैने पढ़ा है। उसमें उद्देश्य और कारण बताया गया है कि उक्त अधिनियम में उक्त सदस्यों की यथाउपबन्धित पदावधि राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन के लिए पर्याप्त नही है क्योंकि आयोग के पुनर्गठन में समय लगता है।

मद सं0-15 से सम्बन्धित आय-व्ययक पर साधारण चर्चा पहले कराये जाने की माँग

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि मद संख्या-15 पहले ले लें, माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण शुरू कर दें और कल इसे जारी रखे।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मेरी एक प्रार्थना है, आपकी सुविधा के अनुसार, कहना तो अच्छा नही लगता, दिक्कत बहुत है ही, परन्तु कल अगर प्रश्नकाल स्थगित करके 11.00 बजे बजट पर चर्चा शुरू करा दें तो हम अच्छी तरह से माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुन सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या माननीय नेता विरोधी दल सहमत है?

(नेता विरोधी दल ने सहमति व्यक्त की)

माननीय नेता विरोधी दल सहमत है, कल प्रश्न काल निलंबित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष मद संख्या-15 पर पहले चर्चा शुरू कर दें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण की भूमिका में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही लुभावनी बातें शामिल की है लेकिन उसकी असलियत जानने से ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता को छला गया है। उसमें आंकड़ों में गलतियाँ है। जो योजनाएं चल रही थी पहले से उनके नाम बदल दिए गए है। इसलिए मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमागत)

(वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। गौर साहब अपनी बात रखें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्तुत विधेयक के संदर्भ में कह रहा था कि इसमें जो उद्देश्य और कारण बताया गया है। यह अनुभव किया गया है कि उक्त अधिनियम में उक्त सदस्यों की यथाउपबन्धित पदावधि राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन के लिए पर्याप्त नही है क्योंकि आयोग के पुनर्गठन में समय लगता है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके आयोग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पॉच वर्ष कर दी जाय जिससे कि अपेक्षित संख्या में अध्यापकों को चयन यथा समय किया जा सके। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले भी इस सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग संशोधन अधिनियम 2004 लाया गया था उसमें भी यही उद्देश्य और कारण बताए गए थे। हम सभी अवगत है कि प्रदेश के अन्दर हमारे डिग्री कालेजों के प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रवक्ताओं के चयन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होते है।

अध्यक्ष महोदय पहले सदन को व्यवस्थित कर ले।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप तो वरिष्ठ सदस्य है मंत्री जी से बाद में बात कर लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इस सरकार द्वारा इसके पहले उच्चतर शिक्षा आयोग संशोधन विधेयक 2004 में भी लाया गया था। उसके पहले हम सभी जानते है कि उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से स्नातकोत्तर, स्नातक स्तर के महाविद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यो व प्रवक्ताओं के पदों पर चयन होता है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय अध्यक्ष और सदस्यों के बनने की कुछ अर्हताएं थी लेकिन 2004 में सरकार ने संशोधन विधेयक लाकर उसे समाप्त कर दिया। पहले था कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नही होगा जब तक कि वह (क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो, या (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो, या (ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो, या (घ) किसी विश्वविद्यलय में आचार्य न हो या न रहा हो, इसी तरह से सदस्य में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नही होगा जब तक कि वह (क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो, या (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो, या (ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो, या (घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो, या (ङ) कम से कम पॉच वर्ष की अवधि के लिए किसी

स्नात्कोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य न हो, या न रहा हो, या (च) कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य न हो, या न रहा हो। यह अहर्ताएं रखी गई थी क्योंकि जो चयन बोर्ड है इसमें स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य का चयन होगा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य का चयन होगा स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य का चयन होगा इसलिये सबसे पहले यह अर्हता रखी थी। 2004 में सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया एक क्लाज और जोड़ दिया था दोनों में राज्य सरकार ने। राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो। यही दोनों जोड़ दिया था। इसी कारण उच्चतर शिक्षा आयोग की जो गरिमा घटी है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे है। अगर किसी आई0ए0एस0 का चयन पी0सी0एस0 के लोग करे और पी0सी0एस0 का चयन उससे नीचे स्तर के लोग करें तो यह अच्छा नही लगता, अटपटा लगता है। जिस तरह पहले संशोधन लाया गया और जो कारण बताये गये थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उच्च स्तर के लोग नही मिल पा रहे है। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य पाँच लोग। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है यहाँ पर यूनीवर्सिटी है, रिटायर्ड आई0ए0एस0 है, जजेज है उसमें से पाँच लोग नही मिलते थे। इसीलिये यह कारण बताया कि यह परिवर्तन, संशोधन करने का यह कारण है।

मेरा फिर आरोप है सरकार के ऊपर कि उस समय भी कुछ लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने संशोधन किया था और यह जो संशोधन आज लाया जा रहा है उसके पीछे भी इसी तरह का कारण है। 1980 से अभी तक यह जो आयोग चल रहा है उसका अध्यक्ष बनाने के लिये कभी भी किसी की कमी नही पड़ी। अध्यक्ष का कार्य काल 3 वर्ष का या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरे हो जायं। इसमें आपत्ति यह है कि यह कार्यकाल जो तीन वर्ष का है उसको तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर रहे है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस समय यह डायल्यूशन हुआ उत्तर प्रदेश के अन्दर यह लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये किये गये है। इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डा0 फिदा हुसैन अन्सारी जो कि रीडर कामर्स शिया कालेज लखनऊ में थे। एक तो यह क्वालिफिकेशन कि रीडर है चयन करेंगे स्नातकोत्तर के प्रचार्य का। शिक्षा में मैने काफी बात कही और सदन को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा कोई भी क्षेत्र हो राजनीतिक आधार पर नही होना चाहिए। जो इसके अध्यक्ष बनाये गये मैं नाम नही लेना चाहता इस सरकार के अन्दर मंत्री है उनके दामाद है। यह भी एक क्वालिफिकेशन है। इस समय अध्यक्ष बना दिये मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि उनकी स्नातकोत्तर के प्रचार्य का चयन करेंगे वह रीडर जो कि उचित नही है। एक और सदस्य है उनका नाम नही लेना चाहता राजनीति विज्ञान में रीडर है सी0एम0पी0 कालेज इलाहाबाद में। एक और सदस्य जो रीडर है भूगोल में ए0के0 कालेज, शिकोहाबाद में। इस तरह से उच्चतर शिक्षा आयोग में डायल्यूशन करना उचित नही। तीन साल के बाद कोई सदस्य बन सकता था, कोई अध्यक्ष बन सकता था। उत्तर प्रदेश के अन्दर खास व्यक्ति का जो सदस्य है उसको ओब्लाइज करने के लिये आप तीन साल से पाँच साल कर रहे है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसमें टोटैलिटी में सरकार विचार कर ले और इसको एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें जिसकी एक महीने में रिपोर्ट आ जाये जिससे इसका सही स्वरूप सामने आ जाय।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। पहला यह कि इसमें प्राविधान केवल इतना किया गया कि 3 वर्ष से 5 वर्ष हो इसके माध्यम से कुछ कमियों जो उच्च शिक्षा में प्रतीत होती है उनकी ओर ध्यान आकृष्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूँ। आज बड़े खेद की बात है कि महाविद्यालय तो है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के एडमीशन भी है और नियुक्तियाँ भी है लेकिन कारण क्या है कि सेक्शन में कोई है नही। कभी जाना चाहिए इसकी गहराई हमको कि नही? किसी भी क्षेत्र में आप आकस्मिक निरीक्षण करके देख लें विश्वास टूट जायेगा। हमारी थोड़ी रूचि है इस बात में देखने की आखिर कारण क्या है। छात्र से जब हमने पूछा क्यों भई तुम लोग क्लास में क्यों नही जाते? न जाने के पीछे कारण क्या है जो उन्होंने बताया। अध्यापक कभी आते नही ट्यूशन में भी चालीस ही है। अन्तर केवल इतना है कि वे उस क्लास रूम में नही बैठकर कोई अलग स्थान बना रखा है और वहाँ पर पढ़ाई होती है। केवल हम ट्यूशन के ऊपर कानून बना दें, नियम बना दें कि ट्यूशन नही करेंगे तो उससे काम चलने वाला नही। स्कूल में स्वस्थ माहौल की जरूरत है। दिन रात आपके यहां कभी प्रोफेसर का घेराव, कभी वाइस चांसलर का घेराव होता है। आज 80 प्रतिशत छात्रों को धरना और घेराव के अलावा कोई काम नही है। कक्षाओं में जाने का विश्वास नही रहा। आप जाकर अगर प्रोफेसर से पूछे तो कहेंगे छात्र नही आते है। तो काहे की व्यवस्था है? मंत्री जी कभी जाकर देखें जो देश ऊपर उठे है जिन्होंने राष्ट्रीय विकास किया है, देश में जो विकास हुआ है देश में जो वर्ग आगे बढ़ा है यह वर्ग वह है जिन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया है। पढ़ाई का वातावरण बनाया है। आपने पढ़ाई के वातावरण को खराब किया है। दक्षिण भारत से पूर्वी भारत की तुलना कर लें और उसमें भी उत्तर प्रदेश की तुलना कर लें उससे पता लग जायेगा भाषा अच्छी आप बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे। जिन्होंने शिक्षा को तबाह कर दिया जिन्होंने शिक्षा की उत्तमता को तबाह कर दिया वह कैसे उत्तम प्रदेश बनायेंगे। उच्चतर शिक्षा में जो महाविद्यालय है उसमें जो प्रयोगशालाये है उन प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है। कितनी मिट्टी चढ़ी है। सफाई करने वाले नही है, किसी छात्र का मन करेगा वहां जाने का कैसे अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे? कैसे दूसरों से प्रतिस्पर्धा करेंगे? आन्ध प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र में, 5, 6 ऐसे राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, विदेशी लोग वहां जाते है आपके यहां कोई नही आता है। लखनऊ, इलाहाबाद में कभी रिक्रूटमेंट के लिए कोई आया।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

तो मौलिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमने चयन आयोग बना दिया कुछ लोगों को जो उस योग्य नही थे उनको बिठाने का जरिया बना दिया। उनके जरिऐ से अपने लोगों को चयनित कराने का जरिया बना दिया। अगर इस पक्षपात के आधार पर आप चयन में संशोधन कर देते, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो गया होता। यह आदत बन गई है कि अगर कुछ कहना है तो एक आयोग बना दो वहां भारी घुस देकर जमीन बेचकर, घर बेचकर, घूस देकर जब लोगों को लेंगे तो उनकी पढ़ाई क्या होगी? जो जमीन बेचने के बाद जाएगा, प्रोफेसर बनेगा वह क्या पढ़ाएगा? पढ़ने वाला व्यक्ति तो यहां तक पहुँच ही नही पाएगा न वह घूस देकर जाना चाहेगा। मैं किसी को ब्लेम करने की बात नही कर रहा हूँ। कमियां पहले से है उनको दूर कैसे किया जाए हम समर्थन करेंगे हम सहयोग करेंगे। अगर आप किसी कमी को दूर करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस समय टोटल 25 विधायक है।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री रामआसरे विश्वकर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के माध्यम से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 5 में संशोधन के प्रस्ताव को लाया गया है और वह संशोधन केवल इतना है कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग में कार्यरत अध्यक्ष या और सदस्य के कार्यकाल को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया जाए। इतना बहुत साधारण सा संशोधन का प्रस्ताव है। माननीय गौर साहब विद्वान है। प्रोफेसर है। शिक्षामंत्री रह

चुके है इन्होंने जो संशोधन प्रवर समिति के लिए दिया है मैं समझता था कुछ अच्छी बात बोलेंगे। कुछ अच्छे सुझाव देंगे। लेकिन कार्यकाल केवल बढ़ाया गया या बढ़ाने पर उनको कोई आपत्ति है। इस पर एक भी शब्द नहीं बोले और उससे हटकर आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की जो अर्हतायें हैं, उनकी योग्यता है, उन पर लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया। माननीय हुकुम सिंह जी विद्वान हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि कमियां पहले से हैं यानि उनकी सरकार में भी कमियां थीं। लेकिन जो कमियां उनकी सरकार में थी, उन कमियों को हमने दूर किया और यह हम इसलिए कहना चाहते हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षकों का चयन किया जाता है। एक बहुत अच्छी संस्था हैं, योग्य शिक्षक महाविद्यालयों में जायें और अच्छी शिक्षा दें लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं कि इस आयोग की गरिमा को गिराने का काम किसने किया? आप कहते हैं कि राजनीति के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, चाहे अध्यक्ष के पद पर हो या सदस्य के तौर पर हो, अच्छे और योग्य लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। आपके जमाने में जो नियुक्तियां हुई वह केवल एक विचारधारा और वह भी आर0एस0एस0, चाहे विश्वविद्यालय के कुलपति हों।

श्री हुकुम सिंह-

हमें आपत्ति है, आर0एस0एस0 का जो इन्होंने नाम लिया। न तो आर0एस0एस0 कोई राजनीतिक दल है, एक विचारधारा है, उनका नाम लेकर उनको अरोपित करना, इन्होंने बीजेपी का नाम लिया होता। लेकिन आर0एस0एस0 एक विचारधारा है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यही बात तो यह भी कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

आप बतायेंगे, कौन सी विचारधारा आर0एस0एस0 की है? उसका विरोध मत कीजिए, आर0एस0एस0 ने इस देश के निर्माण का, समाज के निर्माण का संकल्प लिया है।

श्री अधिष्ठता-

दिखवा लिया जायेगा।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

इसमें संशोधन इसलिए किया है कि यह आवश्यक था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है जो पीसीएस का चयन करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को बनाया गया था, बड़ी अच्छी नीयत से बनाया था लेकिन आयोग की स्वायत्तता और गरिमा को खत्म किया गया, आपकी सरकार के कार्यकाल में और आयोग को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बना दिया और वहां के सदस्यों का कार्यकाल है, 4 वर्ष। हमने तो वही किया है। 3 वर्ष कम था और जो भी अधिनियम बनाया जाता है और उसमें जो कमियां होती हैं, उनको समय-समय पर दूर भी किया जाता है इसीलिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है, 5 वर्ष मैंने गलती से कह दिया था, 6 वर्ष है और लोक सेवा आयोग की तरह यह भी आयोग काम करे और उनके सदस्यों को भी इतना काम करने की मौका मिले इसलिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है ताकि उनको शिक्षकों के चयन के लिए पर्याप्त समय मिल सके क्योंकि 6 महीने तो उन्हें कार्य-प्रणाली को समझने में ही लग जाता है। वह अच्छी तरह से काम कर सकें, निष्पक्षतापूर्वक काम कर सकें। जब एक स्थायित्व रहेगा और उन्हें यह मालूम होगा कि उसका कार्यकाल 5 साल रहेगा तो वह और अच्छा आयोग को बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छा चयन करेंगे। इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। माननीय सदस्य को पक्षपात इसलिए नजर आता है कि अपने

जमाने में इन्होंने पक्षपात किया होगा और इसीलिए यह नजर आता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके समय में जो विश्वविद्यालय सृजित होते थे वह केवल नाम के लिए सृजित होते थे। आपके समय में विश्वविद्यालय तो सृजित हो जाते थे लेकिन शिक्षक के पद सृजित नहीं होते थे। महाविद्यालय सृजित किया गया लेकिन पद नहीं सृजित किया गया। केवल किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए स्वीकृत किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने जहां भी शिक्षकों की कमी थी, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कमी थी उसको पूरा किया है। आपके समय में विश्वविद्यालय तो थे लेकिन उसकी बाउंड्रीवाल नहीं थी, लैब नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में विश्वविद्यालय के लिए 15 करोड़ रूपये रूपये रख-रखाव के लिए देने का काम किया है। आपकी सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता में जो कमी थी हमारी सरकार ने उस कमी को पूरा करने का काम किया है और प्रदेश की जनता में विश्वास जगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने अच्छे और योग्य लोगों के निष्पक्ष चयन किये जाने के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के इस प्रस्ताव को वापस लें और इस विधेयक को अपना समर्थन देकर पारित करायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय गौर साहब, आप अपना प्रस्ताव वापस लेगें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं और हर बात में वह पिछली सरकारों की बात करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं आपको पता होगा कि वहां का सत्र कितना पीछे चल रहा था। 2 से 3 साल वहां का सत्र पिछड़ रहा था, अनियमित था। हमारी सरकार में वह सत्र नियमित हुआ। आपने कहा कि हम इसका कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर रहे हैं लेकिन इसके लिए जो कारण आपने बताया है वह यह है कि इसके लिए लोग उपलब्ध नहीं है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में सदस्य, अध्यक्ष अच्छे लोग आने चाहिए। डिग्री कालेज में अच्छे शिक्षक आने चाहिए, पारदर्शिता के आधार पर चयन होना चाहिए। मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो भी चयन हो वह सही तरीके से, पारदर्शिता से होना चाहिए। मान्यवर, मेरे पास रिकार्ड नहीं है। मैं चाहूँगा कि जब बजट प्रस्तुत हो तो उसमें यह आ जाये कि प्रदेश में कितने डिग्री कालेज हैं और उसमें कितने पद सृजित किये गये। डिग्री कालेजों में शिक्षकों की गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिए। आज उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सचिव का पद है लेकिन वहां पर सदस्य ही कार्यकारी सचिव है। तो आप क्या उच्च शिक्षा की चिन्ता कर रहे हैं? आज प्रदेश के अन्दर जितने भी डिग्री कालेज हैं चाहे अनुदानित हों या स्ववित्तपोषित हों या जिन्हें अनुदान न मिलता हो। आज वास्तव में सैल्फ फाइनेन्सिंग के डिग्री कालेजों में कोर्सेस बहुत हो गये हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है। मैंने सुबह भी बात कही थी कि कैसी व्यवस्था बने। आज इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। आज बीएड की कालेजों में बाढ़ लग गयी है। हमने इसे उठाया था तो मुख्यमंत्री जी ने जांच करवायी थी और इसको खोलने में बंदिश लगा दी थी अनेकों कालेजों में डोनेशन देकर प्रवेश होते हैं, शिक्षक नहीं है, दैनिक वेतन पर शिक्षक रखे जाते हैं। तो उच्च शिक्षा की चिन्ता करें और इस पर विचार करके इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें। मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्डश: विचार

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियिम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 5 में,

(क) उपधारा (1) में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पाँच वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:-

"(6)उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।"

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम अ[illegible] विश्वकर्मा-

मा[illegible] आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 200[illegible] पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक टेक्निकल शब्द है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, -

(क) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

"परन्तु यह और कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उपधारा (2) के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से किसी भी समय वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए उसके विकल्प पर समान मूल्य के कूपन दिये जायेंगे।"

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया, और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-3

श्रीमती उमा किरन ने खण्ड-3 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:-

खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय:-

"3-मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द 'टेलीफोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जाय' के स्थान पर शब्द टेलीफोन और मोबाइल फोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जाय रख दिये जायेंगे।"

श्री अधिष्ठाता-

यह है कि खण्ड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय:-

"3-मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द 'टेलीफोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जायं' के स्थान पर शब्द टेलीफोन और मोबाइल फोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जायं रख दिये जायेंगे।"?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-3 इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)

(संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्री अधिष्ठाता-

पहले माननीय मंत्री जी कुछ कह लें, अगर कहना चाहें तो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कहना तो इन्हें तब चाहिये था जब इन्होंने इसे पेश किया था लेकिन अब भी अगर कुछ कहना चाहें तो कह ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इधर से भी आप ही कुछ कह दें और कुछ हमारे ऊपर भी रहम कर दें।

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

हम लोगों का माननीय हुकुम सिंह जी से अनुरोध है कि इसे पास हो जाने दें। कभी-कभी तो आप, हम लोगों की भी बात मान लिया करें।

श्री हुकुम सिंह-

अभी तो पांच भी नहीं बजे हैं, लेकिन अगर आप कहते है तो हम आपकी बात मान लेते है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि माननीय हुकुम सिंह जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा था, उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से वापस हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्डश: विचार

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002 में नई धारा 2-क का बढ़ाया जाना

2- उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना

2-क (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना का इच्छुक हो, ऐसे प्रपत्र में जिसमें ऐसे विवरण और दस्तावेज अन्तर्विष्ट हों, और ऐसे शुल्क के साथ जिन्हें विहित किया जाय राज्य सरकार को आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की संवीक्षा करेगी और उसे उपान्तरण, यदि कोई हो, सहित उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अनुमोदित और घोषित करने के लिये तथा ऐसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के निमित्त विकासकर्ता को अधिसूचित करते हुए भारत सरकार से सिफारिश करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-15 पहले ली जा चुकी है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2006 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई-

पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर की हाईटेक सिटी गाजियाबाद में किसानों की जमीनों को खरीदने में भारी असमानता के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में है-वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की प्रदेश के मध्यांचल एवं इटावा जनपद में बर्डफ्लू रोग के फैलने की आशंका को देखते हुए प्रदेश में वैक्सीन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है-वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री अनीस अहमद उर्फ फूलबाबू की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज न्यायालय को चालू कराये जाने के संबंध में है- वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के सभी प्राथमिक विद्यालयों को किचन शेड के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के संबंध में है- वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना श्री मुन्शीलाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका परिषद् में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को वर्ष 1996 से वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में है-केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा व ग्रेटर नोयडा में अधिकृत ग्रामों के भूमिहीन कमजोर वर्गों के परिवारों को रियायती दर पर भू-खण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना कुँवर भारतेन्द्र सिंह की जो जिला बिजनौर के ग्राम खिड़की हेमराज कालोनी में ग्रामीणों के घर में घुस कर पुलिस द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किये जाने से उतपन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जो जनपद मिर्जापुर में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्डपम्पों में घटिया सामान का इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। नौवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जो जिला फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में गिरते जल स्तर को देखते हुए हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो जनपद इलाहाबाद की मुख्य सड़क सहसों चन्दोहा से उमरी तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो शाहजहाँपुर नगर में पाँच बड़े नालों की सफाई कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बारहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जो जनपद भदोही अन्तर्गत ज्ञानपुर नहर तथा उसारी निकली राजवहा में किसानों की सूख रही फसल को बचाने हेतु 120 क्यूसेक पानी लिया जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली स्थित नवाबगंज-जमौड़ी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1- राम करन आर्य (दिनांक 17.2.2006 को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई है।)
2- श्री जगदीश नारायण राय
3- श्री पूर्णमासी देहाती
4- श्री रिजवान अहमद खाँ
5- श्री रणवीर राणा
6- डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी

दुनिया भर में जहाँ कहीं भी धर्मों (मजहबों) की किसी भी प्रकार से हुई अवमानना की निन्दा का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आज एक बड़ा ही ऐतिहासिक प्रस्ताव जिस पर माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर हैं, सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

'यह सदन दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मजहबों तथा धर्मों की किसी भी प्रकार से अवमानना हुई है, की निन्दा करता है एवं मानव सद्भाव में विश्वास रखते हुए भारतवर्ष में सभी का बराबरी के साथ सम्मान चाहता है।'

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 'यह सदन दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मजहबों तथा धर्मों की किसी भी प्रकार से अवमानना हुई है, की निन्दा करता है एवं मानव सद्भाव में विश्वास रखते हुए भारतवर्ष में सभी का बराबरी के साथ सम्मान चाहता है।'?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करके नई चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की कार्य-सूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा का स्थगन

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी से अनुरोध है कि इस पर आगे चर्चा जारी रखे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक है, मैं दो लाइन बोल देता हूँ इस वक्त, फिर यह चर्चा आगे जारी रहेगी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करोड़ों किसान और उनके परिवार गन्ने की खेती पर और गन्ना उद्योग पर निर्भर है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, यह चर्चा जारी रहेगी।

अब हम उठते है, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 28 फरवरी, 2006

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0सं0-48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-48 का संलग्नक :

वित्तीय वर्ष 2005-06 में असेवित क्षेत्र में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा महाविद्यालय की स्थापना योजनान्तर्गत अब तक स्वीकृत अनुदान का महाविद्यालयवार विवरण :-

क्र0सं0	महाविद्यालय का नाम	धनराशि (रुपये में)
1	2	3
	द्वितीय किश्त	
1-	शिवाजी विद्यापीठ डिग्री कालेज, लहरपुर, सीतापुर	10.00 लाख
2-	कृष्ण कालेज आफ साइन्स एण्ड रुरल टेक्नोलाजी, बरौली कटरा आगरा।	10.00 लाख
3-	शिवनाथ वर्मा स्मारक महाविद्यालय, सुल्तानपुर।	10.00 लाख
4-	सावित्री देवी शंकरलाल शर्मा महाविद्यालय, मंडवा, करछना, इलाहाबाद।	10.00 लाख
5-	वैष्णवी महाविद्यालय, डाबर, खरका, मेजा, इलाहाबाद।	10.00 लाख
6-	गाँधी शान्ति निकेतन डिग्री कालेज, गौहनिया, जसरा, इलाहाबाद	10.00 लाख
7-	आदर्श शिक्षा मंदिर, देवरी, माण्डा, इलाहाबाद।	10.00 लाख
8-	श्रीमती गनेशी बाई गोनी विज्ञान महाविद्यालय मऊरानीपुर झाँसी।	10.00 लाख
9-	स्वामी नागाजी गर्ल्स डिग्री कालेज, भरुआ, सुमेरपुर, हमीरपुर।	10.00 लाख
10-	श्री शंकर जी महाविद्यालय, पठिया, अम्बेडकरनगर।	10.00 लाख
11-	मार्गश्री कन्या महाविद्यालय, फिरोजाबाद।	10.00 लाख
12-	बाबा टीकम सिंह कन्या महाविद्यालय, फिरोजाबाद।	10.00 लाख
13-	स्व0 कोटपाल सिंह महाविद्यालय, अटिया, मझिगवाँ, हरदोई।	10.00 लाख
	प्रथम किश्त	
14-	सर्वोदय महाविद्यालय, मार्टीनगंज, आजमगढ़।	10.00 लाख
15-	परमेश्वर महाविद्यालय, नौतन, हथियागढ़, देवरिया।	10.00 लाख
16-	चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय, रसूलपुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी।	10.00 लाख
17-	बी0बी0के0 डिग्री कालेज, तालग्राम, त्योर, कन्नौज।	10.00 लाख
18-	स्व0 महावीर सिंह महाविद्यालय, हरचन्द्रपुर, रायबरेली।	10.00 लाख
19-	जे0डी0बी0बी0 आनन्द महाविद्यालय, अम्बेडकरनगर।	10.00 लाख.
20-	चौ0 हरनाम सिंह महाविद्यालय, भरौआ, पुता, बरेली।	10.00 लाख
21-	अमर सिंह महाविद्यालय, डीह, रायबरेली	10.00 लाख
22-	श्री जगदम्बा महिला महाविद्यालय, मऊदेव मुलतानगढ़ फतेहपुर	10.00 लाख
23-	नवीन कन्या महाविद्यालय, सरैया, मानिकपुर, चित्रकूट।	10.00 लाख
24-	कुँवर सेन महाविद्यालय, जूनावई, बदायूँ।	10.00 लाख

मुलायम सिंह यादव
मुख्यमंत्री

पी0एस0यू0पी0-एल0 55 विधान सभा (98)-17-5-06-813 (डी0टी0पी0)।